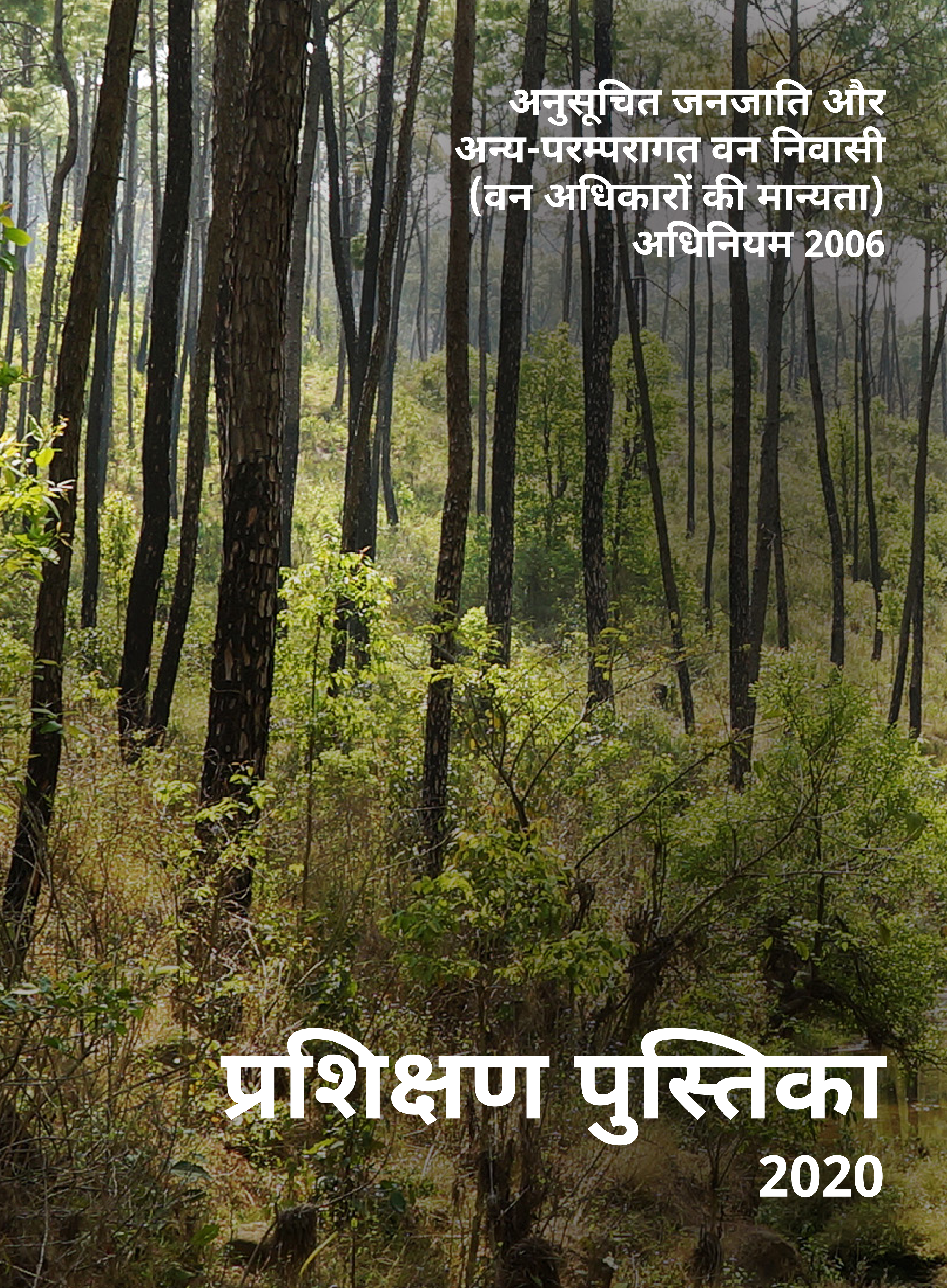

अनुसूचित जनजाति और अन्य-परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

प्रशिक्षण पुस्तिका

2020

अनुसूचित जनजाति और
अन्य-परम्परागत वन निवासी
(वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006

प्रशिक्षण पुस्तिका

2020

विषय सूची

भाग 1 - परिपेक्ष

1.1 वनभूमि और पहाड़ का जीवन
1.2 वन अधिकार क़ानून 2006- वनभूमि पर आधारित लोगों को अधिकार

भाग 2 - मूलभूत बातें

2.1 संक्षिप्त परिचय
2.2 किसके लिए है?
2.3 किन अधिकारों को मान्यता देता है?
2.4 किस भूमि के लिए?
2.5 किसकी ज़िम्मेदारी है?
2.6 कैसा वन अधिकार मान्यता पत्र/टाइटल दिया जाएगा?

भाग 3 - प्रक्रिया

3.1 वन अधिकारों को मान्यता मिलने की प्रक्रिया
3.2 वन अधिकार दावा फ़ार्म कैसे भरें?
3.3 वन अधिकार कानून के तहत अपील और सुनवाई की प्रक्रिया
3.4 परिशिष्ट

भाग 4 - भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ

4.1 समितियों की भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियाँ: ग्राम सभा; उप-मंडल स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति की भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियाँ
4.2 वनों के सुरक्षा, सरंक्षण एवं प्रबंधन में ग्राम सभा की भूमिका और शक्तियां

भाग 5 - छोटी-छोटी मगर मोटी बातें

5.1 घुमंतू पशुपालक और वन अधिकार कानून
5.2 महिलाओं की भागेदारी और भूमिका
5.3 वनभूमि से बेदखली और वन अधिकार कानून के प्रावधान
5.4 वनभूमि हस्तांतरण एवं वन अधिकार क़ानून

भाग 6 - अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

6.1 वन अधिकार क़ानून की उपयुक्तता
6.2 वन अधिकार कानून में पात्रता
6.3 प्रक्रिया
6.4 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार
6.5 गौण वन उत्पाद
6.6 जे.एफ़.एम समितियों की स्थिति
6.7 विकास और वन अधिकार कानून
6.8 कुछ और सवाल

01
परिपेक्ष

1.1 वनभूमि और पहाड़ का जीवन
1.2 वन अधिकार क़ानून 2006- वनभूमि पर आधारित लोगों को अधिकार

1.1 वनभूमि और पहाड़ का जीवन

पहाड़ी भूगोल, समाज और संस्कृति में जंगल की एक ख़ास जगह है - चाहे बड़ा भंगाल, भरमौर, किन्नौर, शिमला, कुल्लू या लाहौल के ऊंचे कंडे हों जहां घुमंतू पशुपालकों का पशुधन चरता है या मंडी, कांगड़ा और सिरमौर के बाण के बन तथा घासणी हों जहां से औरतें घास, लकड़ी, पत्तों को लेकर आती हैं, चाहे शामलात या नदी के किनारे चरागाह हो जहां जानवर चरते हैं । कहीं से कारीगर टोकरी बनाने के लिए बांस और निंगाल लाते हैं तो कहीं से बुरांस के लाल फूल लाकर गांव के लोग चटनी और शरबत बनाते हैं। जड़ी-बूटी, जलाऊ लकड़ी,पूजा स्थल हों या शमशान घाट, पहाड़ी लोगों का जीना-मरना वनभूमि और उससे उपजने वाले अलग-अलग उपहारों पर टिका है जिसके चलते वह आजीविका और अस्तित्व के लिए वनों पर निर्भर हैं। साथ ही पहाड़ी संस्कृति,परम्पराएं, कला और जीवन शैली भी वन व वन संसाधनों से अत्याधिक प्रभावित हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सभी पहाड़ी वासियों का वनों के साथ हमेशा से ही एक अभिन्न और घनिष्ठ रिश्ता रहा है। यह रिश्ता पारस्परिक रूप से जंगल और जनता दोनों के लिए ही लाभकारी है।

1.2 वन अधिकार कानून 2006 – वनभूमि पर आधारित लोगों को अधिकार

अनुसूचित जनजाति और अन्य- परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (आमतौर पर एफ.आर.ए. के रूप में जाना जाता है), 2006 में भारत की संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है। यह कानून वनभूमि पर निर्भर समुदायों के मौजूदा वन अधिकारों को कानूनी मान्यता देता है और रिकॉर्ड/दस्तवेजीकरण करता है। लोगों को वनभूमि पर व्यक्तिगत और सामूहिक वन अधिकारों के साथ-साथ यह कानून वनों के रख रखाव का और वनभूमि पर स्थानीय विकास का भी अधिकार देता है। इस कानून की सबसे ख़ास बात यह है कि अधिकारों की मान्यता की पूरी निर्णय प्रक्रिया में हर कदम पर लोगों और उनके स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है।

इस अधिनियम से वनों पर निर्भर सभी समुदायों व परिवारों में वनभूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व और सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है। इस क़ानून के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकारों को पहली बार कानूनी मान्यता दी जा रही है जिससे उनकी आजीविका की सुरक्षा हो रही है, साथ ही साथ यह समुदायों को वनों की सुरक्षा और संरक्षण करने में कानूनी तौर पर सशक्त बना रहा है।

यह प्रशिक्षण पुस्तिका ग्राम सभा के सदस्यों और वन अधिकार समिति के सदस्यों को वन अधिकार अधिनियम के बारे में जागरूक करने व उन्हें इस क़ानून के विभिन्न प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु है।

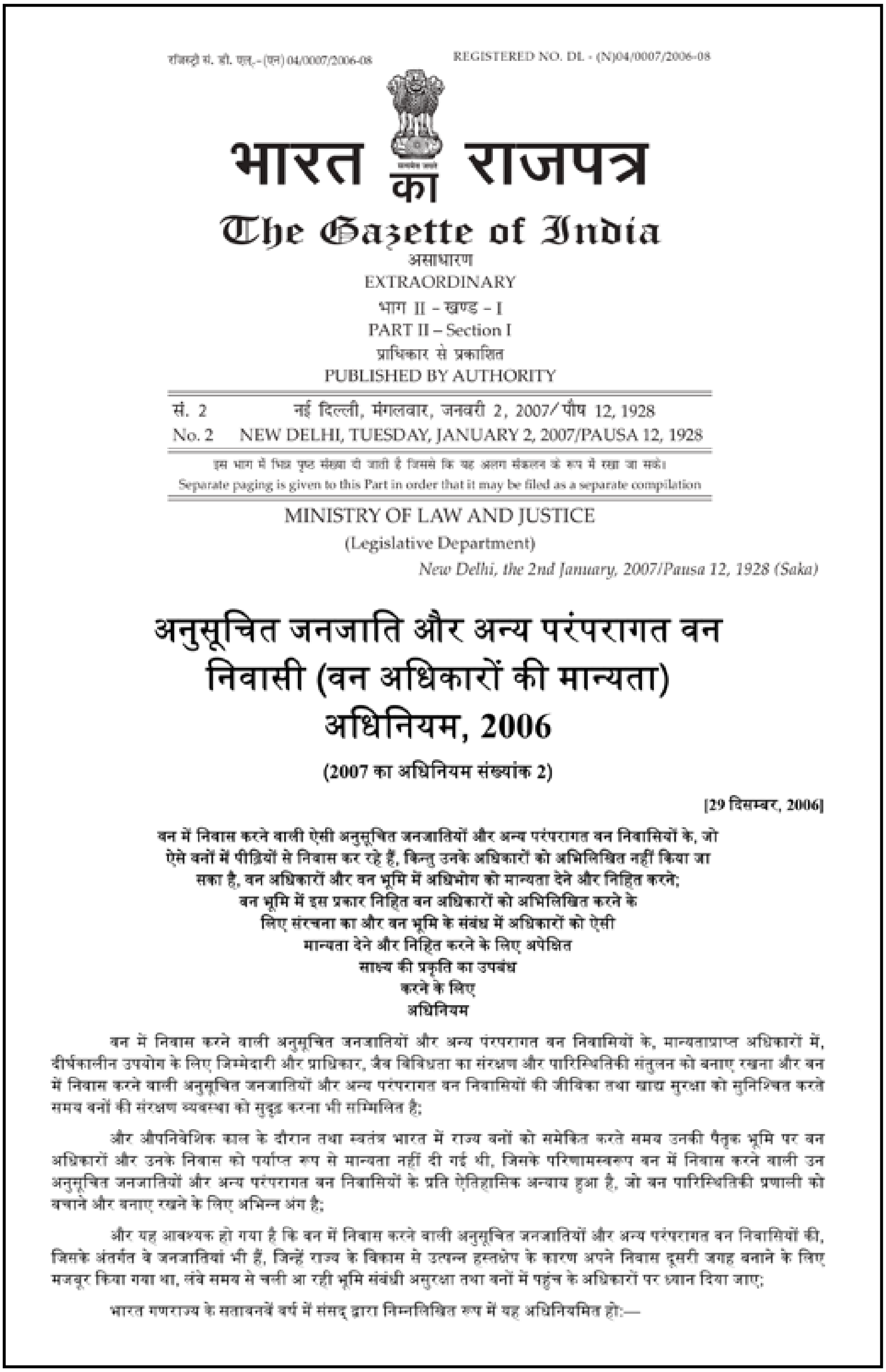
रजिस्ट्री सं. डी. एल.-(एन) 04/0007/2006-08 REGISTERED NO. DL - (N)04/0007/2006-08

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II - खण्ड - I
PART II – Section I
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2 नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2007/ पौष 12, 1928
No. 2 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2007/PAUSA 12, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
New Delhi, the 2nd January, 2007/Pausa 12, 1928 (Saka)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

(2007 का अधिनियम संख्यांक 2)

[29 दिसम्बर, 2006]

वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, किन्तु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने; वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना का और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति का उपबंध करने के लिए अधिनियम

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, मान्यताप्राप्त अधिकारों में, दीर्घकालीन उपयोग के लिए जिम्मेदारी और प्राधिकार, जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना और वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते समय वनों की संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना भी सम्मिलित है;

और औपनिवेशिक काल के दौरान तथा स्वतंत्र भारत में राज्य वनों को समेकित करते समय उनकी पैतृक भूमि पर वन अधिकारों और उनके निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, जो वन पारिस्थितिकी प्रणाली को बचाने और बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग है;

और यह आवश्यक हो गया है कि वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की, जिसके अंतर्गत वे जनजातियां भी हैं, जिन्हें राज्य के विकास से उत्पन्न हस्तक्षेप के कारण अपने निवास दूसरी जगह बनाने के लिए मजबूर किया गया था, लंबे समय से चली आ रही भूमि संबंधी असुरक्षा तथा वनों में पहुंच के अधिकारों पर ध्यान दिया जाए;

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

वन अधिकार कानून 2006 की प्रस्तावना स्रोत: जनजातीय मंत्रालय

02
मूलभूत बातें

2.1	संक्षिप्त परिचय
2.2	किसके लिए है?
2.3	किन अधिकारों को मान्यता देता है?
2.4	किस भूमि के लिए?
2.5	किसकी ज़िम्मेदारी है?
2.6	कैसा वन अधिकार मान्यता पत्र/टाइटल दिया जाएगा?

2.1 संक्षिप्त परिचय

“अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 व संशोधित नियम 2012”, को संक्षिप्त में वन अधिकार कानून, 2006 (Forest Rights Act- FRA, 2006) के नाम से जाना जाता है।

2006	29/12/ 2006 को भारतीय संसद द्वारा पारित वन अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली
2007	02/01/2007 को जन सूचना हेतु वन अधिकार कानून को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया
2008	01/01/2008 को वन अधिकार नियम लागू हुए
2012	06/09/2012 को इस क़ानून में संशोधन कर संशोधित वन अधिकार नियम लागू हुए

2.2 किसके लिए है?

वन अधिकार कानून निम्न दो प्रकार के समुदायों के लिये है:

1. वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति [Forest Dwelling Scheduled Tribe- FDST]

धारा 2 (ग)

- अनुसूचित जनजाति श्रेणी के सदस्य या समुदाय
- जो 13 दिस्म्बर 2005 से पहले से **प्राथमिक रुप से वनभूमि पर निवास*** करते हों (भीतर या बाहर) और अपनी **आजीविका की वास्तविक जरूरतों*****के लिए वन या वनभूमि पर निर्भर हों

> *हिमाचल में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र जैसे किन्नौर, लाहौल-स्पीती और चंबा के भरमौर और पांगी के जनजातीय समुदाय जिनके अधिकार वन व राजस्व बंदोबस्त में दर्ज हैं और जनजातीय घुमंतू पशुपालक जैसे गद्दी और गुज्जर समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं।*

2. अन्य-परंपरागत वन निवासी [Other Traditional Forest Dweller- OTFD]

धारा 2 (ण)

- अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के सदस्य या समुदाय
- जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम **तीन पीढियों (75 साल) से प्राथमिक रुप से वनभूमि पर निवास**** (भीतर या बाहर) करते आ रहे हैं और अपनी **आजीविका की वास्तविक जरूरतों***** के लिये वन या वनभूमि पर निर्भर हैं

> *हिमाचल के वह गैर-जनजातीय समुदाय जिनके वन अधिकार राजस्व व वन बंदोबस्त में दर्ज हैं वो इस श्रेणी में आते हैं।*

** प्राथमिक रुप से निवास का अर्थ*

*9 जून 2008 को भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने 'प्राथमिक रुप से निवास' के अर्थ को स्पष्ट करते हुये कहा है की इसमें ऐसे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी शामिल होंगे जिनका घर/निवास (स्थायी या अस्थायी) या खुद की खेती की जमीन वन में या वनभूमि पर हो भले ही वह खुद वन के अन्दर या बाहर रहते हों। इसीलिये यह जरुरी नहीं है कि ऐसे वन निवासी वन में या वनभूमि पर रहते हों लेकिन अपनी आजीविका की वास्तविक जरुरतों के लिये उनका वनभूमि पर निर्भर होना जरुरी है। ऐसे सभी समुदाय वन अधिकार कानून की **धारा 2 (ग) और 2 (ण)** में 'वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति' और 'अन्य परंपरागत वन निवासी' की परिभाषा के दायरे में आयेंगे।*

*** तीन पीढ़ियों से प्राथमिक रूप से निवास का अर्थ*

'अन्य परम्परागत वन निवासी' के सन्दर्भ में 'प्राथमिक रूप से निवास' का यह अर्थ बिलकुल नहीं है कि जिस भूमि पर दावा किया जा रहा है उस पर दावेदार का 13 दिसंबर 2005 से 75 वर्ष पहला का कब्ज़ा हो। इसका अर्थ यह हैं कि दावेदार या ऐसे समुदाय जो 13 दिसंबर 2005 से 75 वर्ष (तीन पीढ़ियों) से पहले क्षेत्र के वन या वनभूमि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हों। धारा 2(ण) में परिभाषित अन्य परम्परागत वन निवासी का सन्दर्भ 'किसी सदस्य या समुदाय' से है इसीलिए कोई भी दावेदार व्यक्तिगत या समुदाय स्तर पर इस कानून के तहत अन्य परम्परागत वन निवासी के रूप में अपनी पात्रता स्थापित कर सकता है।

स्रोत: Frequently Asked Questions on the FRA जनजातीय मंत्रालय द्वारा प्रकशित

**** आजीविका की वास्तविक जरूरतों का अर्थ*

आजीविका की वास्तविक जरुरतों का मतलब इस कानून की धारा 3(1) में दिये गये अधिकारों में से किसी भी अधिकार के इस्तेमाल द्वारा अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने से है, जिसमें अतिरिक्त उत्पाद की बिक्री भी शामिल है। उदाहरण के लिए वनभूमि के अंदर निवास और खेती, जलावन की लकड़ी इकट्ठा करना, पशुओं की चराई, गैर-इमारती वन उत्पाद जैसे चिलगोजा और जड़ी-बूटी आदि का संग्रह और उपयुक्त यातायात के माध्यम से वन क्षेत्र के भीतर और बाहर परिवहन व बिक्री व आजीविका से जुड़े अन्य सभी प्रकार के वन उपयोगों (वन्य प्राणियों के शिकार को छोड़कर) को 'आजीविका की वास्तविक जरूरतें' माना जायेगा।

स्रोत: अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 संशोधित नियम 2012 के नियम 2(1)(ख), 2(1)(घ)।

2.3 किन अधिकारों को मान्यता देता है?

वन अधिकार वनों पर निर्भर समुदायों (FDST/ OTFD) के निम्न अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है और उनमें निहित करता है-
धारा 3(1)

1. व्यक्तिगत वन अधिकार

- वनभूमि, जो की व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन हो, पर निवास (घर) या आजीविका के लिए स्वयं खेती का अधिकार - ऐसी वनभूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार
धारा 3(1)(क)
- खेती से जुड़े कार्य जैसे पशु रखने, पछोरना और फसल कटाई के बाद के काम, चक्र में छोड़ी गई खाली भूमि, वृक्ष उपज और उत्पाद के भंडारण के लिए इस्तेमाल स्वयं खेती के अधिकार में शामिल हैं ***नियम 12 क (8)***
- अपनी वास्तविक जरूरतों के लिए 13 दिसंबर 2005 से पहले से ऐसी भूमि का उपयोग हो ***धारा 4(3)***
- ऐसी भूमि वास्तविक उपयोग मे आ रहे क्षेत्र तक सीमित होगी और किसी भी स्थिति मे इसका क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर से ज्यादा ना हो ***धारा 4(6)***

अन्य प्रकार के व्यक्तिगत वन अधिकार

- राज्य की किसी भी शब्दावली के अनुसार विवादित भूमि जहाँ दावे विवादित या लम्बित हों पर अधिकार। ***धारा 3(1)(च)***
- सरकार या स्थानीय अधिकारी द्वारा लीज़/ पट्टों/ अनुदान मे दी गयी भूमि को मल्कियत में बदलने का अधिकार। ***धारा 3(1)(छ)***
- सभी वन ग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित (बिना सर्वे किये गये) गावों और अन्य गावं मे बसने एव परिवर्तन का अधिकार है भले ही उनकी गणना या पंजीकरण राजस्व गावं के रुप मे हो या नहीं। ***धारा 3(1)(ज)***
- जहाँ 13 दिसंबर 2005 से पहले लोगों को किसी भी प्रकार की वनभूमि से बिना पुनर्वास के गैरकानूनी रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया हो वहां यथावत पुनर्वास का अधिकार। ***धारा 3(1)(ड)***
- ऊपर दिये गये सभी अधिकारो के अलावा अन्य कोई पारम्परिक अधिकार यदि कोई हो। ***धारा 3(1)(ठ)***

इस कानून के तहत ऊपर दिये गये वन अधिकारों की मान्यता के लिये दावेदारों को दावा फ़ार्म 'क' भरना होगा। इसकी विस्तृत जानकारी भाग 3 में दी गयी है।

2. सामुदायिक वन अधिकार

- वन या वनभूमि पर सामुदायिक उपयोग के अधिकार जैसे चराई, घास, लकड़ी, जड़ी-बूटी, देवस्थल, पानी के स्रोत, रास्ते, जैव-विविधता आदि
- अपनी वास्तविक जरूरतों के लिए 13 दिसंबर 2005 से पहले से ऐसी भूमि का उपयोग हो ***धारा 4(3)***

अन्य प्रकार के सामुदायिक वन अधिकार

- सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार जो राजाओं/जमींदारी/अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हों ***धारा 3(1)(ख)***
- पारम्परिक रुप से गावं की सीमा के भीतर या बाहर इकट्ठा किये गये गौण वन उत्पाद पर मालिकाना, इकट्ठा व उपयोग करने, उसे बेचने के लिये पहुंच का अधिकार ***धारा 3(1)(ग)***
- खड्ड-नालों से मछली या अन्य उत्पादों का सामुदायिक उपयोग करने का अधिकार ***धारा 3(1)(घ)***
- राज्य की किसी भी शब्दावली के अनुसार विवादित भूमि जहाँ दावे विवादित या लम्बित हों पर अधिकार ***धारा 3(1)(च)***
- सभी वन ग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित (बिना सर्वे किये गये) गावों और अन्य गावं मे बसने एवं परिवर्तन का अधिकार है भले ही उनकी गणना या पंजीकरण राजस्व गावं के रुप मे हो या नहीं ***धारा 3(1)(ज)***
- घुमन्तु पशुपालकों को मौसमी व स्थायी चराई और पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच का अधिकार ***धारा 3(1)(घ)***
- जैव-विविधता तक पहुँच और सांस्कृतिक व जैव विविधता से जुड़े पारम्परिक ज्ञान एवं बौद्धिक सम्पदा पर सामुदायिक अधिकार। जैसे देव स्थलों एवं जड़ी-बूटी आदि ***धारा 3(1)(ट)***
- किसी भी वन्य जीव का शिकार या अन्य कोई नुकसान को छोड़कर बाक़ी सारे पारम्परिक अधिकार जिनको ऊपर दिये अधिकारों में शामिल न किया गया हो। ***धारा 3(1)(ठ)***
- ऐसे अधिकार, जिनको राज्य या स्वशासी जिला/ क्षेत्रीय परिषद के कानूनों के अनुसार मान्यता दी गयी है या जिन्हे राज्य की किसी पारम्परिक कानून के तहत जनजातियों के अधिकारो के रुप में स्वीकार किया गया है। ***धारा 3(1)(ञ)***

इस कानून के तहत ऊपर दिये गये वन अधिकारों की मान्यता के लिये दावेदारों को दावा फ़ार्म 'ख' भरना होगा। इसकी विस्तृत जानकारी भाग 3 में दी गयी है।

3. सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन का अधिकार

- वन या वनभूमि के संसाधनों की रक्षा, प्रबंधन, संरक्षण और पुर्नजीवित करने का अधिकार ***धारा 3(1)(झ)***
- ऐसे वन संसाधन जिसके सतत उपयोग के लिये समुदाय परम्परागत रुप से सुरक्षा व संरक्षण करते आ रहे हैं

सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन के लिये हकदारों के कर्त्तव्य

धारा 5

- आस पास के जलागम क्षेत्र, जल स्त्रोत और अन्य पारिस्थितिकीय रुप से संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित रखना
- यह सुनिश्चित करना की वन मे निवास करने वाले समुदायों का निवास किसी भी प्रकार की विनाशकारी गतिविधियो से संरक्षित हो, जो उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करती है
- यह सुनिश्चित करना की सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को नियन्त्रित करने और वन, वन्य जीव और जैव-विविधिता को नुकसान करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिये ग्राम सभा द्वारा लिये गये निर्णयों का पालन हो
- वन्य जीव, वनों और जैव विविधता का सरंक्षण करना

*इस कानून के तहत ऊपर दिये गये वन अधिकारो की मान्यता के लिये दावेदारों को दावा **फ़ार्म 'ग'** भरना होगा। इसकी विस्तृत जानकारी **भाग 3** में दी गयी है।*

4. विकास का अधिकार

1980 के वन सरंक्षण कानून के प्रावधानों के होते हुये भी वन अधिकार कानून के तहत (केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना) 13 प्रकार की सरकारी विकास योजनाओं के लिये वनभूमि का हस्तांतरण किया जा सकता है ***धारा 3(2)*** बशर्ते

- वनभूमि 1 हेक्टेयर से अधिक न हों और जिसमें 75 से अधिक पेड़ न कटें
- यूजर एजेंसी (जिम्मेदार विभाग जैसे सड़क निर्माण के लिये लोक निर्माण विभाग) द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जायेगा
- ग्राम सभा को प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का अधिकार

13 प्रकार की विकास योजनायें

- स्कूल/ विद्यालय
- प्राथमिक चिकित्सालय/ उपचार केंद्र
- आंगनबाड़ी
- उचित कीमत की दुकानें
- विद्युत और दूरसंचार लाइनें
- टंकियां और अन्य लघु जलाशय
- पेय जल की आपूर्ति और जल पाइपलाइनें
- जल और बारिश का पानी जमा करने के ढाँचे
- सिंचाई के लिए लघु/ छोटी मोटी नहरें
- अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत
- कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र
- सड़कें
- सामुदायिक केंद्र

2.4 किस भूमि के लिए?

किसी भी प्रकार की भूमि जो किसी भी **वन** * क्षेत्र में पड़ती हो –

- अवर्गीकृत / अघोषित वन (अन्क्लासीफाइड फोरेस्ट),
- असिमांकित वन (UF),
- मौजूदा या समझे गये वन, संरक्षित वनों (PF),
- आरक्षित वन (रिजर्व फोरेस्ट- RF),
- अभयारण्य (सैंक्चुअरी) और
- राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क)

**** वन अधिकार कानून में 'वनभूमि' का अर्थ***

*वन अधिकार कानून मे 'वनभूमि' का मतलब है ऐसी किसी भी प्रकार की भूमि जो किसी भी वन क्षेत्र में आती हो और वनभूमि के रूप में सरकार के दस्तावेजों में दर्ज़ हो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गोदावर्मन केस में दिए आदेश के अनुसार वन सरंक्षण क़ानून, 1980 की **धारा 2(घ)** में जिक्र की गयी वनभूमि का अर्थ केवल डिक्शनरी (शब्दकोश) में बताये गए वन से नहीं बल्कि उन सभी भूमि से है जो सरकारी दस्तावेजों में वनभूमि की श्रेणी में दर्ज़ है भले ही उन पर मालिकाना हक किसी का भी हो।*

स्रोत : Frequently Asked Questions on the FRA जनजातीय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित

2.5 किसकी ज़िम्मेदारी है?

वन अधिकार क़ानून को लागू करने में निम्न समितियों/ संस्थाओं/ विभागों की ज़िम्मेदारी है:

1. ग्राम सभा और वन अधिकार समिति

- **ग्राम सभा**
  - गावं/ मुहाल/ तोक/ हेमलेट स्तर पर बनी ग्राम सभा जिसमे 18 साल से बड़े सब लोग शामिल हैं। इस कानून को प्रभावी और सहभागी बनाने के लिये ग्राम सभा को अहम भूमिका दी गयी है।
  - ग्राम सभा का कोरम तभी पूरा माना जायेगा जब 50% से ज्यादा व्यस्क सदस्य उपस्थित हों और उसमें से एक तिहाई महिलाएं हों

- **वन अधिकार समिति (Forest Rights Committee- FRC)**
  - ग्राम सभा द्वारा गठित समिति जो कानून को लागू करने में ग्राम सभा की सहायता करेगी। ग्राम सभा द्वारा 10-15 लोग इसके सदस्य चुने जाते हैं।
  - इसमें से 2/3 जनजातीय समुदाय से होंगे और जहां जनजाति न हों तो अन्य परम्परागत निवासी के सदस्य होंगे । समिति में 1/3 महिला सदस्यों का होना आवश्यक है ।

2. उप-मंडल स्तरीय समिति
Sub Divisional Level Committee (SDLC)

राज्य सरकार द्वारा उप-मंडल स्तर पर गठित 6 सदस्यों की समिति जिसमें-

- उप-मंडल अधिकारी - समिति अध्यक्ष
- वन विभाग का कोई भी अधिकारी जो उप-मंडल स्तर पर प्रभारी हो
- जनजातीय विभाग का अधिकारी या अन्य अधिकारी जिनके पास उप-मंडल स्तर पर जन जातीय मामलों का ज़िम्मा हो जैसे हिमाचल में तहसीलदार (गैर जन जातीय क्षेत्रों में) तथा जन जातीय विभाग के अधिकारी (जन जातीय क्षेत्रों में)
- तीन सदस्य: ज़िला पंचायत/परिषद चुने गये ब्लॉक पंचायत समिति के सदस्य - जिसमें दो सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के हों (और जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं है वहां दो सदस्य अन्य परम्परागत वन निवासी हो सकते हैं) और एक महिला सदस्य होनी चाहिए

3. जिला स्तरीय समिति
District Level Committee (DLC)

राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर गठित 6 सदस्यों की समिति जिसमें-

- डिप्टी कमिश्नर/ जिलाधीश - समिति अध्यक्ष
- जिला स्तर पर जो भी डी.ऍफ़.ओ जिम्मेदार हो
- जनजातीय विभाग का अधिकारी या अन्य अधिकारी जिनके पास ज़िला स्तर पर जनजातीय मामलों का ज़िम्मा हो जैसे हिमाचल में ए.डी.सी. (अतिरिक्त जिला उपायुक्त)/ ए.डी.एम. (अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी) (गैर जनजातीय क्षेत्रों में) तथा परियोजना अधिकारी ए. ज. जा. वि. प. (जनजातीय क्षेत्रों में)
- जिला पंचायत द्वारा चुने गये तीन जिला परिषद् के सदस्य जिसमें दो सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के हों (और जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं है वहां दो सदस्य अन्य परम्परागत वन निवासी हो सकते हैं) और एक महिला सदस्य होनी चाहिए

4. राज्य स्तरीय निगरानी समिति (State Level Monitoring Committee- SLMC)

सरकार द्वारा राज्य स्तर पर गठित समिति जिसमें-

- प्रमुख सचिव, सरकार हिमाचल प्रदेश - समिति अध्यक्ष
- सचिव - राजस्व विभाग
- सचिव- जनजातीय या सामाजिक कल्याण विभाग
- सचिव - वन विभाग
- सचिव- पंचायती राज विभाग
- प्रधान मुख्य अरण्यपाल
- जनजातीय सलाहकार परिषद् के तीन अनुसूचित जनजाति सदस्य जिन्हें राज्य सरकार चुनती है
- कमिश्नर- जनजातीय विभाग या उनके बराबर का कोई अधिकारी- जो इस समिति के सचिव होंगे

ग्राम सभा व अन्य सभी समितियों की जिम्मेदारी व भूमिका जानने के लिए इस किताब का पृष्ठ 86-89 देखें

किन विभागों की जवाबदारी

- **जनजातीय मंत्रालय** (Ministry of Tribal Affairs- MoTA) - केंद्र स्तर पर आदेश, निर्णय और स्पष्टीकरण जारी करने की जिम्मेदारी
- **जनजातीय विभाग** – राज्य स्तर पर इस कानून के लिए नोडल विभाग
- **पंचायती राज विभाग** – प्रशिक्षण व् अन्य ज़मीनी समर्थन
- **वन विभाग**- दावों की जांच, सत्यापन व अधिकारों का दस्तावेजीकरण
- **राजस्व विभाग**- दावों की जांच, सत्यापन व अधिकारो का दस्तावेजीकरण

2.6 कैसा वन अधिकार मान्यता पत्र (टाइटल) दिया जाएगा ?

- दावेदार को वनभूमि पर उपयोग का कानूनी अधिकार मिलता है
- वन अधिकार मान्यता पत्र/टाइटल एक हस्ताक्षरित दस्तावेज है
- पति-पत्नी दोनों के नाम पर पंजीकृत होगा
- राजस्व व वन विभाग के दस्तावेजों (जैसे जमाबंदी) में दर्ज होगा
- प्राप्त वन अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में जाएंगे ***धारा 4(4)***
- प्राप्त वन अधिकार किसी को बेचे या हस्तांतरित नहीं किये जा सकते ***धारा 4(4)***
- प्राप्त वन अधिकार मान्यता पत्र/टाइटल में ज़मीन की सीमाओं के अलावा खसरा और खतौनी नम्बर की विस्तृत जानकारी होना ज़रूरी है

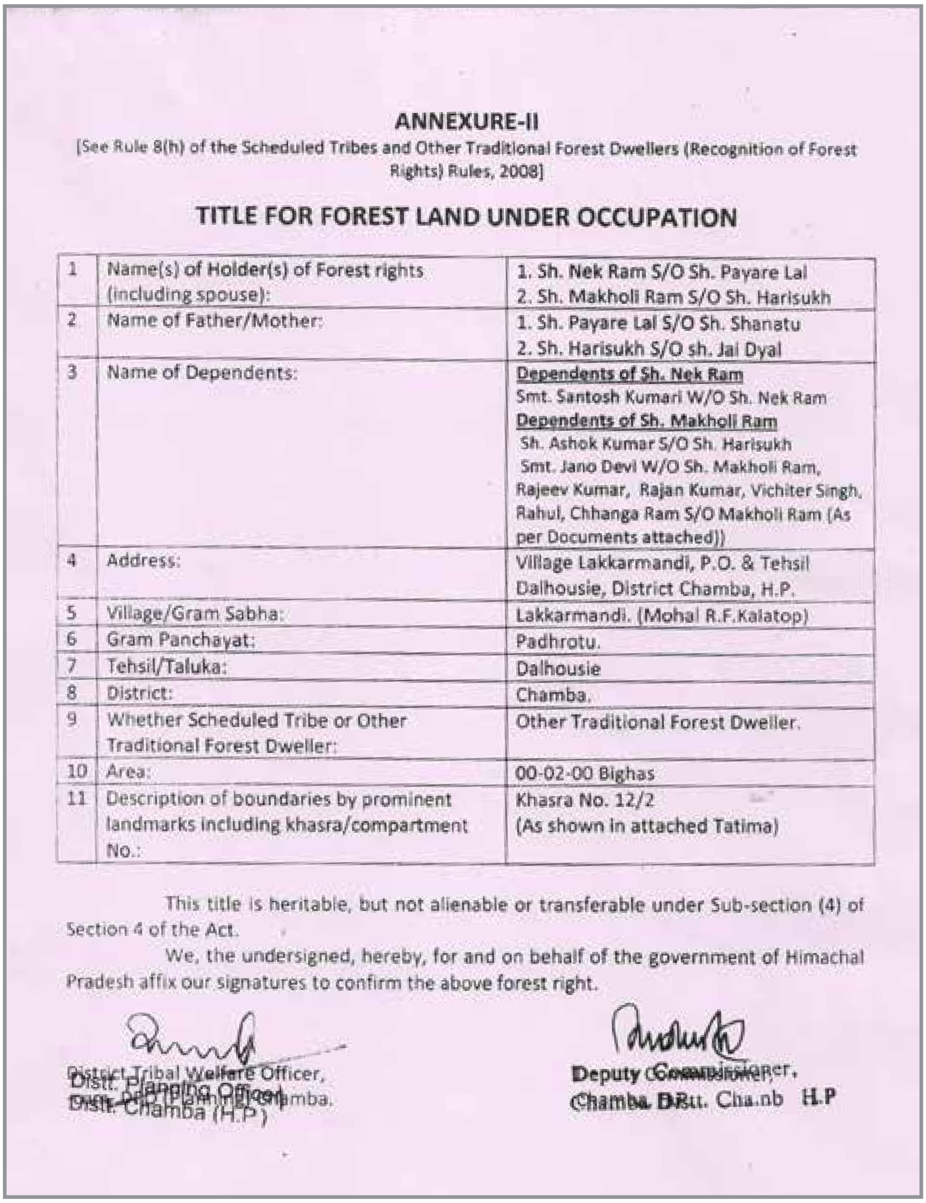

ANNEXURE-II

[See Rule 8(h) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008]

TITLE FOR FOREST LAND UNDER OCCUPATION

1	Name(s) of Holder(s) of Forest rights (including spouse):	1. Sh. Nek Ram S/O Sh. Payare Lal 2. Sh. Makholi Ram S/O Sh. Harisukh
2	Name of Father/Mother:	1. Sh. Payare Lal S/O Sh. Shanatu 2. Sh. Harisukh S/O sh. Jai Dyal
3	Name of Dependents:	Dependents of Sh. Nek Ram Smt. Santosh Kumari W/O Sh. Nek Ram Dependents of Sh. Makholi Ram Sh. Ashok Kumar S/O Sh. Harisukh Smt. Jano Devi W/O Sh. Makholi Ram, Rajeev Kumar, Rajan Kumar, Vichiter Singh, Rahul, Chhanga Ram S/O Makholi Ram (As per Documents attached))
4	Address:	Village Lakkarmandi, P.O. & Tehsil Dalhousie, District Chamba, H.P.
5	Village/Gram Sabha:	Lakkarmandi. (Mohal R.F.Kalatop)
6	Gram Panchayat:	Padhrotu.
7	Tehsil/Taluka:	Dalhousie
8	District:	Chamba.
9	Whether Scheduled Tribe or Other Traditional Forest Dweller:	Other Traditional Forest Dweller.
10	Area:	00-02-00 Bighas
11	Description of boundaries by prominent landmarks including khasra/compartment No.:	Khasra No. 12/2 (As shown in attached Tatima)

This title is heritable, but not alienable or transferable under Sub-section (4) of Section 4 of the Act.

We, the undersigned, hereby, for and on behalf of the government of Himachal Pradesh affix our signatures to confirm the above forest right.

District Tribal Welfare Officer, Distt. Chamba. / Distt. Planning Officer, Distt. Chamba (H.P)

Deputy Commissioner, Chamba Distt. Chamba H.P

03
प्रक्रिया

3.1 वन अधिकारों को मान्यता मिलने की प्रक्रिया

3.2 वन अधिकार दावा फ़ार्म कैसे भरें?

3.3 वन अधिकार कानून के तहत अपील और सुनवाई की प्रक्रिया

3.4 परिशिष्ट

3.1 वन अधिकारों के मान्यता मिलने की प्रक्रिया

- इस उप-भाग में '**वन अधिकारों के मान्यता की प्रक्रिया**' को 9 चरणों में समझाया गया है।
- इसमें तीनों प्रकार के '**वन अधिकारों के मान्यता की प्रक्रिया**' को एक साथ बताया गया है।
- हर चरण में किये जाने वाले प्रस्ताव और कार्यवाही के नमूने उप-भाग 3.4 में सूचीवार दिए गए हैं।

प्रक्रिया के हर चरण में कार्यवाही के साथ ज़िम्मेदार व्यक्ति/संस्था की विस्तृत जानकारी दी गयी है।

कार्यवाही के ठीक नीचे दिए गए 'ध्यान रहे' भाग को देखना न भूलें।

अगले चरण में जाने से पहले पिछले चरण की कार्यवाही पूरी कर लें।

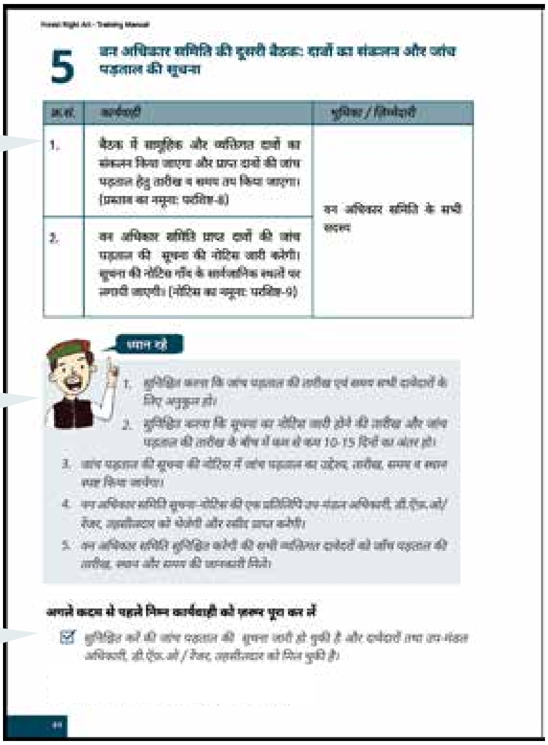

Forest Right Act - Training Manual

5 वन अधिकार समिति की दूसरी बैठक: दावों का संकलन और जांच पड़ताल की सूचना

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका / जिम्मेदारी
1.	बैठक में सामूहिक और व्यक्तिगत दावों का संकलन किया जाएगा और प्राप्त दावों की जांच पड़ताल हेतु तारीख व समय तय किया जाएगा। (प्रस्ताव का नमूना: परिशिष्ट-8)	वन अधिकार समिति के सभी सदस्य
2.	वन अधिकार समिति प्राप्त दावों की जांच पड़ताल की सूचना की नोटिस जारी करेगी। सूचना की नोटिस गाँव के सार्वजनिक स्थलों पर लगायी जाएगी। (नोटिस का नमूना: परिशिष्ट-9)	

ध्यान रहे

1. सुनिश्चित करना कि जांच पड़ताल की तारीख एवं समय सभी दावेदारों के लिए अनुकूल हो।
2. सुनिश्चित करना कि सूचना का नोटिस जारी होने की तारीख और जांच पड़ताल की तारीख के बीच में कम से कम 10-15 दिनों का अंतर हो।
3. जांच पड़ताल की सूचना की नोटिस में जांच पड़ताल का उद्देश्य, तारीख, समय व स्थान स्पष्ट किया जायेगा।
4. वन अधिकार समिति सूचना-नोटिस की एक प्रतिलिपि उप-मंडल अधिकारी, डी.एफ.ओ/रेंजर, तहसीलदार को भेजेगी और रसीद प्राप्त करेगी।
5. वन अधिकार समिति सुनिश्चित करेगी की सभी व्यक्तिगत दावेदारों को जांच पड़ताल की तारीख, स्थान और समय की जानकारी मिले।

अगले कदम से पहले निम्न कार्यवाही को ज़रूर पूरा कर लें

☑ सुनिश्चित करें की जांच पड़ताल की सूचना जारी हो चुकी है और दावेदारों तथा उप-मंडल अधिकारी, डी.एफ.ओ / रेंजर, तहसीलदार को मिल चुकी है।

44

1 ग्राम पंचायत बैठक
ग्राम सभा का गठन

2 पहली ग्राम सभा बैठक
वन अधिकार समिति का गठन

3 वन अधिकार समिति की बैठक
सामूहिक वन अधिकार दावों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

4 साझी ग्राम सभाओं के वन अधिकार समिति के सदस्यों की बैठक
साझे वन अधिकारों पर सहमति

9 ज़िला स्तरीय समिति की बैठक
दावों का निपटारा

8 उप-मंडल स्तरीय समिति की बैठक
ग्राम सभा द्वारा सौंपे गए दावों का सत्यापन

7 ग्राम सभा बैठक
जांच पड़ताल के निष्कर्षों पर निर्णय लेना

6 जांच पड़ताल की कार्यवाही
दावों के स्वरूप, विस्तार और साक्ष्यों की जांच/सत्यापन

5 वन अधिकार समिति की अगली बैठक
दावों का संकलन और जांच पड़ताल की सूचना

इस चित्र में वन अधिकारों को मान्यता मिलने की प्रक्रिया के 9 चरणों को संक्षिप्त में दर्शाया गया है

1 ग्राम पंचायत बैठक
ग्राम सभा का गठन

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वन अधिकार क़ानून की प्रक्रिया को शुरू व क्रियान्वयन करने के लिए हर पंचायत अपने क्षेत्रीय सीमा में इस कानून के अंतर्गत ग्राम सभा का गठन करे।

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका / ज़िम्मेदारी
1.	पंचायत अपनी बैठक में यह निर्णय लेगी कि पंचायत में गाँव या तोक स्तर (हेमलेट) पर या एक से अधिक गांवों को मिलाकर (जहाँ जनसंख्या बहुत कम हो) कितनी ग्राम सभाओं का गठन करना है। हर प्रस्तावित ग्राम सभा की बैठक की तिथि व जगह तय करके इसका प्रस्ताव पंचायत कार्यवाही रजिस्टर में लिखेगी और पारित करेगी। ***नियम-2क (क)*** ***(प्रस्ताव का नमूना: परिशिष्ट-1)***	सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधि जैसे प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्य और पंचायत सचिव उपस्थित होंगे।
2.	प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि उप-मंडल स्तरीय समिति को भेजेगी। ***नियम-2क (क)***	पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य, उप-प्रधान की जिम्मेदारी है कि अपनी-अपनी ग्राम सभा में बैठक का आयोजन करेंगे और सूची को ग्राम सभा से पारित करवाएंगे।
3.	नोटिस निकालेगी और गाँव के लोगों को ग्राम सभा बैठक की सूचना देगी। ***(नोटिस का नमूना: परिशिष्ट-2)***	
4.	प्रत्येक चयनित ग्राम सभा को कार्यवाही लिखने के लिए अलग रजिस्टर उपलब्ध कराएगी।	

ध्यान रहे

1. वन अधिकार कानून के तहत बनने वाली ग्राम सभा पंचायत स्तर पर बनने वाली ग्राम सभा से अलग होगी। पहले इसका गठन गाँव/तोक स्तर (हेमलेट)/ मुहाल स्तर पर होगा जिसके सभी व्यस्क सदस्य (महिला और पुरुष) ग्राम सभा के सदस्य होंगे।

2. हिमाचल में ऐसी ग्राम सभा बैठक करा कर वन अधिकार समितियों का गठन किया जा चुका है। इस संदर्भ में पंचायत सचिव से वन अधिकार समिति के सदस्यों की सूची और ग्राम सभा का प्रस्ताव रजिस्टर लिया जा सकता है।
3. ग्राम सभा को अपने गाँव में वन अधिकार की प्रक्रिया को शुरु करने के लिए अगले चरण में दी गयी "पहली ग्राम सभा बैठक" की कार्यवाही पूरी करनी होगी।

अगले कदम से पहले निम्न कार्यवाही को ज़रूर पूरा कर लें

- [x] बैठक की कार्यवाही का प्रस्ताव उप-मंडल स्तरीय समिति को भेज दें।
- [x] सुनिश्चित करें कि पहली ग्राम सभा का नोटिस जारी हो चुका है और गाँव के सार्वजनिक स्थलों पर लगा दिया है।

2 पहली ग्राम सभा बैठक
वन अधिकार समिति का गठन

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका / ज़िम्मेदारी
1.	ग्राम सभा की पहली बैठक प्रधान या वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में आयोजित होगी जिसमें निम्न प्रस्ताव करने होंगे। ***(प्रस्ताव का नमूना : परिशिष्ट - 3)***	ग्राम सभा के सभी व्यस्क सदस्य उपस्थित रह सकते हैं व पंचायत सचिव बैठक की कार्यवाही लिखेगा/गी।

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका / ज़िम्मेदारी
2.	इस बैठक में ग्राम सभा वन अधिकार समिति के 10 से 15 सदस्य चुनेगी। समिति के सदस्य अपने बीच में से वन अधिकार समिति के प्रधान व सचिव का चयन करेंगे। ***नियम-3(1),(2)***	पंचायत सचिव वन अधिकार समिति के सदस्यों की सूची का प्रस्ताव उप-मंडल स्तरीय समिति को भेजेगा/गी।
3.	दूसरे प्रस्ताव में, ग्राम सभा सदस्यों से दावे आमंत्रित करेगी और वन अधिकार समिति को कानून अनुसार तीन महीने की अवधि में दावे स्वीकार करने के लिए अधिकृत करेगी। दावे संलग्न फ़ार्म और नियम 13 में दिए गए साक्ष्यों में से कम से कम 2 साक्ष्य के साथ स्वीकार किये जायेंगे (यदि आवश्यकता लगे तो उचित कारण देते हुए तीन महीने की अवधि को बढ़ा भी सकते हैं)। ***नियम-11(1)(क)***	उप-मंडल स्तरीय समिति की ज़िम्मेदारी है कि किसी अधिकारी को ग्राम सभा में भेजे, जो ग्राम सभा को निम्न जानकारी दे: • कानून में लिखित उद्देश्य व प्रक्रिया के बारे में, • ग्राम सभा, उप-मंडल स्तरीय समिति व वन अधिकार समिति की ज़िम्मेदारी के बारे में, • जीव-जंतु के संरक्षण व सुरक्षा के बारे में लोगों का दायित्व अधिकारी ग्राम सभा सदस्यों को नि:शुल्क दावा फ़ार्म उपलब्ध कराये ***नियम-6(क),(ट),(ठ)***
4.	तीसरे प्रस्ताव में, ग्राम सभा वन अधिकार समिति को पूरे गाँव की तरफ से सामूहिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावे तैयार करने के लिए अधिकृत करेगी जिसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों को प्राप्त करेगी और व्यक्तिगत दावों को प्राप्त करेगी। ***नियम-11(4)***	वन अधिकार समिति की ज़िम्मेदारी हैं कि निम्न दस्तावेज़ों जैसे मतदाता सूची, नक्शे, नक्शा-हक-बर्तन, वाजिब-उल-अर्ज़ और जमाबंदी की माँग उप-मंडल स्तरीय समिति से करे। ***नियम-6(ख), नियम-12(4) (आवेदन-पत्र का नमूना: परिशिष्ट 4)***
5.	चौथे प्रस्ताव में, ग्राम सभा सामुदायिक वन संसाधनों को निर्धारित करने की प्रक्रिया को शुरू करने की तारीख तय करेगी और साथ	

	लगती वन अधिकार समितियों (जिनके साथ साझे सामुदायिक हक़ बर्तन हैं) को सूचना देने व सामुदायिक अधिकारों पर सहमति बनाने के लिए अधिकृत करेगी। ***नियम-11(1)(ख)***	वन अधिकार समिति साथ लगती ग्राम सभा और उप-मंडल स्तरीय समिति, दोनों को सूचित करेगी।
6.	प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि उप-मंडल स्तरीय समिति को भेजेगी। ***नियम-11(1)(ख***	

ध्यान रहे

1. वन अधिकार कानून के अंतर्गत ग्राम सभा का कोरम तभी पूरा माना जायेगा जब 50% से ज्यादा व्यस्क सदस्य बैठक में उपस्थित होंगे और उसमें से एक तिहाई महिलाओं का होना आवश्यक है। प्रस्तावों को मौजूदा सदस्यों द्वारा बहुमत देकर पास किया जाएगा। ***नियम-4(2)***
2. वन अधिकार समिति में कम से कम 10 और अधिकतम 15 सदस्य होंगे इसमें से 2/3 जनजातीय समुदाय से होंगे और जहां जनजाति न हों तो अन्य परम्परागत निवासी के सदस्य होंगे । समिति में 1/3 महिला सदस्यों का होना आवश्यक है । उदाहरण के लिए 15 सदस्यों की समिति में कम से कम 5 सदस्य महिलाएं व 10 सदस्य अनुसूचित जनजाति से होना अनिवार्य है। ***नियम-3(1)***
3. अगर उप-मंडल स्तरीय समिति से कोई अधिकारी ग्राम सभा में नहीं आता तो वन अधिकार समिति के प्रधान व सचिव उप-मंडल स्तरीय समिति से दावा फ़ार्म और अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता सूची, नक़्शे, नक्शा-हक-बर्तन, वाजिब-उल-अर्ज़ और जमाबंदी की माँग करेंगे और उप-मंडल स्तरीय समिति की ज़िम्मेदारी है की वह वन अधिकार समिति को यह दस्तावेज उपलब्ध कराये। ***नियम-6(ख) व नियम-12(4)***
4. वन अधिकार समिति उप-मंडल स्तरीय समिति से दावा **फ़ार्म ‘क’, ‘ख’, ‘ग’** प्राप्त होने के बाद दावा फ़ार्म ‘क’ व्यक्तिगत दावेदारों को उपलब्ध कराएगी। ***नियम 6 (ठ)***
5. बैठक के उपरान्त पंचायत सचिव द्वारा वन अधिकार समिति का रजिस्टर ग्राम सभा को सौंप दिया जाएगा।

स्रोत- संख्या:पी.सी.एच एच.ए(14)4/2006-10402-93 दिनांक: 02/02/2019

अगले कदम से पहले निम्न कार्यवाही को ज़रूर पूरा कर लें

- ☑ सुनिश्चित करें कि पंचायत सचिव ने वन अधिकार समिति के सदस्यों की सूची उप-मंडल अधिकारी को प्रेषित कर दी है।
- ☑ वन अधिकार समिति ने उप-मंडल स्तरीय समिति से दावा **फ़ार्म 'क', 'ख',** और **'ग'** और अन्य दस्तावेज़ों के लिए आवेदन कर दिया है।
- ☑ वन अधिकार समिति को दावा फ़ार्म प्राप्त होने के बाद दावा **फ़ार्म 'क'** व्यक्तिगत दावेदारों को दे दिया गया हैं।
- ☑ **फ़ार्म 'ख'** और **'ग'** भरने के लिए जरूरी दस्तावेज़ प्राप्त कर लिए हैं।

3 वन अधिकार समिति की बैठक

सामूहिक वन अधिकार दावों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका / ज़िम्मेदारी
1.	वन अधिकार समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें समिति द्वारा नीचे दिए कार्य किये जायेंगे। ***(प्रस्ताव का नमूना: परिशिष्ट-5)***	सभी वन अधिकार समिति सदस्य। बैठक की कार्यवाही वन अधिकार सचिव लिखेगा/गी।
2.	वन अधिकार समिति दावा **फ़ार्म 'ख'** व **'ग'** को भरने का कार्य करेगी जिसके तहत गाँव के दावेदारों की सूची के लिए दावेदार रजिस्टर बनाएगी। (दावा **फ़ार्म 'ख'** व **'ग'** कैसे भरना है यह जानकारी पृष्ठ 49 से 54 पर देखें) ***नियम- 4(1)(ख) व नियम- 11(2)(ii)***	वन अधिकार समिति सदस्य।
3.	दावा **फ़ार्म 'ग'** के लिए अपना सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र (वह वन संसाधन क्षेत्र है जिसे सतत उपयोग के लिये समुदाय परम्परागत रुप से सुरक्षित व संरक्षित करते आ रहे हैं) की सीमा का नक्शा बनाएगी जिसमें सरंक्षण व प्रबंधन के अधिकार के लिए दावा किया जाएगा। ***नियम- 12(1) (छ)***	वन अधिकार समिति सदस्य व गाँव के बुजर्ग और वनों के बारे में जानकार लोग।
4.	जिन ग्राम सभाओं के साथ साझा हक है उनके साथ साझी बैठक की तारीख तय करेगी। ***(नोटिस का नमूना: परिशिष्ट- 6) नियम- 12(3)***	वन अधिकार समिति सचिव सूचना देगा।

5.	तय की गयी तारीख से व्यक्तिगत दावेदारों द्वारा भरे दावा फ़ार्म 'क' लेने के लिए वन अधिकार समिति के अध्यक्ष व सचिव को ज़िम्मेदारी देगी और उन्हें दावा फ़ार्म भरने में सहायता करेगी। ***नियम- 11(2)(i)*** (दावा फ़ार्म 'क' कैसे भरना है यह जानकारी पृष्ठ 45 से 48 पर देखें)	सभी वन अधिकार समिति सदस्य।

ध्यान रहे

1. दावेदारों की सूची "मतदाता सूची" से या परिवार रजिस्टर से देखकर बनायी जा सकती है । दावा **फ़ार्म 'ख'** और **'ग'** के लिए दावेदारों की एक ही सूची बनाएँ जिसमें ग्राम सभा के सभी पात्र व्यस्क सदस्यों के नाम श्रेणी वार –'अनुसूचित जनजाति' या 'अन्य परम्परागत वन निवासी'- लिखे जायेंगे ।
2. जिन क्षेत्रों/जिलों में नक्शा-हक-बर्तन दस्तावेज़ उपलब्ध है वहां **फ़ार्म 'ख'** इसी दस्तावेज़ के हिसाब से भरें क्योंकि इसमें खसरा संख्या, क्षेत्रफल और वन अधिकार लिखे हुए हैं।
3. जिन ज़िलों में नक्शा-हक-बर्तन नहीं है वहां वाज़िब-उल-अर्ज़ और वन बंदोबस्त रिपोर्ट से वन अधिकारों की जानकारी **फ़ार्म 'ख'** में भर सकते हैं। साथ ही गाँव की जमाबंदी से खसरा संख्या व क्षेत्रफल भर सकते हैं। **फ़ार्म 'ख'** में घुमंतू पशु पालकों की जानकारी, पूजा स्थान, जैव विविधता और पारम्परिक ज्ञान की जानकारी अलग से भरें ।
4. **फ़ार्म 'ग'** में गांव के सामुदायिक वन संसाधनों के पारम्परिक उपयोग की सीमा को नक्शे के माध्यम से दर्शाना है और यह नक्शा गाँव के जानकार लोगों के साथ मिलकर हाथ से बनाया जा सकता है या राजस्व विभाग या वन विभाग से प्राप्त नक्शों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उन्हें पत्राचार द्वारा ***नियम 12(4)*** के तहत सहायता के लिए बुलाया जा सकता है ।
5. **फ़ार्म 'क'** हर व्यक्तिगत दावेदार को स्वयं भरना होगा और साक्ष्य जुटाने होंगे। दावा फ़ार्म भरने के बाद कम से कम दो साक्ष्यों सहित **फ़ार्म 'क'** वन अधिकार समिति सचिव को जमा कराएँ और रसीद अवश्य ले लें ।
6. जो भी सदस्य व्यक्तिगत दावे भर रहे हैं उन्हें पटवारी या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा जारी परचा ततीमा **फ़ार्म 'क'** के साथ संलग्न करने को कहें नहीं तो जांच पड़ताल के समय दावा क्षेत्र का मापन करना पड़ेगा जिसमें बहुत समय लग सकता है।

7. इस बैठक में वन अधिकार समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
8. दावा **फ़ार्म 'क','ख'** व **'ग'** कैसे भरना है यह जानकारी पृष्ठ 45 से 54 में विस्तृत रूप से दी गयी है।

अगले कदम से पहले निम्न कार्यवाही को ज़रूर पूरा कर लें

- ☑ सुनिश्चित करें कि **फ़ार्म 'ख'** और **'ग'** भर लिये गये हैं।
- ☑ साथ लगती ग्राम सभाओं को साझी बैठक कि तारीख की सूचना मिल चुकी है।

4 साझी ग्राम सभाओं के वन अधिकार समिति के सदस्यों की बैठक

साझे वन अधिकारों पर सहमति

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका / ज़िम्मेदारी
1.	जिन ग्राम सभाओं के साथ वनभूमि पर साझे हक़-बर्तन हैं उनकी वन अधिकार समितियों के सदस्यों की साझी बैठक होगी। ***नियम- 12(3)***	सभी संबंधित वन अधिकार समितियों के सदस्य।
2.	वन अधिकारों और उसकी सीमाओं पर सहमति बनाना और प्रस्ताव पारित करना। ***(सहमति प्रस्ताव का नमूना: परिशिष्ट-7)***	

ध्यान रहे

1. अगर साझी बैठक में वन अधिकार समितियों की आपसी सहमति किन्ही कारणों से नहीं बन पाती है तो सम्बंधित ग्राम सभा उक्त कार्यवाही लिखित रूप में दर्ज करेगी और उसे उप-मंडल स्तरीय समिति को भेजेगी। ***नियम- 12(3)***
2. उप-मंडल स्तरीय समिति ग्राम सभाओं के बीच समझौता कराएगी और अगर समझौता नहीं होता तो उचित आदेश पारित करेगी। ***नियम- 6(च) व नियम- 14(7)***

अगले कदम से पहले निम्न कार्यवाही को ज़रूर पूरा कर लें

- ☑ साझी ग्राम सभाओं से सहमती पत्र प्राप्त हो चुका है।
- ☑ वन अधिकार समिति को सुनिश्चित करना चाहिये कि सभी व्यक्तिगत दावेदारों ने अपना दावा-पत्र **(फ़ार्म 'क')** प्रस्तुत कर दिया है।
- ☑ दावों का संकलन अगली वन अधिकार समिति की बैठक में किया जाएगा। पर यह बैठक ग्राम सभा द्वारा तय दावा पत्रों को स्वीकार करने की अंतिम तिथि के बाद ही होगी।

5 वन अधिकार समिति की अगली बैठक

दावों का संकलन और जांच पड़ताल की सूचना

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका / ज़िम्मेदारी
1.	बैठक में सामूहिक और व्यक्तिगत दावों का संकलन किया जाएगा और प्राप्त दावों की जांच पड़ताल हेतु तारीख व समय तय किया जाएगा। ***(प्रस्ताव का नमूना: परिशिष्ट-8)***	वन अधिकार समिति के सभी सदस्य।
2.	वन अधिकार समिति प्राप्त दावों की जांच पड़ताल की सूचना का नोटिस जारी करेगी और इसकी चार प्रतियाँ तैयार करेगी। सूचना का नोटिस गाँव के सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाएगा। ***(नोटिस का नमूना: परिशिष्ट-9)***	

ध्यान रहे

1. सुनिश्चित करना कि जांच पड़ताल की तारीख एवं समय सभी दावेदारों के लिए अनुकूल हो।
2. सुनिश्चित करना कि सूचना का नोटिस जारी होने की तारीख और जांच पड़ताल की तारीख के बीच में कम से कम 10-15 दिनों का अंतर हो।
3. जांच पड़ताल की सूचना की नोटिस में जांच पड़ताल का उद्देश्य, तारीख, समय व स्थान स्पष्ट किया जायेगा।
4. वन अधिकार समिति सूचना-नोटिस की एक प्रतिलिपि उप-मंडल अधिकारी, डी.ऍफ़.ओ/रेंजर, तहसीलदार को भेजेगी और रसीद प्राप्त करेगी।
   वन अधिकार समिति सुनिश्चित करेगी की सभी व्यक्तिगत दावेदरों को जाँच पड़ताल की तारीख, स्थान और समय की जानकारी मिले।

अगले कदम से पहले निम्न कार्यवाही को ज़रूर पूरा कर लें

- ☑ सुनिश्चित करें की जांच पड़ताल की सूचना जारी हो चुकी है और दावेदारों तथा उप-मंडल अधिकारी, डी.ऍफ़.ओ / रेंजर, तहसीलदार को मिल चुकी है।
- ☑ सुनिश्चित करना की वन अधिकार समिति, सामूहिक वन अधिकार की दावा फाइलों की कम से कम तीन प्रतियाँ बनाएगी जिनमे से एक एस .डी. ऍम को , एक स्थानीय आर.ओ को और एक ग्राम सभा स्वयं अपने पास सुरक्षित रखेगी ।

6 जांच पड़ताल की कार्यवाही

दावों के स्वरूप, विस्तार और साक्ष्यों की जांच/सत्यापन

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका / ज़िम्मेदारी
1.	जांच पड़ताल की कार्यवाही में सभी वन अधिकार समिति के सदस्य, दावेदार और राजस्व व वन विभाग के अधिकारी शामिल हो सकते हैं। कार्यवाही में शामिल सदस्यों और अधिकारियों के नाम और हस्ताक्षर कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज होंगे। ***नियम 12(क)(1)*** जांच पड़ताल के लिए तय तारीख के दिन अगर राजस्व व वन विभाग के अधिकारी नहीं पहुँचते तो वन अधिकार समिति बिना अधिकारियों की मौजूदगी के भी दावों की जांच स्वयं कर सकती है।	वन अधिकार समिति सदस्य, सभी दावेदार, राजस्व व वन विभाग के अधिकारी।
2.	जिस भूमि का दावा किया गया है, वन अधिकार समिति उस जगह जाएगी और जांच पड़ताल में निम्न 3 बिन्दुओं की जांच करेगी: • दावा किसके लिए किया है (स्वरुप) • दावा कितनी भूमि के लिए है (विस्तार) • दावों के समर्थन में लगे सबूत क्या सही और पर्याप्त हैं (साक्ष्य) समिति जांच पड़ताल के दौरान निकले विचारों-निष्कर्षों की रिपोर्ट कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करेगी। ***नियम-12(1)(क) व नियम-13(3)*** ***(जांच पड़ताल कार्यवाही का नमूना: परिशिष्ट- 10)***	वन अधिकार समिति जांच पड़ताल रिपोर्ट फाइनल करेगी।
3.	वन अधिकार समिति हर व्यक्तिगत दावे का मौके पर एक नज़री नक्शा बनाएगी और उसमें आसानी	वन अधिकार समिति।

	से पहचाने जाने वाले चिन्ह जैसे घर, रोड, खड्डु, खेत इत्यादि को दिखाएगी। ***नियम-12(1)(ङ)*** ***(नज़री नक़्शे का नमूना: परिशिष्ट- 11)***	
4.	वन अधिकार समिति द्वारा जांच पड़ताल रिपोर्ट को ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। समिति ग्राम सभा को इस बैठक के आयोजन की सूचना जारी करेगी जिसकी प्रतिलिपि उप-मंडल स्तरीय समिति को भेजी जाएगी। ***नियम-12(2)*** ***(नोटिस का नमूना: परिशिष्ट- 12)***	वन अधिकार समिति सचिव।

ध्यान रहे

1. वन अधिकार समिति जांच पड़ताल रिपोर्ट में निम्न 3 बिन्दुओं को जांच कर, निष्कर्ष लिखेगी:
   - **दावा किसके लिए किया है (स्वरुप):** क्या दावा उसी भूमि पर है जो दावा फ़ार्म में बताई गयी है? क्या जिस भूमि पर दावा किया है वह वनभूमि है? क्या दावे फ़ार्म में भूमि का जो उपयोग बताया गया है मौके पर वही पाया गया? उपयोग का विवरण दें।
   - **दावा कितनी भूमि के लिए है (विस्तार):** क्या जितना क्षेत्रफल दावा फ़ार्म में बताया गया है, मौके पर वही पाया गया? पटवारी द्वारा जारी परचा ततीमा लगा है तो उसको आधार मान सकते हैं वरना मौके पर भूमि की नपाई की जाएगी।
   - **दावों के समर्थन में लगे सबूत क्या सही और पर्याप्त हैं (साक्ष्य):** दावेदार ने अपनी पात्रता सम्बन्धी क्या सबूत लगाये हैं? 13 दिसम्बर 2005 से पहले का भूमि उपयोग दिखाने के लिए क्या साक्ष्य लगाये हैं?

   क्या व्यक्तिगत दावेदार के दावे के किसी भी क्षेत्र में गावं के अन्य सदस्यों के जल स्रोत और रास्ते के भी अधिकार हैं ? अगर हैं तो जाँच पड़ताल रिपोर्ट में दर्ज करें और उस क्षेत्र को नजरी नक्शा में दिखायें जिस पर ग्राम सभा निर्णय लेगी।
2. इन्हीं बिन्दुओं पर सामूहिक दावा **फ़ार्म 'ख'** और **'ग'** को भी जांचेगी जिसमें यह जांचेगी की दावों का स्वरूप और क्षेत्रफल नक्शा-हक-

बर्तन / वाजिब-उल-अर्ज़ / वन बंदोबस्त / जमाबंदी के हिसाब से भरा है और समर्थन के साक्ष्य में कौन से दस्तावेज लगायें हैं।

3. अगर वन अधिकार समिति के कोई भी सदस्य खुद दावेदार हैं तो वे यह बात समिति को बतायेंगे और अपने दावे की जांच पड़ताल के समय जांच में शामिल नहीं होंगे। ***नियम-3(3)***

4. इस कार्यवाही के दौरान दावेदार या उनका कोई प्रतिनिधि, वन विभाग की ओर से फॉरेस्ट गार्ड और राजस्व विभाग से पटवारी भी शामिल होंगे व कार्यवाही पर अपने पदभार, दिनांक और टिप्पणियों के साथ हस्ताक्षर करेंगे।

   नियम-12क(1)

5. जांच पड़ताल के लिए तय तारीख के दिन अगर राजस्व व वन विभाग के अधिकारी नहीं पहुँचते तो वन अधिकार समिति बिना अधिकारियों की मौजूदगी के भी दावों की जांच स्वयं कर रिपोर्ट लिख सकती है। अगर ग्राम सभा द्वारा पारित दावों पर वन विभाग और राजस्व विभाग अपने अधिकारियों की जांच पड़ताल में अनुपस्थिती को लेकर आपत्ति करते हैं तो केवल एक बार दावे ग्राम सभा को दोबारा जांच पड़ताल करने के लिए वापिस किए जा सकते हैं। यदि राजस्व व वन विभाग के अधिकारी/ प्रतिनिधि दोबारा जांच पड़ताल के समय मौजूद नहीं हो पाते हैं तो ग्राम का निर्णय सत्यापन के लिए अंतिम होगा। ***नियम-12क(2)***

अगले कदम से पहले निम्न कार्यवाही को ज़रूर पूरा कर लें

- ☑ सुनिश्चित करें कि वन अधिकार समिति ने जांच पड़ताल की रिपोर्ट तैयार कर दी है।
- ☑ ग्राम सभा के आयोजन की सूचना का नोटिस जारी किया गया है।

7 ग्राम सभा बैठक

जांच पड़ताल के निष्कर्षों पर निर्णय

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका / ज़िम्मेदारी
1.	ग्राम सभा की इस बैठक का आयोजन क़ानून के नियमासुनार ही किया जाएगा। ***नियम- 4(2)***	ग्राम सभा के सभी व्यस्क सदस्य, उपस्थित रहेंगे। पंचायत सचिव या वन अधिकार समिति सचिव बैठक की कार्यवाही लिखेगा/गी।
2.	वन अधिकार समिति जांच पड़ताल निष्कर्ष रिपोर्ट ग्राम सभा के समक्ष पढ़ेगी और ग्राम सभा प्रस्तुत किये दावों व रिपोर्ट को लेकर सभी लोगों की दलीलें सुनेगी और उनके द्वारा निवेदन आदि पर विचार करेगी। ***नियम-11(2)(v) व नियम-11(5)***	

3.	ग्राम सभा दावों को स्वीकृत या अस्वीकृत करेगी और सभी निर्णय विस्तृत तौर पर प्रस्ताव के रूप में लिखेगी और स्वीकृत दावों को सर्वसम्मति से पारित कर उप-मंडल स्तरीय समिति को भेजेगी। ***नियम-11(5) (प्रस्ताव का नमूना: परिशिष्ट- 13)***	वन अधिकार समिति स्वीकृत दावों और अन्य दस्तावेजों की मूल फाईल बना कर एक पत्र के साथ उप-मंडल स्तरीय समिति के अध्यक्ष को जमा कर उसकी प्राप्ति रसीद लेगी। ***(पत्र का नमूना: परिशिष्ट- 14)***
4.	यदि ग्राम सभा दावे अस्वीकार करती है या उनमें कोई बदलाव करती है तो हर दावेदार को पूरे कारणों के साथ व्यक्तिगत तौर से लिखित में बताएगी। ***नियम-12(क)(3)***	वन अधिकार समिति हर दावेदार को कारणों सहित लिखित में सूचित करेगी।

ध्यान रहे

1. ग्राम सभा दावों पर निर्णय लेते समय नियम 13 में दिए गए साक्ष्यों पर विचार करेगी लेकिन किसी विशेष दस्तावेज़ी सबूत पर बल नहीं देगी। ***नियम-13(3)***
2. उप-मंडल स्तरीय समिति को जो दावा फाइलें भेजी जाएगी, उसमें निम्नलिखित दस्तावेज़ होंगे: कवर पत्र, ग्राम सभा के प्रस्ताव, ग्राम सभा के नोटिस, जाँच पड़ताल का नोटिस, जांच पड़ताल रिपोर्ट, वनभूमि के निजी, सामूहिक और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों और दावों का आवेदन **फ़ार्म 'क', 'ख', 'ग'** (साक्ष्यों सहित), संलग्न होने चाहिए।
3. उप-मंडल स्तरीय समिति को फाईलें जमा करवाने पर प्राप्ति रसीद अवश्य लें।
4. किसी भी सदस्य/संस्था को ग्राम सभा के निर्णय से आपत्ति हो तो वह ग्राम सभा के प्रस्ताव के लिखित में दिए गए निर्णय के दिन से 60 दिन के भीतर अपनी अपील/याचिका उप-मंडल स्तरीय समिति को पेश कर सकते हैं। ***नियम-12(क)(3) व (4) (याचिका का नमूना: परिशिष्ट 15)***

8 उप-मंडल स्तरीय समिति की बैठक

ग्राम सभा द्वारा सौंपे गए दावों का सत्यापन

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका / ज़िम्मेदारी
1.	उप-मंडल स्तरीय समिति ग्राम सभा द्वारा सौंपे गए दावों, प्रस्तावों और नक़्शे की सत्यता की जांच करेगी और बैठक की कार्यवाही लिखी जाएगी। ***नियम-6(ङ)***	उप-मंडल स्तरीय समिति के सभी सरकारी और गैर सरकारी सदस्य

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका / ज़िम्मेदारी
2.	अगर दावे सही पाए गए तो उप-मंडल स्तरीय समिति दावों के साथ रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स को ज़िला स्तरीय समिति को भेजेगी। ***नियम-6(ज)***	उप-मंडल स्तरीय समिति के सभी सरकारी और गैर सरकारी सदस्य
3.	अगर दावों में कमियाँ पायी गयी तो उप-मंडल स्तरीय समिति इन कमियों को दर्शाते हुए लिखित तौर पर ग्राम सभा को दस्तावेज़ों में सुधार के लिए वापिस भेजेगी। ***नियम-12(क)(6)*** व ***नियम 12(क)(10)***	
4.	यदि उप-मंडल स्तरीय समिति दावे अस्वीकार करती है या उनमें कोई बदलाव करती है तो हर दावेदार को पूरे कारणों के साथ व्यक्तिगत तौर से लिखित में बताएगी। ***नियम-12(क)(3)***	उप-मंडल अधिकारी द्वारा इसकी जानकारी व्यक्तिगत तौर पर दावेदारों को दी जाएगी।

ध्यान रहे

1. उप-मंडल स्तरीय समिति किसी भी दावे को सिर्फ तकनीकी या प्रक्रिया में कमी के आधार पर नामंज़ूर नहीं कर सकती। उप-मंडल स्तरीय समिति सीधे दावेदार से दावे प्राप्त नहीं कर सकती या ग्राम सभा से प्राप्त आधे अधूरे दावा प्रपत्रों को अपने स्तर पर सुधार कर सीधे जिला स्तरीय समिति को नहीं भेज सकती। बल्कि समिति दावों में कमियों को दूर करने के लिए सम्बंधित ग्राम सभा को दोबारा परखने/पुनर्विचार के लिए भेजेगी।

   नियम-12(क)(6) व ***नियम- 12(क)(10)***

2. अगर उप-मंडल स्तरीय समिति द्वारा कोई सुझाव, प्रतिक्रिया या आपत्ति लगाई जाती है, तो उसका नियमानुसार जवाब वन अधिकार समिति व ग्राम सभा को देना होगा तथा दर्शाई गई कमियों को पूरा करना होगा।

3. उप-मंडल स्तरीय समिति दावों पर निर्णय लेते समय ***नियम 13*** में दिए गए साक्ष्यों पर विचार करेगी लेकिन किसी विशेष दस्तावेज़ी सबूत पर बल नहीं देगी। ***नियम-13(3)***

4. किसी को उप-मंडल स्तरीय समिति के निर्णय से आपत्ति है तो वो उप-मंडल स्तरीय समिति द्वारा लिखित में दिए गए निर्णय के दिन से 60 दिन के भीतर अपनी याचिका ज़िला स्तरीय समिति के सामने पेश कर सकता है। ***नियम-12(क)(3)*** ***(अपील और सुनवाई की प्रक्रिया को इस भाग के उपभाग 3.3 में विस्तृत रूप से बताया गया हैं।) (याचिका का नमूना: परिशिष्ट 16)***

9 ज़िला स्तरीय समिति की बैठक
दावों का निपटारा

क्र.सं.	कार्यवाही	भूमिका / ज़िम्मेदारी
1.	उप-मंडल स्तरीय समिति द्वारा भेजे गए स्वीकृत दावे और रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स पर ज़िला स्तरीय समिति विचार कर अंतिम निर्णय लेगी। ***नियम-8(ग)***	जिला वन अधिकार समिति के सरकारी और गैर सरकारी सदस्य
2.	सुनिश्चित करना कि दावेदार व ग्राम सभा या समुदाय को रिकॉर्ड ऑफ़ राईट व टाइटल (पट्टे) की प्रमाणित कॉपी ***नियम 8(ज)(झ) में उल्लेखित परिशिष्ट II, III व IV*** के अनुसार दी जाये। ***नियम-8(ज),(झ)***	
3.	वन अधिकारों को राजस्व व वन दस्तावेज़ों तथा रिकॉर्ड ऑफ़ राईट्स में दर्ज करवाने के लिए सम्बंधित विभागों को दिशानिर्देश जारी करेगी। ***नियम-8(च)***	
4.	वन अधिकारों के रिकॉर्ड को अंतिम रूप देने के बाद उनका प्रकाशन सुनिश्चित किया जाएगा। ***नियम-8(छ)***	
5.	यदि ज़िला स्तरीय समिति दावे अस्वीकार करती है या उनमें कोई बदलाव करती है तो हर दावेदार को पूरे कारणों के साथ व्यक्तिगत तौर से लिखित में बताएगी। ***नियम-12(क)(3),(5)***	

ध्यान रहे

1. जिला स्तरीय समिति देखेगी कि सभी दावों, मुख्य तौर पर घुमंतू पशुपालकों के दावों को कानून के उद्देश्यों के अनुसार संबोधित किया गया है। ***नियम-8 (ख)***
2. जो वन अधिकार दावे एक से ज्यादा जिलों में लगते हैं, जिला स्तरीय समिति उन दावों पर अन्य जिलों की जिला स्तरीय समिति के साथ समन्वय करेगी। ***नियम- 8(ङ)***
3. दावों के मान्यता के संदर्भ में ज़िला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। ***धारा-6(6)***
4. दावों की नामंजूरी के संदर्भ में वन अधिकार कानून के प्रावधान पृष्ठ 55 से 67 में विस्तृत रूप से बताये गए हैं।

3.2 वन अधिकार के दावा फ़ार्म कैसे भरें?

- इस उप-भाग में तीनों वन अधिकार दावा **फ़ार्म 'क', 'ख',** और **'ग'** को भरने का तरीका बताया गया है।
- फ़ार्म भरने की प्रक्रिया को सरलता से समझने के लिए इसे तीनो फ़ार्म के हिसाब से **तीन हिस्सों** में बांटा गया है।
- फ़ार्म के हर बिंदु के बाद एक नीले बॉक्स में उस बिंदु में जो जानकारी भरी जाएगी उसे बताया गया है।
- याद रहे दावा **फ़ार्म 'क'** को व्यक्तिगत वन अधिकार दावेदार स्वयं भरेगा और उससे जुड़े सभी सम्बंधित दस्तावेज़ जुटाकर उसे वन अधिकार समिति को सौपेंगा। दावा **फ़ार्म 'ख'** और **'ग'** को वन अधिकार समिति पूरी ग्राम सभा की ओर से भरेगी व जरूरी दस्तावेज़ जुटाकर दावा फाइलें तैयार करेगी।

फ़ार्म 'क' | व्यक्तिगत वन अधिकार फ़ार्म कैसे भरें?

दावा फ़ार्म 'क' भरने की प्रक्रिया

उपाबंध 1

[नियम 6 (ठ) देखें]

प्ररुप-क

वनभूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

[नियम 11 (1) (क) देखें]

1. दावेदार(रों) का/के नाम :

- *परिवार/परिवारों के उस व्यस्क सदस्य/सदस्यों का नाम जो गाँव में रहकर वनभूमि का उपयोग कर रहा/रही है।*
- *दावेदार महिला या पुरुष में से कोई भी हो सकता है।*

2. पति/पत्नी का नाम :

दावेदार के पत्नी या पति का नाम

3. पिता/माता का नाम :

दावेदार के माता/पिता का नाम

4. पता :

दावेदार जहाँ निवासित हैं वहाँ का पता

5. ग्राम :

दावेदार जिस गाँव के निवासी हैं उसका पता

6. ग्राम पंचायत:

जिस पंचायत के परिवार रजिस्टर में दावेदार का नाम है

7. तहसील/तालुका :

8. जिला :

9. (क) अनुसूचित जनजाति : हां/नहीं
(प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
(ख) अन्य परंपरागत वन निवासी : हां/नहीं
(यदि पति/पत्नी अनुसूचित जनजाति से हैं प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

अगर अनुसूचित जनजाति से हैं तो उस पर (√) लगाईये नहीं तो अन्य परम्परागत वन निवासी पर (√) लगाईये

10. कुटुंब के अन्य सदस्यों का नाम और आयु
(बालकों व वयस्क आश्रितों सहित)

अपने परिवार के सदस्यों (सभी बच्चे और व्यस्क जो आश्रित है) के नाम और उम्र लिखिए।

भूमि पर दावे का स्वरूप :

भूमि पर दावे का स्वरूप एक से ज्यादा प्रकार का भी हो सकता है।

1. अधिभोग की गई भूमि का विस्तार
(क) निवास के लिए :
(ख) स्वयं खेती के लिए, यदि कोई हो :

- *जिस भी वनभूमि का दावा कर रहे हैं उसका उपयोग निवास के लिए कर रहे हैं तो (क) में 'हाँ' लिखें।*
- *अगर स्वयं की खेती के लिए है तो (ख) में 'हाँ' लिखिए। अगर दोनों है तो दोनों में 'हाँ' लिखिए।*
- *साथ में परचा ततीमा या जमाबंदी देखकर क्षेत्रफल भी लिखिए।*

- *ग्राम सभा का कोई भी सदस्य जो दिनांक 13.12.2005 के पहले से वनभूमि का उपयोग अपनी आजीविका के लिए निवास और खेती (खेती सम्बन्धित गतिविधियाँ जैसे घराल, इत्यादि) के लिए कर रहा/रही है। **नियम 12क(8)***

'आजीविका के लिये स्वयं खेती करने' का अर्थ

*नियम 12(क)(8) में समझाया गया है 'स्वयं खेती के लिये भूमि के अधिकार को निर्धारित सीमा के भीतर खेती व इससे जुड़ी गतिविधियां जैसे डंगरों, पशुओं को रखना, फसल कटाई के बाद का काम, अनाज को जमा करके रखना आदि को **धारा 3 की उपधारा 1 के खंड (क)** के तहत मान्यता दी गई है। वन अधिकार कानून और वन अधिकार नियम, खेती को मात्र फसल लगाने तक न मानकर खेती से जुड़े सभी कामों को स्वीकार करते हैं।*

2. विवादित भूमि, यदि कोई हो :
[अधिनियम की धारा 3 (1) (च) देखें]

हिमाचल में जिन भी लोगों का राजस्व जमाबंदी में नाजायज कब्ज़ा चढ़ा हुआ है और अन्य कोई भूमि जो विवादित हो।

3. पट्टे/पट्टे/अनुदान, यदि कोई हो :
[अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें]

अगर कोई वनभूमि पट्टे या अनुदान में मिली है तो 'हाँ' लिखें वरना 'ना' लिखें।

4. यथावत् पुनर्वास के लिए भूमि या आनुकल्पिक भूमि यदि कोई हो :
[अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें]

अगर आपको 13 दिसम्बर 2005 से पहले गैर कानूनी तरीके से बिना उचित पुनर्वास के विस्थापित किया गया हो तो यहाँ जानकारी भरें।

5. भूमि जहां से भूमि प्रतिकर दिए बिना विस्थापित किए गए है
[अधिनियम की धारा 4 (8) देखें]

वो सभी दावेदार जो ये साबित कर पाएं की सरकार की किसी भी विकास परियोजना के कारण बिना मुआवजे के उन्हें विस्थापित किया गया था और जो भूमि उनसे अधिग्रहित की गई थी, 5 वर्ष के अन्दर उस भूमि को बताये गए कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ अपना दावा भर सकते हैं।

6. वन ग्रामों में भूमि का विस्तार, यदि कोई हो :
[अधिनियम की धारा 3 (1) (ज) देखें]

हिमाचल के सन्दर्भ में यह अधिकतर जगह लागू नहीं होता।

7. अन्य कोई पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो :
[अधिनियम की धारा 3 (1) (झ) देखें]

यदि दावेदार के कोई परंपरागत व्यक्तिगत पूजा स्थल आदि हों तो उसकी जानकारी यहां भरें।

8. समर्थन में साक्ष्य :
(नियम 13 देखें)

*दावेदार को निम्न में से कुछ दस्तावेज/ साक्ष्य अपने दावा फ़ाइल में लगाने होंगे (इनमें से जो भी साक्ष्य और दस्तावेज दावा फ़ार्म 'क' के साथ सलंग्न कर रहें हैं, उनकी सूची दावा **फ़ार्म 'क'** के कॉलम **'समर्थन में साक्ष्य'** में लिखें)-*

1. *पहचान पत्र – वोटर कार्ड/आधार कार्ड/स्थायी प्रमाण पत्र और राशन कार्ड/परिवार रजिस्टर की नक़ल आदि*
2. *अगर अनुसूचित जनजाति से हैं तो अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र*
3. *अगर अन्य परम्परागत वन निवासी हैं तो क्षेत्र में 3 पीढ़ियों से निवास साबित करने के लिए दावेदार निम्न में कोई दो सबूत लगा सकते हैं:*
   क. व्यक्तिगत स्तर पर वंशावली
   ख. समुदाय स्तर पर गैजट रिपोर्ट, सेन्सस रिपोर्ट
   ग. बुजर्ग व्यक्तियों (जो खुद दावेदार न हो) की गवाही
   (परिशिष्ट संख्या 18 में देखें।)
4. *दावा की गयी वनभूमि का पर्चा ततीमा जिससे क्षेत्रफल का पता चल सके। अगर जमाबंदी में दर्ज है तो उसकी नक्ल*
5. *दावा भूमि का नजरी नक्शा*
6. *13 दिसम्बर 2005 से पहले का वनभूमि का उपयोग साबित करने के लिए निम्न में से कोई दो सबूत-*
   उस भूमि का कोई कोर्ट केस, उक्त भूमि के लिये अन्य किसी कानून के अन्दर भरा कोई भी आवेदन फ़ार्म, वन विभाग की डैमेज रिपोर्ट, 13 दिसम्बर 2005 से पहले की बिजली/पानी कनेक्शन व बिल, खेत में डंगे/खड़े-पेड़ों/खेत/घर के पुरानी फ़ोटो, बुजर्ग व्यक्तियों की गवाही (एक से ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति)
7. *दावेदार को स्वयं कानून अनुसार दस्तावेजों को लगा कर वन अधिकार समिति को अपना दावा फ़ार्म 'क' भर कर जमा करना होगा और एक प्रति अपने पास रखें।*

   समर्थन में और क्या साक्ष्य लगा सकते हैं इसके लिए परिशिष्ट 17 देखें।

9. अन्य कोई सूचना :

दावेदार(रों) के
हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

फ़ार्म में व्यक्तिगत दावा भरने वाला व्यक्ति इसे स्वयं हस्ताक्षरित करेगा। अगर एक से ज्यादा दावेदार हैं तो वो सभी यहाँ हस्ताक्षर करेंगे।

फ़ार्म 'ख' | सामुदायिक वन अधिकार फ़ार्म कैसे भरें?

दावा फ़ार्म 'ख' भरने की प्रक्रिया

प्ररुप-ख

सामुदायिक वन अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

[नियम 11 (1) (क) और 11 (4) देखें]

1. दावेदार (रों) का/के नामः

ग्राम सभा के व्यस्क सदस्यों के नाम उनकी श्रेणीवार - अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन-निवासी - जैसे दावेदार रजिस्टर में दर्ज़ है।

2. ग्राम :

गावं का नाम जहाँ की ग्राम सभा सामूहिक वन अधिकार दावे भर रही है।

3. ग्राम पंचायत:
4. तहसील/ तालुकाः
5. जिला:

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार यदि कोई होः
[अधिनियम की धारा 3(1)(ख) देखें]

नक्शा हक़ बर्तन, वाज़िब-उल-अर्ज़ व कम्पार्टमेंट हिस्ट्री में दर्ज सभी अधिकार।

2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो:
[अधिनियम की धारा 3(1)(ग) देखें]

नक्शा हक़ बर्तन, वाज़िब-उल-अर्ज़ व कम्पार्टमेंट हिस्ट्री में दर्ज सभी अधिकार, जिसके अंतर्गत वन एवं वन उपज के उपयोग व जड़ी-बूटी बेचने का अधिकार दिए गए हैं। जिसमें अतिरिक्त गौण वन उत्पाद बेचने का भी अधिकार है।

3. सामुदायिक अधिकार

(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय), यदि कोई हो:

हम जंगलों में पाए जाने वाले पानी के स्त्रोंतो जैसे नदी नाले खड्ड से मछली पकड़ते हैं व पीने का पानी (मनुष्यों और पशुओं), नहाने, कुह्ल द्वारा सिंचाई व घर बनाने के लिए बजरी, रेता व पत्थर भी लाते हैं। नक्शा हक़ बर्तन, वाज़िब-उल-अर्ज़ व कम्पार्टमेंट हिस्ट्री में दर्ज जल स्त्रोतों से जुड़े सभी अधिकार।

(ख) चरने हेतु, यदि कोई हो:

हम जंगलों को पारम्परिक तरीके से पशु चराई के लिए सदियों से प्रयोग कर रहे हैं। नक्शा हक़ बर्तन, वाज़िब-उल-अर्ज़ व कम्पार्टमेंट हिस्ट्री में दर्ज चराई से जुड़े सभी अधिकार।

(ग) पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुंच, यदि कोई हों, [अधिनियम की धारा 3(1)(छ) देखें]

*हमारे गावं में __ डेरे (घुमंतू पशु पालक) पारंपरिक तरीके से विभिन्न चरागाहों को मौसमी चराई के लिए सदियों से इस्तेमाल करते आये हैं। इनमें से कई घुमंतू पशुपालकों का चराई का रास्ता एक जिले से दूसरे जिले तक फैला है जिनमें से कुछ के पास परमिट हैं। मौसमी चराई को जाने वाले डेरों का ब्योरा **परिशिष्ट संख्या 19** में देखें।*

4. पीटीजी व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास की सामुदायिक अवधियां, यदि कोई हों: [अधिनियम की धारा 3(1)(ङ) देखें]

हिमाचल में ये समुदाय नहीं रहते।

5. जैव विविधता एवं बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार, यदि कोई हो: ***[अधिनियम की धारा 3(1)(ट) देखें]***

इसके तहत ग्राम सभा सामुदायिक रूप से जिन भी जड़ी-बूटियों, दवा- दारू, घर, बर्तन, औजार, वाद्य यंत्र, हस्तकला, कपड़े, बुनाई-कताई, भोजन (जंगली कंद, फल, फूल, सागसब्जी), आदि जिनका पारंपरिक रूप से उपयोग करते हैं उनका ब्योरा लिखें।

उदाहरण के तौर पर- काती द्वारा भेड़ों का ऊन निकालना- ऊन को धागे में बदलना व उससे भाला कम्बल, पट्टू, कोट व बकरी के बालों से रस्सी व बैठने के लिए सैंला बनाना, भेड़-बकरी की खालों से अनाज रखने व पानी के लिए किट व खल बनाना।

6. अन्य पारंपरिक अधिकार यदि कोई हो: [अधिनियम की धारा 3(1)(ठ) देखें]

इसके तहत :

- *धार्मिक स्थान, पारम्परिक पूजा-पाठ के लिए जिन स्थानों का प्रयोग किया जाता है उसका ब्योरा (**परिशिष्ट संख्या 20**) में दर्शाया गया है।*
- *वनों से भवन निर्माण एवं मरम्मत के लिए पेड़ लेने का अधिकार है जिसका ब्योरा (**परिशिष्ट संख्या 21**) में दर्शाया गया है।*
- *नक्शा हक़ बर्तन, वाज़िब-उल-अर्ज़ व कम्पार्टमेंट हिस्ट्री में दर्ज अन्य सभी अधिकार।*
- *वन उपज तक पहुंच, स्थानीय पशु चराई, घुमंतू पशुपालकों द्वारा चराई के लिए इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक रास्तों का अधिकार।*

7. समर्थन में साक्ष्य:
[नियम 13 देखें]

ग्राम सभा दावों के समर्थन में कम से कम दो साक्ष्य लगाएगी, जिसमें से जो भी साक्ष्य और दस्तावेज दावा फ़ार्म 'ख ' के साथ सलंग्न कर रहें हैं उनकी सूची दावा फ़ार्म 'ख' के कॉलम 'समर्थन में साक्ष्य' में लिखें।

समर्थन में साक्ष्यों की सूची

- ☑ *वन बंदोबस्त की कॉपी*
- ☑ *वाज़िब-उल-अर्ज़ की कॉपी*
- ☑ *कम्पार्टमेंट हिस्ट्री फाइल*
- ☑ *नक्शा-हक़- बर्तन*
- ☑ *ट्रांजिट रुल्स*
- ☑ *सेन्सस रिपोर्ट 2011*

1. *जिन ज़िलों/क्षेत्रों में नक्शा हक़ बर्तन दस्तावेज़ उपलब्ध है वहां फ़ार्म 'ख' इसी दस्तावेज़ के हिसाब से भरें क्योंकि इसमें खसरा संख्या, क्षेत्रफल और सभी वन अधिकार स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं।*
2. *जिन ज़िलों/क्षेत्रों में नक्शा हक़ बर्तन दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है वहां वाज़िब-उल-अर्ज़ और वन बंदोबस्त रिपोर्ट से वन अधिकारों की पूरी जानकारी और पूरे गावं की ज़माबंदी से खसरा संख्या व क्षेत्रफल की जानकारी फ़ार्म 'ख' में भर सकते हैं।*
3. *लेकिन फ़ार्म 'ख' में घुमंतू पशु पालकों की जानकारी, धार्मिक स्थान, जैव विविधता और पारम्परिक ज्ञान की जानकारी अलग से जरूर भरें ।*
4. *वन अधिकार समिति ग्राम सभा की ओर से सामूहिक वन अधिकार की फाइल तैयार करेगी।*

समर्थन में और क्या साक्ष्य लगा सकते हैं इसके लिए परिशिष्ट 17 देखें।

8. अन्य कोई सूचना:

दावेदार(रों) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

यहाँ ग्राम सभा सदस्यों जो इस अधिकार के दावेदार भी हैं के नाम सहित हस्ताक्षर की सूची लगाएं।

दावा फ़ार्म की फ़ाइल जमा करवाते समय प्राप्ति रसीद लेना न भूलें, और एक प्रति ग्राम सभा अपने पास रखे।

फ़ार्म 'ग'

सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए फ़ार्म कैसे भरें?

दावा फ़ार्म 'ग' भरने की प्रक्रिया

प्ररुप-ग

सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए दावा प्ररूप

[नियम 11 (1) (क) और 11 (4) देखें]

1. ग्राम/ ग्रामसभाः
2. ग्राम पंचायत:
3. तहसील/ तालुक:
4. जिला:
5. ग्रामसभा के सदस्यों के नाम:

सभी ग्राम सभा सदस्यों के नाम लिखें

हम इस ग्राम सभा के अधोहस्ताक्षरित निवासी इसके द्वारा यह संकल्प करते हैं कि नीचे और संलग्न मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्र, जिससे हमारा ऐसा सामुदायिक वन संसाधन सम्मिलित है, जिस पर हम धारा 3 (1) (झ) के अधीन अपने अधिकारों की मान्यता का दावा कर रहे हैं।

(अवस्थित ग्राम की पारंपरिक या रूढ़िजन्य सीमाओं के भीतर भूमि चिह्न या चरागाही समुदायों की दशा में उस स्थलाकृति का मौसमी उपयोग, जिसके लिए समुदाय पारंपरिक पहुंच रखता था और जिन्हें वे संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित पुनरुज्जीवित, परिरक्षित और प्रबंधित करते हैं, को दर्शाते हुए सामुदायिक वन संसाधन का मानचित्र संलग्न करें। कृपया ध्यान दें की इसके शासकीय सीमाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है)

नमूना नक्शा फॉर्म 'ग' के अन्त में संलग्न है

6. खसरा/कपार्टमेंट संख्या (संख्याएं) यदि कोई हों और यदि ज्ञात हो:

क्र.सं.	जंगल का नाम	कम्पार्टमेंट/खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

ऊपर मांगी गयी जानकारी भरने के लिए:

1. जिन ज़िलों/क्षेत्रों में नक्शा हक़ बर्तन दस्तावेज़ उपलब्ध है वहां जानकारी इसी दस्तावेज़ के हिसाब से भरें क्योंकि इसमें खसरा संख्या, क्षेत्रफल और सभी वन अधिकार स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं।

2. जिन ज़िलों/क्षेत्रों में नक्शा हक़ बर्तन दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है वहां वाज़िब-उल-अर्ज़ और वन बंदोबस्त रिपोर्ट से वन अधिकारों की पूरी जानकारी और पूरे गावं की ज़माबंदी से खसरा संख्या व क्षेत्रफल की जानकारी भर सकते हैं।

3. यदि ये जानकारी उपलब्ध ना हो, तो कम्पार्टमेंट संख्या या खसरा नंबर लिखना अनिवार्य नहीं है।

7. सीमा से लगते हुए ग्राम :

(i)

(ii)

(iii)

(इसमें किन्ही अन्य ग्रामों के साथ संसाधनों और उत्तरदायित्वों का हिस्सा बांटने के संबंध जानकारी भी सम्मिलित की जा सकेगी)

यहाँ दावेदार ग्राम सभा उन सभी ग्राम/ग्राम सभा के नाम लिखेगी जिनके साथ उसके सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र पर साझे हक़ बर्तन हैं।

8. समर्थन में साक्ष्य की सूची (कृपया नियम 13 देखिये)

1. फ़ार्म 'ग' में गांव की पारम्परिक तौर पर सामूहिक वन संसाधनों के उपयोग की सीमा को नक़्शे के माध्यम से दर्शाना है। यह नक्शा गाँव के जानकार लोगों के साथ मिलकर हाथ से बनाया जा सकता है या राजस्व विभाग या वन विभाग से प्राप्त नक्शों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

2. ग्राम सभा दावों के समर्थन में कम से कम दो साक्ष्य लगाएगी, जिसमें से जो भी साक्ष्य और दस्तावेज दावा फ़ार्म 'ग' के साथ सलंग्न कर रहें हैं उनकी सूची दावा फ़ार्म 'ग' के कॉलम 'समर्थन में साक्ष्य' में लिखें।

समर्थन में साक्ष्यों की सूची

- ☑ *वन बंदोबस्त की कॉपी*
- ☑ *वाज़िब-उल-अर्ज़ की कॉपी*
- ☑ *कम्पार्टमेंट हिस्ट्री फाइल*
- ☑ *नक्शा-हक़- बर्तन*
- ☑ *ट्रांज़िट रुल्स*

3. वन अधिकार समिति ग्राम सभा की ओर से सामुदायिक वन संसाधनों के अधिकार की फाइल तैयार करेगी।

समर्थन में और क्या साक्ष्य लगा सकते हैं इसके लिए परिशिष्ट 17 देखें।

8. अन्य कोई सूचना:

दावेदार(रों) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

यहाँ ग्राम सभा सदस्यों जो इस अधिकार के दावेदार भी हैं के नाम सहित हस्ताक्षर की सूची लगाएं।

दावा फ़ार्म की फ़ाइल जमा करवाते समय प्राप्ति रसीद लेना न भूलें, और एक प्रति ग्राम सभा अपने पास रखे।

हार ग्राम सभा के सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र के नक्शे का नमूना

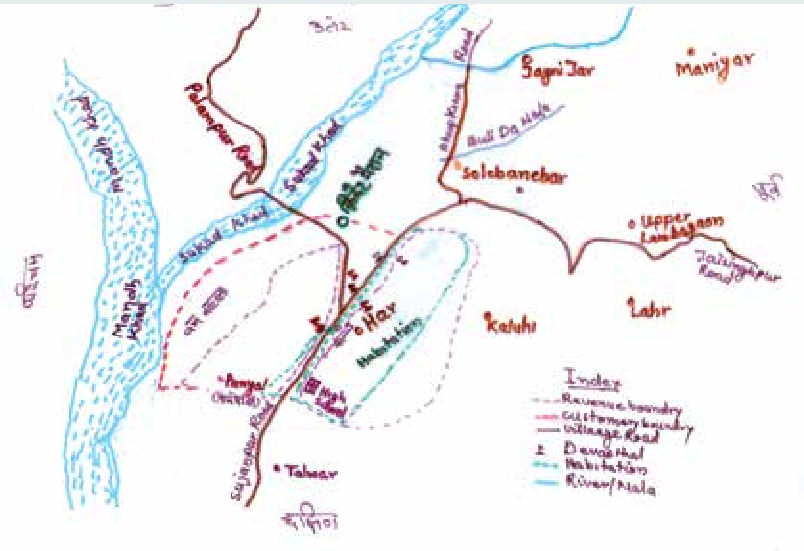

3.3. वन अधिकार कानून के तहत अपील और सुनवाई की प्रक्रिया

वन अधिकार कानून की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति/दावेदार/संस्था यदि ग्राम सभा या उप-मंडल स्तरीय समिति या ज़िला स्तरीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय से असंतुष्ट हैं तो उस निर्णय को चुनौती देने के लिए अपनी आपत्ति लिखित रूप में दे सकते हैं। इस प्रक्रिया को 'अपील' या याचिका दायर करना कहते हैं।

अपील की प्रक्रिया की मुख्य बातें:

1. ग्राम सभा के निर्णय से आपत्ति की अपील उप-मंडल स्तरीय समिति में करनी होगी।
2. उप-मंडल स्तरीय समिति के निर्णय से आपत्ति की अपील ज़िला स्तरीय समिति में करनी होगी। किसी भी स्तर पर निर्णय के बारे में लिखित जानकारी मिलने के 60 दिन के भीतर ही अपील की जा सकती है। ज़रुरत पड़ने पर समिति इस अवधि को और 30 दिन के लिए बढ़ा सकती हैं। ***नियम 12 (3)***
3. कोई भी याचिका ग्राम सभा के निर्णय के खिलाफ सीधे ज़िला स्तरीय समिति को पेश नहीं की जा सकती। ज़िला स्तरीय समिति उस पर विचार तभी करेगी जब पहले याचिका उप-मंडल स्तरीय समिति को पेश हुई है और उप-मंडल स्तरीय समिति ने उस पर निर्णय दिया है।
4. उप-मंडल/ ज़िला स्तरीय समिति याचिकाकर्ता और अन्य सभी पक्षों को सुनवाई की तारीख से 15 दिन पहले लिखित रूप में और याचिकाकर्ता के गाँव के सार्वजनिक स्थान पर नोटिस लगा कर सूचित करेगी। इसमें सुनवाई की तारीख और स्थान दिया होगा।
5. याचिकाकर्ता तथा सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा।
6. सुनवाई की पूरी कार्यवाही लिखित रूप में दर्ज की जाएगी और सभी पक्षों को इसकी प्रति दी जाएगी।
7. उप-मंडल स्तरीय समिति विस्तृत रूप से कारणों के साथ याचिका/अपील को मंज़ूर या नामंज़ूर कर सकती है या फिर ग्राम सभा को अपने निर्णय पर पुर्नविचार का सुझाव दे कर वापिस भेज सकती है।
8. ज़िला स्तरीय समिति विस्तृत रूप से कारणों के साथ याचिका/अपील को मंज़ूर या नामंज़ूर कर सकती है या फिर उप-मंडल स्तरीय समिति को अपने निर्णय पर पुर्नविचार का सुझाव दे कर वापिस भेज सकती है।

   कानून की धारा 6(2); 6(4); 7

   नियम 6(छ); 8(घ); 12(3); 12क(3),(4),(5),(6),(7),(10); 14; 15;

अगले पृष्ठ पर चित्र के माध्यम से अपील और सुनवाई की पूरी प्रक्रिया को दर्शाया गया है।

*** ज़िला स्तरीय समिति के निर्णय पर आपत्ति हो तो क्या कर सकते हैं?**

1. वन अधिकार कानून के तहत दावों के मान्यता के सन्दर्भ में ज़िला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम और बाध्य होगा। परन्तु कानून और नियमों में यह स्पष्ट है की जिला स्तरीय समिति को दावेदारों के दावे खारिज करने के कारणों को लिखित में देना होगा।

2. यदि ज़िला स्तरीय समिति का निर्णय वन अधिकार कानून या नियमों के प्रावधानों के विपरीत है तो ग्राम सभा कानून की धारा 8 के अंतर्गत राज्य स्तरीय निगरानी समिति को आपत्तियों सहित नोटिस दे सकती है। राज्य स्तरीय निगरानी समिति 60 दिन के अन्दर सम्बंधित प्राधिकारियों के खिलाफ़ उचित कार्यवाही कर सकती है। कोई भी न्यायालय वन अधिकार कानून या नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन पर संज्ञान नहीं लेगा जब तक धारा 8 के अन्दर यहाँ बताई गयी प्रक्रिया पूरी नहीं होती। ***कानून की धारा 6(6); 7; 8***

कानून की धारा 6(2); 6(4); 6(6); 7; 8
नियम 6(छ); 8(घ); 10(ग),(घ); 12(3); 12क(3),(4),(5),(6),(7),(10); 14; 15

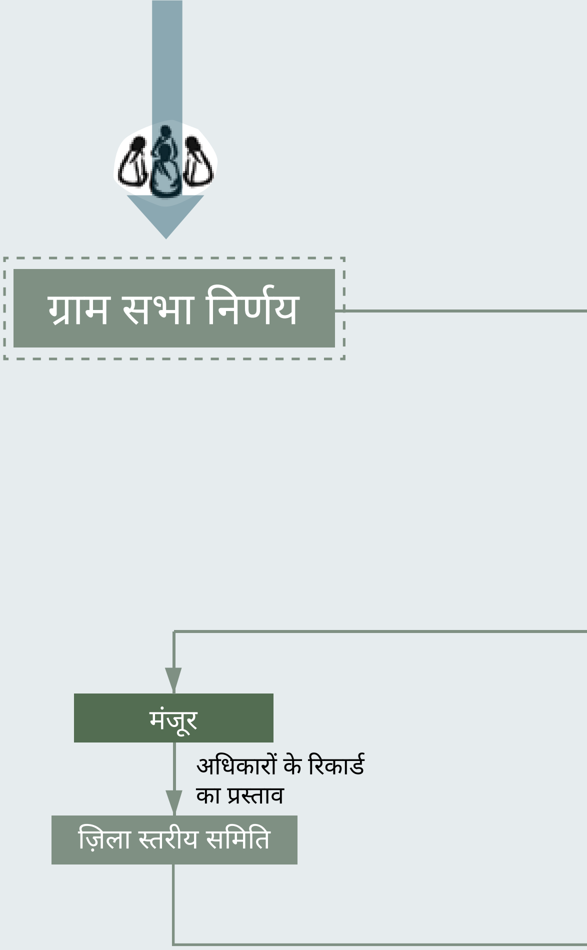

इस चित्र में अपील और सुनवाई की प्रक्रिया को दर्शाया गया है

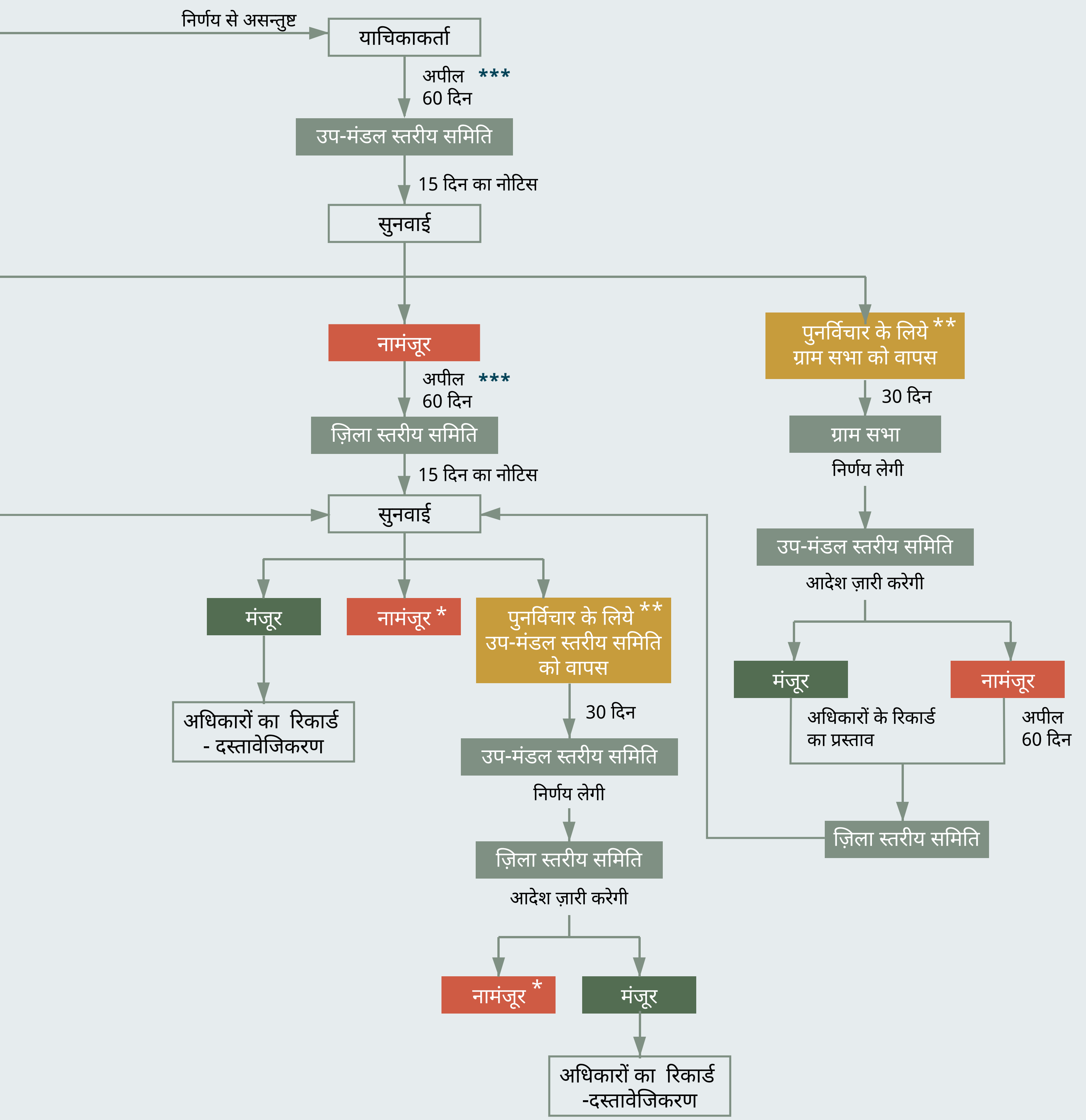

* *यदि ज़िला स्तरीय समिति के निर्णय से असंतुष्टि हो तो अपील की जा सकती है, अधिक जानकारी के लिए बाएँ तरफ का बॉक्स देखें।*

** *अपील की प्रक्रिया में निर्णय पर पुनर्विचार का प्रावधान मात्र एक ही बार दिया गया है।*

*** *समितियां अपील की अवधि को और 30 दिन के लिए बढ़ा सकती हैं।* ***नियम 12 (3)***

3.4 परिशिष्ट

उपभाग 3.1 में प्रक्रिया के हर चरण में परिशिष्ट संख्या और विषय का उल्लेख किया गया है। इस उपभाग में 1 से 21 तक निम्न परिशिष्ट दिए गए हैं-

संख्या	विषय
परिशिष्ट 1	वन अधिकार कानून के तहत ग्राम सभा का चयन
परिशिष्ट 2	सूचना नोटिस : वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभा की बैठक की सूचना बारे
परिशिष्ट 3	ग्राम सभा की पहली बैठक
परिशिष्ट 4	उप-मंडल स्तरीय समिति को दस्तावेज़ों के लिए आवेदन पत्र
परिशिष्ट 5	वन अधिकार समिति की बैठक में होने वाले प्रस्ताव
परिशिष्ट 6	साझी बैठक सूचना का नोटिस
परिशिष्ट 7	वन अधिकार समितियों की साझी बैठक की कार्यवाही
परिशिष्ट 8	वन अधिकार समिति की बैठक में होने वाले प्रस्ताव
परिशिष्ट 9	जांच पड़ताल सूचना
परिशिष्ट 10	जांच पड़ताल रिपोर्ट
परिशिष्ट 11	नज़री नक्शा
परिशिष्ट 12	वन अधिकार समिति की जांच पड़ताल के निष्कर्ष पर विचार व दावों को अनुमोदित करने के लिए ग्राम सभा की सूचना
परिशिष्ट 13	ग्राम सभा की कार्यवाही
परिशिष्ट 14	उप-मंडल स्तरीय समिति को दावा की फाईल के ऊपर संलग्न पत्र
परिशिष्ट 15	उप-मंडल स्तरीय समिति के समक्ष याचिका / अपील
परिशिष्ट 16	ज़िला स्तरीय समिति के समक्ष याचिका / अपील
परिशिष्ट 17	नियम 13. वनाधिकारों के अवधारण के लिए साक्ष्य
परिशिष्ट 18	बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा लिखित कथन (व्यक्तिगत अधिकारों के लिए) नियम 13 की धारा 1(झ) के अनुसार बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा दिया गया प्रमाण
परिशिष्ट 19	फ़ार्म 'ख' में घुमंतू पशुपालकों की जानकारी
परिशिष्ट 20	फ़ार्म 'ख' का बिंदु 6: अन्य पारंपरिक अधिकार यदि कोई हो: (अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)
परिशिष्ट 21	फ़ार्म 'ख' का बिंदु 6: वनों पर इस्तेमाल. पेड़ लेने का अधिकार

नोट: इन परिशिष्टों की विषयवस्तु सुझाव के तौर पर दी गयी है जिसमें आप स्थिति अनुसार बदलाव कर सकते हैं।

परिशिष्ट 1

(नमूना)

वन अधिकार क़ानून के तहत ग्राम सभा का गठन

कार्यालय ग्राम पंचायत ....

खंड .... तहसील .... जिला ....

प्रस्ताव प्रतिलिपि संख्या .... दिनांक ....

उपस्थिति .... अध्यक्षता ....

विषय- ग्राम पंचायत .... में वन अधिकार कानून 2006 के तहत ग्राम सभा का चयन करने बारे।

ग्राम पंचायत बैठक में इस बारे चर्चा के उपरान्त फैसला हुआ कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी कानून 2006 की धारा 2(छ) एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी संशोधित नियम 2012 की धारा 3(2) के अनुसार हमनें अपनी पंचायत में निम्न गाँव में वन अधिकार कानून के तहत ग्राम सभाओं का चयन किया है:

1. .... 2. .... 3. .... 4. .... की ग्राम सभा गठन के लिए बैठक बुलाकर कानून के अनुसार गांव स्तर की वन अधिकार समितियां गठित की जायेंगी। इनकी आम बैठक निम्न जगह और समयानुसार आयोजित की जाएगी।

क्र.सं.	ग्राम सभा का नाम	बैठक की तिथि	बैठक स्थान

इन ग्राम सभाओं की बैठक एवं वन अधिकार कानून की प्रक्रिया के लिये अलग-अलग कार्यवाही रजिस्टर लगाये जायेगें।

पंचायत प्रधान   पंचायत सचिव

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, उपमंडल स्तरीय समिति

परिशिष्ट 2

(नमूना)

सूचना नोटिस

वन अधिकार क़ानून के तहत ग्राम सभा की बैठक का नोटिस

कार्यालय ग्राम पंचायत ....

खंड .... तहसील .... जिला ....

गांव.................... के सभी ग्राम सभा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक............. को ....स्थान.....................पर समय...................... में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उपरोक्त विषय के अनुसार गांव में वन अधिकार कानून 2006 की प्रक्रिया शुरू करने के लिए गांव स्तर की वन अधिकार समिति का गठन किया जाएगा। अतः सभी से निवेदन किया जाता है कि ग्राम सभा में आएं ओर 50 प्रतिशत कोरम पुरा करने के उपरान्त समिति का गठन सुनिश्चित करें।

धन्यवाद

पंचायत प्रधान पंचायत सचिव

परिशिष्ट 3

(नमूना)

ग्राम सभा की पहली बैठक

आज दिनांक............ को गाँव..................में वन अधिकार कानून 2006 के तहत ग्राम सभा की बैठक का आयोजन .... की अध्यक्षता में किया गया और नियम अनुसार निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लाई गयी। सर्वप्रथम ग्राम सदस्यों की उपस्थिति ली गई जो निम्न प्रकार से है:

क्रम संख्या	नाम	माता/पिता/पति का नाम	हस्ताक्षर
1			
2			
.			
.			

ग्राम सभा के कोरम की पुष्टि की गयी जिसमें.......... कुल सदस्यों में से.......... उपस्थित हैं और.......... महिलाएं उपस्थित हैं। इसलिए कानून अनुसार ग्राम सभा का कोरम पूर्ण है।

प्रस्ताव संख्या-1:वन अधिकार की ग्राम सभा द्वारा वन अधिकार समिति के गठन के लिए निम्न सदस्यों का चयन किया।

क्रम संख्या	नाम	माता/पिता/पति का नाम	पद	जाति
1			प्रधान	
2			सचिव	
.			सदस्य	

सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव को पारित कर सूचना के लिए उप-मंडल अधिकारी.......................... को भेजा जाता है।

प्रस्ताव संख्या-2: ग्राम सभा वन अधिकार कानून, 2006 के तहत गाँव के सभी सदस्यों को सभी प्रकार के सम्बन्धित दावों को पेश करने के लिए आमंत्रित करती है तथा वन अधिकार समिति को कानून के अनुसार सभी प्रकार के दावों को स्वीकार करने एवं सभी तरह के कार्य करने के लिए अधिकृत करती है। ग्राम सभा के सदस्य 3 महीने के भीतर वन अधिकार समिति को अपने दावों का आवेदन दे सकते हैं। (लेकिन यदि आवश्यक लगे तो ग्राम सभा इस 3 महीने की अवधि को वाज़िब कारण देकर बढ़ा भी सकती है)

प्रस्ताव संख्या-3: ग्राम सभा वन अधिकार समिति को पूरे गाँव की तरफ़ से सामूहिक वन अधिकार और सामूहिक वन संसाधन अधिकार के दावे तैयार और व्यक्तिगत दावों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत करती है।

प्रस्ताव संख्या-4: ग्राम सभा सामूहिक वन संसाधन अधिकार को निर्धारित करने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए______________________तारीख निश्चित करती है और साथ लगती ग्राम सभाओं और उप-मंडल स्तरीय समिति को सूचित करने के लिए वन अधिकार समिति को अधिकृत करती है।

सचिव पंचायत

(हस्ताक्षर मोहर सहित)

परिशिष्ट 4

(नमूना)

उप- मंडल स्तरीय समिति को दस्तावेज़ों के लिए आवेदन पत्र

वन अधिकार समिति ....

खंड .... तहसील .... जिला ....

क्रमांक.......................... दिनांक.................

सेवा में

अध्यक्ष

उप-मंडल स्तरीय समिति

....

विषय- वन अधिकार कानून 2006 के नियम 6(ठ) व नियम 12(4) के अनुसार फ़ार्म ('क', 'ख' व 'ग') व जरुरी दस्तावेज़ उपलब्ध करवाने बारे

महोदय/महोदया,

दिनांक..........को वन अधिकार समिति............................का गांव.................में गठन किया जा चुका है जिसकी सूचना आपको पहले ही भेज दी गई है। ग्राम सभा ने वन अधिकार समिति ....को सभी प्रकार के दावे आमंत्रित करने के लिये अधिकृत किया है। ग्राम सभा ने सभी प्रकार के दावे आमंत्रित करने के लिये .... दिनांक निर्धारित की है। वन अधिकार समिति को सभी प्रकार के दावों का आवेदन करने के लिये फ़ार्म ('क', 'ख' व 'ग') उपलब्ध करवाएं। दावों को भरने और गांव का नक्शा तैयार करने के लिये राजस्व व वन विभाग से निम्नलिखित सत्यापित दस्तावेज़ों की नक़ल उपलब्ध करवाएं।

1. सरकारी खाते की जमाबंदी
2. वाज़िब-उल-अर्ज
3. कम्पार्टमेंट हिस्टरी फाईल
4. नक्शा-हक-बर्तन
5. वन-बंदोबस्त
6. अन्य उपयुक्त दस्तावेज (अधिक जानकारी के लिए परिशिष्ट 17 देखें)

महोदय/महोदया, सम्बधिंत दस्तावेज़ अतिशीघ्र उपलब्ध करवाएं ताकि वन अधिकार समिति............ .... सही प्रकार से दावे पेश कर सके।

धन्यवाद

वन अधिकार समिति अध्यक्ष व सचिव..................

परिशिष्ट 5

(नमूना)

वन अधिकार समिति की बैठक में होने वाले प्रस्ताव

आज दिनांक............ को वन अधिकार समिति................ की बैठक......................
की अध्यक्षता में हुई जिसमें उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्रम संख्या	नाम	पद	हस्ताक्षर
1			
2			
.			
.			

प्रस्ताव-1: वन अधिकार समिति ने दावा फ़ार्म 'ख' व 'ग' को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस के लिये सभी जरुरी जानकारी जैसे वन, जैव विविधता, पानी के स्रोत, पारम्परिक संसाधनों तक समुदाय के पंहुच, अन्य पारम्परिक अधिकारों की जानकारी इकट्ठा कर उनकी सूची बना दी है।

प्रस्ताव-2: वन अधिकार समिति ने दावा फ़ार्म 'ग' के लिये अपने वन संसाधन क्षेत्र की सीमा का नक्शा बना दिया है और सामुदायिक वन अधिकार दावे की फाईल को पूरा किया जा रहा है।

प्रस्ताव-3: वन अधिकार कानून के नियम 12(3) के अनुसार वन अधिकार समितियों की साझी बैठक का आयोजन दिनांक.......... को .... बजे............ तय किया गया है ताकि सामुदायिक दावों पर सांझा फैसला लिया जा सके जिससे साझे वन पर समितियां अपने-अपने दावे बिना किसी विवाद के कर सके। बैठक की सूचना वन अधिकार समिति का सचिव श्री/श्रीमति.................................. जारी करेगा/करेगी साथ सूचना प्राप्ति भी लेगा/लेगी। बैठक के सफल आयोजन के लिये सभी समितियों के सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है।

प्रस्ताव-4: वन अधिकार समिति के सदस्य व्यक्तिगत दावों के बारे में गांव वासीयों से बातचीत करेंगे और व्यक्तिगत दावेदारों को दावा फ़ार्म 'क' भरने में सहायता करेंगे। व्यक्तिगत दावों को स्वीकार करने की अन्तिम दिनांक आज से ठीक..... दिन बाद दिनांक .... को रखी गयी है।

वन अधिकार समिति अध्यक्ष व सचिव ....

उपरोक्त कार्यवाही के साथ बैठक समाप्त की गई।

परिशिष्ट 6

(नमूना)

साझी बैठक सूचना का नोटिस

वन अधिकार समिति ....

खंड .... तहसील .... जिला ....

क्रमांक.......................... दिनांक ....

सेवा में

प्रधान/ सचिव

वन अधिकार समिति

....

विषय- वन अधिकार कानून के तहत सामूहिक दावे प्रस्तूत करने के लिये साथ लगती ग्राम सभा को नियम 12(3) के तहत साझी बैठक की सूचना बारे

महोदय/महोदया,

वन अधिकार समिति...............ने वन अधिकार कानून के तहत सामूहिक एवं व्यक्तिगत दावे भरने की प्रक्रिया अपने गांव में शुरु कर दी है। हमारी ग्राम सभा के सदस्य अपनी आजीविका के लिये जिस वन भूमि को इस्तेमाल करते हैं उसके सही साझे दावे प्रस्तुत करने के लिये हम साथ लगती ....और ....वन अधिकार समितियों को सूचित कर रहें हैं ताकि साझी बैठक बुलाई जा सके और ऐसी वन भूमि जिसका इस्तेमाल एक ग्राम सभा से अधिक ग्राम सभा द्वारा किया जाता है उनके सही दावे प्रस्तुत हों सके।

अत: आप से अनुरोध है कि दिनांक ....को उपरोक्त विषय पर वन अधिकार समितियों की साझी बैठक .... में रखी गई है आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

स्थान :..........................

समय :..........................

दिनांक :.........................

धन्यवाद

परिशिष्ट 7 *(नमूना)*

वन अधिकार समितियों की साझी बैठक की कार्यवाही

वन अधिकार समिति ....

खंड .... तहसील .... जिला ....

क्रमांक........................ दिनांक ....

विषय: वन अधिकार कानून 2006 के नियम 12(3) के अनुसार वन अधिकार समितियों की साझी बैठक की कार्यवाही।

दिनांक....................को श्री/श्रीमति ....की अध्यक्षता में निम्न वन अधिकार समितियों सामुदायिक वन संसाधन अधिकार व प्रबन्धन पर सहमति बनाने हेतु साझी बैठक हुई:

1.
2.
.
.

इस बैठक में चर्चा की गई कि जिस वन भूमि पर ग्राम सभा......................वन अधिकार कानून, 2006 के तहत मान्यता के लिये दावा कर रही है उस भूमि का हमसांझे रुप से इस्तेमाल कर रहे हैं। उक्त वन अधिकार समितियों की साझी बैठक में शामिल वन अधिकार समितियों अपनी आजीविका के लिये इस वन भूमि को लकड़ी , चारे और ....आदि के लिये इस्तेमाल कर रहे हैं।

बैठक में विस्तृत चर्चा के उपरांत सभी शामिल वन अधिकार समित्यों ने पेश किये गये दावे को सही पाया और सहमति दी। भविष्य में संयुक्त उपयोग और वन प्रबन्धन और संरक्षण पर भी सहमति बनी। वन अधिकार समितियों के सदस्यों के हस्ताक्षर निम्न हैं:

वन अधिकार समिति ....

सदस्य	हस्ताक्षर
1.	
2.	
3.	

इस बैठक का ब्यौरा सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये ग्राम सभा................................

और................................को भी भेजा गया।

परिशिष्ट 8

(नमूना)

वन अधिकार समिति की बैठक में होने वाले प्रस्ताव

आज दिनांक............ को वन अधिकार समिति............... की बैठक .... की अध्यक्षता में हुई जिसमें उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्रम संख्या	नाम	पद	हस्ताक्षर
1			
2			
.			
.			

बैठक में निर्णय लिया गया कि वन अधिकार समिति ने व्यक्तिगत और सामुहिक दावा फाईल तैयार कर ली है। व्यक्तिगत दावा फ़ार्म 'क' ग्राम सभा के सदस्यों से प्राप्त हो चुके हैं और साथ लगती वन अधिकार समितियो से भी साझे वन क्षेत्र पर सहमति मिल चुकी है। जरुरी कार्यवाही, प्राप्त दावा फ़ार्म व दस्तावेजो की सूची भी तैयार कर ली है।

वन अधिकार समिति ने दावों की जांच पड़ताल के लिए .... स्थान .... दिनांक .... समय तय किया है। दावों की जांच पड़ताल के लिए सम्बन्धित विभागों और दावेदारों को वन अधिकार समिति के सचिव द्वारा सूचना भेजी जाएगी।

इसी के साथ बैठक समाप्त की गई।

वन अधिकार समिति अध्यक्ष व सचिव.................................

परिशिष्ट 9

(नमूना)

जांच पड़ताल सूचना

दिनांक ....

सेवा में

..........................गाँव के सभी निवासी
पंचायत.................... तहसील..................
जिला.................... हिमाचल प्रदेश

विषय- नियम 12 (1) के अनुसार सामूहिक एवं व्यक्तिकत वन अधिकार की जांच-पड़ताल बारे

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता की नियम 11(1) के अनुसार प्राप्त हुए दावों एवं नियम 11(4) के अनुसार वन भूमि और वन संसाधनों के उपयोग के अधिकारों के सम्बन्ध में जो दावे किये हैं उनका विस्तार व स्वरुप तथा उपलब्ध प्रमाणों की प्रत्यक्ष जांच पड़ताल के लिए वन अधिकार समिति के द्वारा दिनांक.................. को ठीक.................. बजे (समय) .... (स्थान) में बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें आप स्वयं जांच पड़ताल के समय उस स्थान पर रह सकते हैं। उस समय अन्य कोई प्रमाण या दस्तावेज़ देना चाहें तो प्रस्तुत कर सकते हैं।

धन्यवाद

वन अधिकार समिति सचिव....................

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. उपमंडल अधिकारी (नागरिक)
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी
3. तहसीलदार

परिशिष्ट 10

(नमूना)

जांच पड़ताल रिपोर्ट

आज दिनांक............. को वन अधिकार कानून की धारा 3 (1) के प्रावधानों के अनुसार किये गए सभी प्रकार के दावों के लिए प्रत्यक्ष जांच पड़ताल की गयी। इसमें निम्न लोगों ने उपस्थति दर्ज की –

वन अधिकार समिति सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर	दावेदारों या उनके प्रतिनिधि के नाम	हस्ताक्षर	सरकारी अधिकारियों के नाम	टिप्पणी सहित हस्ताक्षर
1.		1.		1.	
2.		2.		2.	
.		.		.	
.		.		.	

दावों की जांच पड़ताल की कार्यवाही

1. सामूहिक वन अधिकारों की जांच पड़ताल
   1. दावे का स्वरूप – ग्राम सभा .... द्वारा सामूहिक वन अधिकारों और समुदायिक वन संसाधन क्षेत्र के लिए भरा गया दावा फॉर्म ‘ख’ और ‘ग’ में लिखे गए वन अधिकार, नक्शा हक बर्तन / वाज़िब-उल-अर्ज़ /फारेस्ट सेटलमेंट/ कम्पार्टमेंट हिस्ट्री फाइल में जो भी वन अधिकार दर्ज हैं, उसी के अनुसार हैं।
   2. सामुदायिक वन अधिकारों और समुदायिक वन संसाधन क्षेत्र का विस्तार मानचित्र अनुसार है जो की पारंपरिक उपयोग की सीमा दर्शाता है और नक्शा हक बर्तन/ वाज़िब-उल-अर्ज़ /फारेस्ट सेटलमेंट/ और जमाबंदी में दर्शाए क्षेत्रफल अनुसार है इसलिए अलग से भू मापन नहीं किया गया।
   3. समर्थन में साक्ष्य -
      a. अगर ‘अन्य परम्परागत वन निवासी’ हैं - बुजर्ग व्यक्तियों की गवाही, वाज़िब-उल-अर्ज़/ नक्शा हक बर्तन और फारेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट दर्शाती है कि ग्राम सभा के सभी सदस्य/दावेदार पिछले 75 वर्षों से वन भूमि पर अपनी आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए निर्भर रहे हैं इसलिए सभी लोग ‘अन्य परम्परागत वन निवासी’ हैं और वनों का उपयोग 13 दिसम्बर 2005 के पहले से कर रहे हैं।
      b. अगर अनुसूचित जनजाति वन निवासी हैं - वाज़िब-उल-अर्ज़/ नक्शा हक बर्तन और फारेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट दर्शाती है की ग्राम सभा के सभी सदस्य/दावेदार वन भूमि पर अपनी आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए वनों का उपयोग 13 दिसम्बर 2005 के पहले से कर रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्र में स्थाई निवास दर्शाता है की सभी दावेदार वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं।

2. व्यक्तिगत दावों की जांच पड़ताल
   1. दावेदार का नाम –
      दावे का स्वरूप (खेती, मकान, घराल आदि)- दावेदार ने फॉर्म “क” में खेत/घर/घराल का दावा किया है और मौके में हमने   पाया (अपने विचार लिखें – जैसे खेत है तो क्या बीड लगी है/ अगर पेड़ है तो अंदाज़न कितने उम्र के हैं/ घर है तो कैसा दिखता है/ कितना पुराना है और अन्य)।

(नमूना)

लेकिन इस व्यक्तिगत दावेदार के दावे के कुछ क्षेत्र में गावं के अन्य सदस्यों के जल स्रोत और रास्ते का भी अधिकार अगर हैं तो जिन्हें वन अधिकार समिति कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करेगी। इस पर अगली ग्राम सभा में चर्चा कर उचित प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

2. दावा क्षेत्र का विस्तार (भू-मापन) – गाँव की जमाबंदी से पाया की दावा की गयी भूमि वन श्रेणी में आती है और पटवारी द्वारा जारी परचा ततीमा से क्षेत्रफल की जांच की गयी जिसके अनुसार उक्त भूमि का क्षेत्रफल .... है।

3.समर्थन में साक्ष्य -

a. दावेदार ने वोटर कार्ड/ आधार कार्ड /परिवार रजिस्टर /राशन कार्ड लगाया है जिससे यह साबित होता है की दावेदार इसी क्षेत्र का निवासी है। **(कम से कम दो सबूत लगाने होंगे)**

b. दावेदार अनुसूचित जनजाति का है और उसने अनुसूचित जनजाति का प्रमाण लगाया है। अन्य परम्परागत वन निवासी है तो उसने वंशावली/ बुजर्ग व्यक्तियों की गवाही/ या अन्य दस्तावेज़ लगाये हैं जिससे क्षेत्र में 3 पीड़ियों का निवास साबित होता है।

c. खेत का फोटो/ जमाबंदी में नाजायज़ कब्ज़ा /बिजली बिल/ बुजर्ग व्यक्तियों की गवाही/या अन्य से साबित होता है की दावेदार जिस वन भूमि का दावा कर रहा है उसका उपयोग 13 दिसम्बर 2005 के पहले का है। **(कम से कम दो सबूत लगाने होंगे)**

इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तिगत दावा फॉर्म ‘क’ की जांच होगी।

d. समर्थन में और क्या साक्ष्य लगाए जा सकते हैं उसके लिए क़ानून का नियम 13 देखें।

वन अधिकार समिति अध्यक्ष व सचिव ....

परिशिष्ट 11

(नमूना)

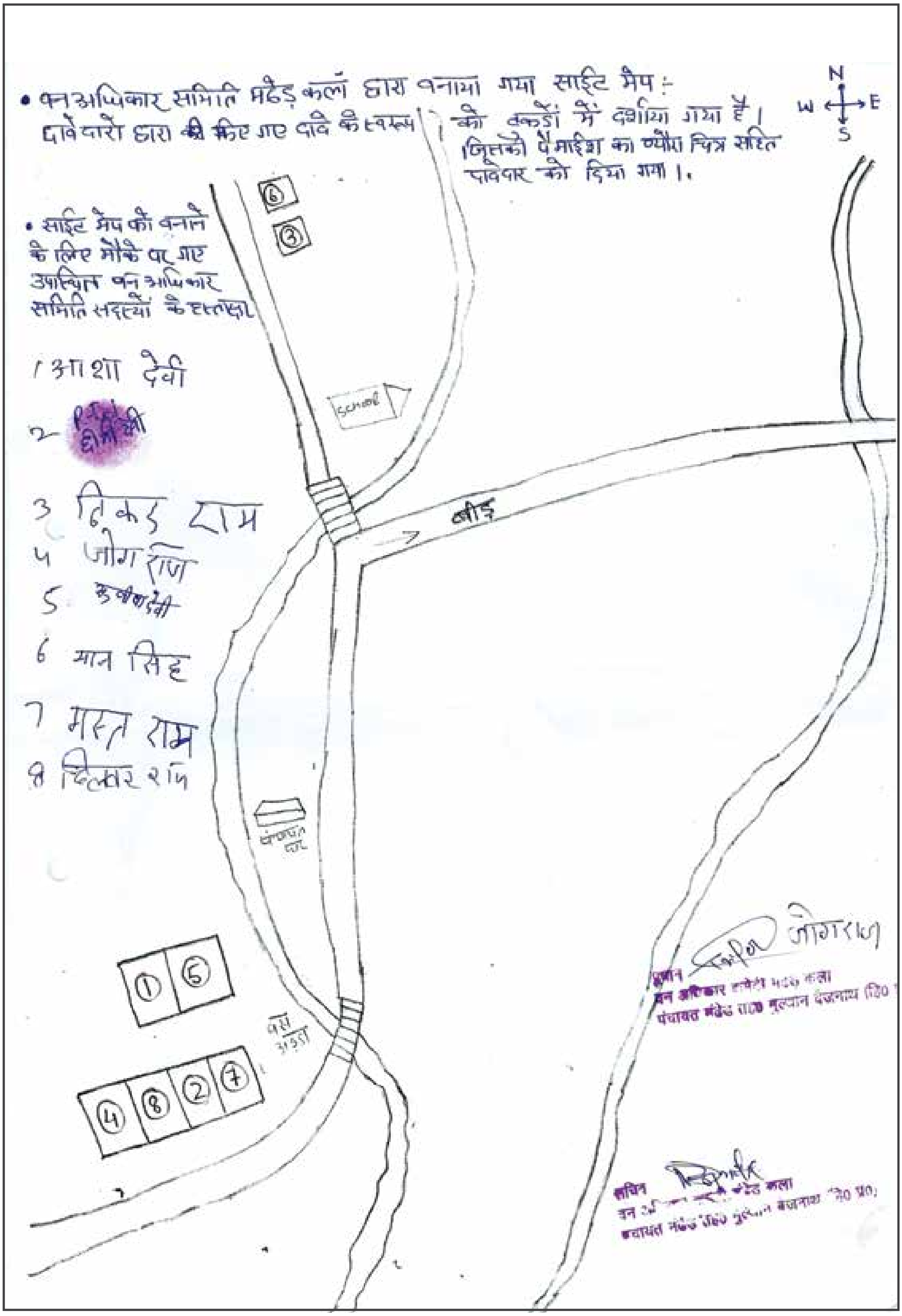
• वन अधिकार समिति मठेड़ कलाँ द्वारा बनाया गया साइट मैप :-
दावेदारों द्वारा किए गए दावे के स्वरूप को नक्शों में दर्शाया गया है।
जिसको पैमाइश का ब्यौरा चित्र सहित दावेदार को दिया गया।
N
W
E
S
• साइट मैप को बनाने के लिए मौके पर गए उपस्थित वन अधिकार समिति सदस्यों के हस्ताक्षर
1 आशा देवी
4 जोगराज
6 मान सिंह
7 मस्त राम
School
वन अधिकार समिति मठेड़ कलाँ

परिशिष्ट 12

(नमूना)

वन अधिकार समिति की जांच पड़ताल के निष्कर्ष पर विचार व दावों को अनुमोदित करने के लिए ग्राम सभा की सूचना

गाँव ---------------------- की ग्राम सभा दिनांक -------------------- को ------------------------------ बजे (समय) --------------------- (स्थान) में रखी गयी है जिसमें सभी प्रकार के दावों (प्रपत्र क, ख व ग) पर ग्राम सभा को निर्णय लेना है। इस बैठक में वन अधिकार समिति द्वारा बनाई गयी जांच पड़ताल की निष्कर्ष रिपोर्ट पर विचार विमर्श होगा और दावों के सन्दर्भ में उचित प्रस्ताव पारित किये जायेंगे। इसमें सभी दावेदार उपस्थित रहें और अपने पक्ष में अतिरिक्त प्रमाण या साक्ष्य ग्राम सभा के सामने रख सकते हैं।

वन अधिकार समिति सचिव-----------------------------

परिशिष्ट 13

(नमूना)

ग्राम सभा की कार्यवाही

आज दिनांक.............को.............(स्थान) में ग्राम सभा की बैठक............ की अध्यक्षता में वन अधिकार कानून के अंतर्गत किए गए व्यक्तिगत और सामूहिक वन अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र के अधिकारों के अनुमोदन के लिए आयोजित की गयी।

क्रम संख्या	नाम	माता/पिता का नाम	हस्ताक्षर
1.			
2.			
.			
.			

ग्राम सभा के कुल.................. सदस्यों में से .... सदस्य उपस्थिति हैं जिनमें से.............. महिलाएं हैं। कार्यवाही के लिए आवश्यक कोरम पूर्ण है।

सबसे पहले वन अधिकार समिति के सचिव/अध्यक्ष ने जांच पड़ताल की निष्कर्ष रिपोर्ट ग्राम सभा के सम्मुख पढ़ी। इसके बाद ग्राम सभा ने निम्न चर्चा की व प्रस्ताव पारित किये:

प्रस्ताव 1: सामूहिक अधिकार व सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र के दावों पर विचार विमर्श- रिपोर्ट सुनने के बाद ग्राम सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची की दावे वन अधिकार कानून, 2006 के नियम अनुसार हैं। समस्त ग्राम सभा के सदस्य पारम्परिक तौर पर नक्शा-हक़-बर्तन व वाज़िब-उल-अर्ज़ या फारेस्ट सेटलमेंट में जो वन अधिकार दर्ज है उनका उपयोग अपनी जीवन की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए 13 दिसम्बर 2005 से पहले से करते आ रहे हैं और गाँव के लोग, जानवरों को चराने के लिए, घास पत्ती लाने, पूजा के स्थल, रास्ते, पानी, जानवर और सिंचाई के लिए जल स्रोतों का इस्तेमाल व अन्य लघु वन उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए वन भूमि पर काफी समय व्यतीत करते हैं इसलिए ग्राम सभा के सभी सदस्य वन अधिकार के अंतर्गत वन निवासी की श्रेणी में आते हैं। गाँव के सभी दावेदार स्थाई निवासी हैं और कई पीढ़ियों से इस क्षेत्र में निवास करते आ रहे हैं इसलिए सभी दावेदार अन्य परम्परागत वन निवासी की श्रेणी में आते हैं (अगर अनुसूचित क्षेत्र है तो अनुसूचित जनजाति वन निवासी हैं)।

सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र का नक्शा भी वाज़िब–उल-अर्ज़, नक्शा-हक-बर्तन व फारेस्ट सेटलमेंट पर आधारित है और इसके क्षेत्रफल का निर्धारण राजस्व विभाग व वन विभागों के दस्तावेज़ों से किया है।

हमारे गाँव से.............डेरे घुमंतू पशुपालकों के हैं जिनका ब्यौरा फ़ार्म 'ख' में दिया गया है जिसे ग्राम सभा ने सही पाया। ग्राम सभा फ़ार्म 'ख' में दर्ज सभी सामूहिक अधिकारों को और फ़ार्म 'ग' में सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र के अधिकारों को ग्राम सभा सर्वसम्मति से अनुमोदित एवं पारित करती है।

प्रस्ताव 2: ग्राम सभा के .... सदस्यों ने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए दावा फॉर्म 'क' भरा है जिनकी जानकारी निम्नलिखित है -

(नमूना)

क्र.सं.	दावेदार का नाम	दावे का स्वरूप (निवास/खेत/घराल)	समर्थन में साक्ष्य लगे हैं या नहीं √	
			अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी	उपयोग 13 दिसम्बर 2005 से पहले का है

सभी व्यक्तिगत दावों पर विचार करने के बाद ग्राम सभा ने निम्न/सारे दावे वन अधिकार कानून के प्रावधानों अनुसार सही पाये और इन्हें स्वीकार और अनुमोदित करती है। लेकिन इन व्यक्तिगत दावेदारों के दावों के कारण गावं के अन्य सदस्यों के जल स्रोत और रास्ते भविष्य में प्रभावित नहीं होंगे। निम्न/सारे दावे अस्वीकार करती है (कारण लिखें) जो कानून अनुसार नहीं है या ग्राम सभा के सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र में व्यक्तिगत दावे स्वीकार किये जाने से ग्राम सभा के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है।

सभी दावे जो ग्राम सभा ने अनुमोदित किये हैं के साथ जरूरी प्रस्तावों और अन्य दस्तावेज़ों सहित आगे की कार्यवाही हेतु उप-खंड स्तरीय समिति को भेजे जाएँ।

वन अधिकार समिति अध्यक्ष व सचिव........................

परिशिष्ट 14

(नमूना)

उप-मंडल स्तरीय समिति को दावा की फाईल के ऊपर सलग्न पत्र

दिनांकः ....

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
उप मंडल स्तरीय समिति एवं
उप मंडल अधिकारी (नागरिक)
तहसील.................., ज़िला...................

विषय – वन अधिकार कानून के अंतर्गत ग्राम सभा द्वारा पारित किये गए दावों पर आगे की कार्यवाही के लिए प्रेषित

महोदय/महोदया,

वन अधिकार कानून 2006 व संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत गाँव पंचायत..................तहसील........................ज़िला.................. के वन भूमि पर सामूहिक और व्यक्तिगत वन अधिकार के लिए किये गए दावे आपको प्रस्तुत किये जाते हैं। निम्लिखित दस्तावेज़ और कागज़ात जिनकी कुल पृष्ठ संख्या ....है सलंग्न हैं।

1. ग्राम सभा की कार्यवाही-
2. जांच पड़ताल की रिपोर्ट
3. जांच पड़ताल का नोटिस
4. सामूहिक वन अधिकार दावों के आवेदन
5. व्यक्तिगत अधिकारों के आवेदन
6. ....
7. ....

धन्यवाद

अध्यक्ष/सचिव वन अधिकार समिति......................

सचिव, ग्राम पंचायत......................

परिशिष्ट 15

(नमूना)

उप मंडल स्तरीय समिति के समक्ष याचिका / अपील

दिनांकः.................

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
उप मंडल स्तरीय समिति एवं
उप मंडल अधिकारी (नागरिक)
तहसील................. , ज़िला.................

विषय – अधिनियम की धारा 6 (2) के अन्तर्गत याचिका पर विचार हेतु प्रार्थना

महोदय/महोदया,

मैं/ हम................. गावं का/के निवासी हूँ/हैं और वन अधिकार क़ानून 2006 के अन्तर्गत मैंने/हमने व्यक्तिगत वन अधिकार का दावा किया है। मैंने/हमने अपना दावा वन अधिकार समिति ग्राम सभा .... के समक्ष प्रस्तुत किया था। सभी दावों पर विचार एवं अनुमोदन हेतु दिनांक............ को ग्राम सभा बैठक का आयोजन हुआ था जिसमें ग्राम सभा ने दावों पर निर्णय लेते हुए, प्रस्ताव पारित कर उसे उप मंडल स्तर समिति को भेजा था। मैं/हम आपको अवगत कराना चाहूंगा/गी कि मैं/हम ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव व निर्णय से असंतुष्ट हूँ/हैं क्योंकि:

अपील के मुख्य कारण निम्न हैं:

1.
2.
3.

उप-खंड स्तरीय समिति से अनुरोध है कि मेरी/ हमारी याचिका पर उचित कार्यवाही करें।

सादर आभारी।

याचिकाकर्ता/याचिकर्ताओं का/के नाम (विस्तृत पते सहित)

....

हस्ताक्षर/अगूंठे के निशान

....

परिशिष्ट 16

(नमूना)

ज़िला स्तरीय समिति के समक्ष याचिका / अपील

दिनांक:-----------------

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
ज़िला स्तरीय समिति-----------------
तहसील----------------- , ज़िला-----------------

विषय – अधिनियम की धारा 6 (4) के अन्तर्गत याचिका पर विचार हेतु प्रार्थना

महोदय/महोदया,

मैं/ हम----------------- गावं का/के निवासी हूँ/हैं और वन अधिकार क़ानून 2006 के अन्तर्गत मैंने/हमने व्यक्तिगत वन अधिकार का दावा किया है। मैंने/हमने अपना दावा वन अधिकार समिति ग्राम सभा ---------------- के समक्ष प्रस्तुत किया था। सभी दावों पर विचार एवं अनुमोदन हेतु दिनांक----------को ग्राम सभा बैठक का आयोजन हुआ था जिसमें ग्राम सभा ने दावों पर निर्णय लेते हुए, प्रस्ताव पारित कर उसे उप मंडल स्तर समिति को भेजा था। उप मंडल स्तरीय समिति ने मेरे/हमारे दावों पर लिया अपना निर्णय हमारी ग्राम सभा को दिनांक----------को वापिस भेज दिया था। मैं/हम आपको अवगत कराना चाहूंगा/गी कि मैं/हम उप मंडल स्तरीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय से असंतुष्ट हूँ/हैं क्योंकि:

अपील के मुख्य कारण निम्न हैं:

1.
2.
3.

ज़िला स्तरीय समिति से अनुरोध है कि मेरी/ हमारी याचिका पर उचित कार्यवाही करें।
सादर आभारी।

याचिकाकर्ता/याचिकर्ताओं का/के नाम (विस्तृत पते सहित)

ग्राम सभा का नाम

हस्ताक्षर/अगूंठे के निशान

परिशिष्ट 17

(नमूना)

नियम 13. वनाधिकारों के अवधारण के लिए साक्ष्य

1. वनाधिकारों को मान्यता देने और निहित करने के लिए साक्ष्य में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होगाः-
(क) गजेटियर, जनगणना, सर्वेक्षण और बंदोबस्त रिपोर्टें, मानचित्र, उपग्रहीय चित्र, कार्य योजनांए, प्रबंध योजनांए, लघु योजनाएं, वन जांच रिपोर्टें, अन्य वन अभिलेख, अधिकारों के अभिलेख, पट्टा या लीज़, चाहे कोई भी नाम हो, सरकार द्वारा गठित समितियों और आयोंगों की रिपोर्टों, सरकारी आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र, संकल्प जैसे लोक दस्तावेज़, सरकारी अभिलेख;
(ख) मतदाता पहचानपत्र, राशनकार्ड, पासपोर्ट, गृहकर रसीदें, मूल निवास प्रमाणपत्र जैसे सरकारी प्राधिकृत दस्तावेज़;
(ग) गृह, झोंपडी और भूमि में किए गए स्थायी सुधारों जैसे वास्तविक कार्य, जिसके अंतर्गत समतल करना, बाँध, चैक बांध बनाना और इसी प्रकार के कार्य हैं;
(घ) अर्द्धन्यायिक और न्यायिक अभिलेख, जिसके अंतर्गत न्यायालय आदेश और निर्णय भी है;
(ड़) उन रूढ़ियों और परंपराओं का अनुसंधान अध्ययन, दस्तावेजीकरण, जो किन्हीं वनाधिकारों के उपभोग को स्पष्ट करते हैं और जिनमें भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं द्वारा रूढ़िजन्य विधि का बल है;
(च) तत्कालीन रजवाडों या प्रांतों या ऐसे अन्य मध्यवर्तियों से प्राप्त कोई अभिलेख, जिसके अंतर्गत मानचित्र, अधिकारों का अभिलेख, विशेषाधिकार, रियायतें, समर्थन भी है;
(छ) कुएं, कब्रिस्तान, पवित्र स्थल जैसी पुरातंता को स्थापित करने वाली परंपरागत संरचनाएं;
(ज) पूर्व भूमि अभिलेखों में उल्लिखित या पुराने समय में गांव के वैध निवासी के रूप में मान्यताप्राप्त व्यष्टियों के पुरखों का पता लगाने वाली बंशावली;
(झ) लेखबद्ध किए गए, दावेदार से भिन्न बुजुगों का कथन।

2. सामुदायिक वन संसाधन के साक्ष्य में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः-
(क) निस्तार जैसे सामुदायिक अधिकार, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों;
(ख) परंपरागत चारागाह; जड़ें और कंद, चारा, वन्य खाद्य फल और लघु वन उत्पाद जमा करने के क्षेत्र; मछली पकडने के स्थान, सिंचाई प्रणालियां; मानव या पशु धन के उपयोग के लिए जल के स्त्रोत, औषधिय पौधों का संग्रह, जडी-बूटी औषधी व्यवसायियों के क्षेत्र,
(ग) स्थानीय समुदायों द्वारा बनाई गई संरचनाओं के अवशेष, पवित्र वृक्ष, गुफाएं और तालाब या नदी क्षेत्र, कब्रिस्तान या शमशानगृह।
(घ) चालू आरक्षित वन के संरक्षित वन या गोचर या गांव की अन्य आम भूमि के वर्गीकरण के पूर्ववर्ती सरकारी अभिलेख या निरतारी वन;
(ङ) पारंपरिक कृषि की पूर्ववर्ती या चालू पद्धति।

3. ग्राम सभा, उप मंडल स्तर समिति और जिला समिति, वनाधिकारों का अवधारण करने में उपर उल्लिखित एक से अधिक साक्ष्यों पर विचार करेंगी।

परिशिष्ट 18

(नमूना)

बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा लिखित कथन (व्यक्तिगत अधिकारों के लिए)

<u>नियम 13 की धारा 1(झ) के अनुसार बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा दिया गया प्रमाण</u>

हम, अधोहस्ताक्षरी/ नीचे अंगूठा लगाने वाले, प्रस्तुत व्यक्तिगत वन अधिकार के दावेदारों के अलावा अन्य व्यक्ति हैं और निम्नानुसार लिखित कथन दे रहे हैं।

(दावेदार का नाम) गांव पंचायत डाक घर तहसील ---------- जिला ---------- का स्थाई निवासी है। यह व्यक्ति अनुसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी (दोनों में से एक चुनें) की श्रेणी में आता है। (दावेदार का नाम) 13 दिसम्वर 2005 से भी पहले कई वर्षों से अपनी आजिविका के लिए इस वन भूमि को (निवास/घराल/खेती या अन्य) के लिए व्यक्तिगत रूप में इस्तेमाल करता आ रहा है। अतः ---------- (दावेदार का नाम) द्वारा किया गया दावा पूर्णतया सत्य है । प्रस्तुत किए गए दावे की वन भूमि का स्वरूप निम्नलिखित है-

दावे के स्वरूप का ब्यौरा (स्वयं खेती/निवास के लिए):

क्र.स.	नाम	गांव का नाम	पंचायत	तहसील	जिला	हस्ताक्षर/अगूंठा
1.						
2.						

गवाह - कथन देने वाले उपरोक्त व्यक्तियों से हम परिचित हैं और इस कथन को पढ़ कर समझ कर फिर उन्होनें अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के इसे मान्य करते हुए हमारे समक्ष हस्ताक्षर किए हैं / अगूंठा लगाया हैं।

वन अधिकार समिति अध्यक्ष, सचिव, सदस्य

परिशिष्ट 19

(नमूना)

फ़ार्म 'ख' में घुमंतू पशुपालकों की जानकारी

फ़ार्म 'ख' का बिंदु 3 ग. पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों (घुमन्तु) और पशुपालकों की पहुंच, यदि कोई हों,(अधिनियम की धारा 3 (1) (घ) देखें) :-

हमारे गांव में .... डेरे हैं जो मौसमी चराई के लिए निम्न स्थानों पर जातें हैं

क्र.सं.	जंगल/ स्थानीय नाम	डेरों की संख्या	घुमंतू पशुपालक का नाम	चराई का समय	चरागाहों तक के रास्ते	गांव	ग्राम पंचायत	तहसील	ज़िला	राज्य

परिशिष्ट 20

(नमूना)

फ़ार्म 'ख' का बिंदु 6: अन्य पारंपरिक अधिकार यदि कोई होः (अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें

हम पारम्परिक तरीके से निम्नलिखित देवस्थली का इस्तेमाल करते हैं:-

क्र.सं.	देव स्थल का नाम	जंगल का नाम	देवस्थली का पारम्परिक इस्तेमाल एवं पहुंच	समय अवधि	अन्य किसी ग्राम सभा का अधिकार

परिशिष्ट 21

(नमूना)

फ़ार्म 'ख' का बिंदु 6: वनों पर इस्तेमाल. पेड़ लेने का अधिकार

हम अपनी आजीविका के लिए निम्न वनों पर निर्भर हैं :-

क्र.सं.	जंगल का नाम	स्थानीय नाम	वन भूमि एवं संसाधनो के परम्परिक की पहुँच	अन्य किसी ग्राम सभा का अधिकार
			शवदाह के क्रियाकलापों (शोग, बरी, चवर्ख आदि); छई के लिए (शादी, मुंडन, जातर, कथा, नुँला आदि); मकान बनाने व मरम्मत के लिए, गौशाला बनाने के लिए इमारती लकड़ी का हक़	

04

भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ

4.1 समितियों की भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियाँ: ग्राम सभा; उप-मंडल स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति की भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियाँ

4.2 वनों के सुरक्षा, सरंक्षण एवं प्रबंधन में ग्राम सभा की भूमिका और शक्तियां

4.1 समितियों की भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियाँ

वन अधिकार कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये इस कानून के तहत गठित सभी मुख्य समितियों की भूमिकाएं तय की गयी हैं व साथ ही उनकी जिम्मेदारियों को भी विस्तार से बताया गया है। इस कानून के अन्तर्गत ग्राम सभा को सबसे सशक्त भूमिका दी गयी है और लोगों की भागेदारी पर बहुत जोर दिया गया है।

1. ग्राम सभा

- वन अधिकारों का स्वरुप और उनकी सीमा का निर्धारण करेगी, व वन अधिकार दावों को आमंत्रित करेगी व सुनेगी।
- वन अधिकार के दावेदारों की सूची तैयार करेगी और दावेदारों एवं उनके दावों के बारे में जानकारी का ब्योरा रखने के लिए एक रजिस्टर बनाएगी।

- सभी इच्छुक लोगों व प्राधिकारियों को अपनी बात रखने का मौका देने के बाद वन अधिकार दावों पर प्रस्ताव पारित करेगी और उसे उप-मंडल स्तरीय समिति को भेजगी।
- क़ानून की ***धारा 4(2)(ङ)*** के तहत पुनर्वास पैकेज के बारे में सोचेगी व प्रस्ताव पारित करेगी।
- वन्य जीवों, जंगल एवं जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के लिए ग्राम सभा सदस्यों में से कुछ सदस्य चुन कर एक वन संरक्षण समिति बनाएगी ताकि वो क़ानून की धारा 5 के तहत दी गयी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकें।
- वन संरक्षण समिति जिसका काम वन संसाधनों के सरंक्षण व प्रबंधन को लेकर योजना तैयार करना व उसे वन विभाग के मौजूदा योजनाओं में जोड़ने की कोशिश करना है, ग्राम सभा उसके कामों का नियंत्रण और निगरानी करेगी।
- ग्राम सभा इस समिति के सारे निर्णयों पर अंतिम फैसला लेगी जैसे ट्रांजिट परमिट जारी करना, पैदावार को बेचने से हुई पूँजी के इस्तेमाल को लेकर, आदि।

नियम: 4(1)(क) से 4 (1) (छ); 11(2)

2. उप-मंडल स्तरीय समिति

- वनभूमि पर निर्भर लोगों/समुदायों को कानून में लिखित उद्देश्य व प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना।
- ग्राम सभा के सदस्यों को उनकी ज़िम्मेदारी बताना व वन्यजीव, जंगल और जैव विविधता के संरक्षण व सुरक्षा में लोगो को उनकी भूमिका की जानकारी देना।
- ग्राम सभा या वन अधिकार समितियों को वनों व राजस्व नक़्शे, दाव फ़ार्म (‘क’,

'ख' व 'ग') और अन्य जरूरी दस्तावेज़ उपलब्ध करना।

- वन अधिकार दावों व नक्शों की समीक्षा व सत्यापन करना।
- ग्रामसभा द्वारा दिए गए सभी नक़्शे, जानकारी व प्रस्तावों का ब्योरा फाइल में तैयार करेगी।
- वन अधिकारों के स्वरुप व उनके क्षेत्रफल को लेकर ग्रामसभाओं के बीच जो भी मतभेद हो को सुनना व निपटारा करना।
- ग्राम सभा के प्रस्ताव से नाखुश या असहमत व्यक्ति या राज्य एजेंसी की याचिका पर सुनवाई करेगी।
- एक से अधिक उप-मंडलों में आने वाले दावों के लिए, उनकी उप-मंडल स्तरीय समितियों के साथ उनके बीच/साथ समन्वय करेगी।
- ब्लाक या तहसील स्तर पर सभी सरकारी दावों को जुटाने व देखने के बाद रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स का एक प्रस्ताव बनाएगी और उसे जिला स्तरीय समिति को भेजेगी।
- यह सुनिश्चित करेगी की ग्राम सभा की मीटिंग पारदर्शी और शांतिपूर्वक तरीके से हो।

नियम: 6(क) से 6(ड)

3. जिला स्तरीय समिति

- सुनिश्चित करेगी की उप-मंडल स्तरीय समिति ने ग्राम सभा या वन अधिकार समितियों को वनों व राजस्व नक़्शे, और अन्य जरूरी दस्तावेज़ उपलब्ध कर दिए हैं।
- सुनिश्चित करना की सभी दावों खासतौर से घुमंतू पशुपालको, चारागाहों और अन्य वंचित समुदायों के दावों को भी भरा गया है।
- उप-मंडल स्तरीय समिति के निर्णय से नाखुश या असहमत व्यक्ति/दावेदार की याचिका की सुनवाई करेगी।
- जो दावे एक से ज्यादा जिलों में लगते हैं उन पर अन्य जिलों की जिला स्तरीय समिति के साथ समन्वय करेगी।
- उप-मंडल स्तरीय समिति द्वारा भजे गए दावे और प्रस्तावित रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स पर विचार कर अंतिम निर्णय लेगी।
- अंतिम रूप से पारित वन अधिकारों का उचित सरकारी दस्तावेज़ व रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स में प्रकाशन सुनिश्चित करेगी।
- सुनिश्चित करना की रिकॉर्ड ऑफ़ राईट व दिए गए पट्टे (चाहे व्यक्तिगत हों या सामुदायिक) की एक प्रमाणित कॉपी दावेदार/ग्राम सभा/समुदाय को उचित प्रारूप में दे दी गई है।

नियम: 8(क) से 8(झ)

4. राज्य स्तरीय निगरानी समिति

- वन अधिकारों को मान्यता देने व उन्हें निहित करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए यह समिति कुछ मापदंड और पैमाने तय करेगी।
- राज्य में वन अधिकारों को मान्यता देने, उन्हें जांचने व उनको निहित करने की प्रक्रिया की निगरानी करेगी।
- तीन महीनों में कम से कम एक बार मिलेगी और ज़मीनी स्तर पर क़ानून को लागू करने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उस पर चर्चा व दावों की मौजूदा स्थिति, कितने दावों को मंजूरी मिली, कितनों को नहीं, लंबित दावों और उसके क्या कारण हैं आदि की एक तिमाही रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगी।
- समिति धारा 8 के तहत कोई नोटिस प्राप्त होने पर सम्बंधित अधिकारियों के खिलाफ़ उचित कार्यवाही करेगी।
- नेशनल पार्क, सैंक्चुअरी के सन्दर्भ में संकटग्रस्त वन्य जीव आवासों के मसले में क़ानून की धारा 4(2) के तहत पुनर्वास की प्रक्रिया की निगरानी करेगी। धारा 3(1)(ड) एवं क़ानून की धारा 4 (2) में लिखी बातों का सही व कानूनी ढंग से पालन हो इसकी निगरानी करेगी।

नियम: 10(क) से 10(च)

4.2 वनों की सुरक्षा, सरंक्षण एवं प्रबंधन में ग्राम सभा की भूमिका और शक्तियां

वनों पर निर्भर लोगों का हमेशा से वनों के साथ एक समझ, सवेंदना और मित्रता का रिश्ता रहा है। वन अधिकार क़ानून अपनी प्रस्तावना में ही इस बात को महत्व देता है कि वनों का बचाव और रख-रखाव करने में वनों पर निर्भर समुदायों की सबसे अहम भूमिका है। इसीलिए यह क़ानून ग्राम सभा को सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा, सरंक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार देता है। ***धारा 3(1)(झ)***

इस पुस्तिका के खंड 3 में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के लिए फ़ार्म 'ग' भरने की प्रक्रिया की जानकारी दी गयी है. इस अधिकार का पट्टा ग्राम सभा के नाम पर दर्ज होगा।

सामुदायिक वन संसाधन को वन अधिकार क़ानून की धारा 2(क) में ऐसे परिभाषित किया गया है -

"सामुदायिक वन संसाधन" से ग्राम की पंरपरागत या रूढ़िगत सीमा के भीतर रूढ़िगत सामान्य वनभूमि या चरागाही समुदाय की दशा में भू-परिदृश्य का मौसमी उपयोग अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत आरक्षित वन, संरक्षित वन और संरक्षित ऐसे क्षेत्र की भूमि है जैसे सैंक्चुअरी या राष्ट्रीय उद्यान जिन पर समुदाय की परंपरागत पहुंच थी।"

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को वन अधिकार कानून की धारा 3(1)(झ) में ऐसे रेखांकित किया गया है -

"ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनर्जीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार, जिसकी वे सतत् उपयोग के लिए परंपरागत रूप से सुरक्षा और संरक्षण कर रह हे।"

वन अधिकार धारकों को दी गयी इस जिम्मेदारी व अधिकार को निभाने के लिए कानून के नियम 4(1)(ङ) के तहत ग्राम सभा अपने सदस्यों में से सामुदायिक वन संसाधन सरंक्षण समिति का गठन करेगी जो वन्यजीव, वन और जैव विविधता का संरक्षण करेगी और प्रबंधन की योजना बनाने में सक्रिय रहेगी।

क़ानून की ***धारा 5*** के तहत ग्राम सभा इस समिति को निम्नलिखित ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए सशक्त करती है –

- आस पास के जलागम क्षेत्र, जल स्त्रोत और अन्य पारिस्थितिकीय रुप से संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित रखना।
- यह सुनिश्चित करना की वन मे निवास करने वाले समुदायों का निवास किसी भी प्रकार की विनाशकारी गतिविधियों से संरक्षित हो, जो उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करती हों।
- सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करने और वन, वन्यजीव और जैव-विविधिता को नुकसान करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिये ग्राम सभा द्वारा लिये गये निर्णय का पालन किया जाये।
- वन्य जीव, वनों और जैव विविधता का सरंक्षण करना।

ग्राम सभा अपने तरीके से वन सरंक्षण-प्रबंधन की योजना बना सकती है। इन योजनाओं को वन विभाग अपनी वन सरंक्षण योजनाओं में, बदलावों के साथ, शामिल करेगा। वन प्रबंधन और संरक्षण की योजना सभी ग्राम सभा सदस्यों के अधिकारों और उपयोग को ध्यान में रखते हुए बननी चाहिए ताकि ना तो वनों का दोहन हो और ना ही किसी के अधिकारों का हनन हो।

नियम: 4(1)(ङ),(च); 5; और धारा: 2(क); 3(1)(झ)

05

छोटी-छोटी मगर मोटी बातें

5.1 घुमंतू पशुपालक और वन अधिकार कानून

5.2 महिलाओं की भागेदारी और भूमिका

5.3 वनभूमि से बेदखली और वन अधिकार कानून के प्रावधान

5.4 वनभूमि हस्तांतरण एवं वन अधिकार क़ानून

5.1 घुमंतू पशुपालक और वन अधिकार कानून

घुमंतू पशुपालन पहाड़ों का सबसे पुराना व्यवसाय है जो पूरी तरह से वनभूमि पर आधारित है। आज भी ऊँची गुणवत्ता का दूध, ऊन और मीट पैदा करने वाला यह व्यवसाय, खेती के साथ, न केवल महत्वपूर्ण आजीविका का साधन है बल्कि पहाड़ों के भूगोल और प्रकृति के अनुकूल भी है। आज भी हिमाचल के घुमंतू पशुपालक, गर्मियों की चराई के लिये बड़ा भंगाल, चंबा, कुल्लू से ले कर लाहौल तक तथा सर्दियों की चराई के लिए बिलासपुर से ले कर उना, नालागढ़ और यहाँ तक की पंजाब, उत्तराखंड

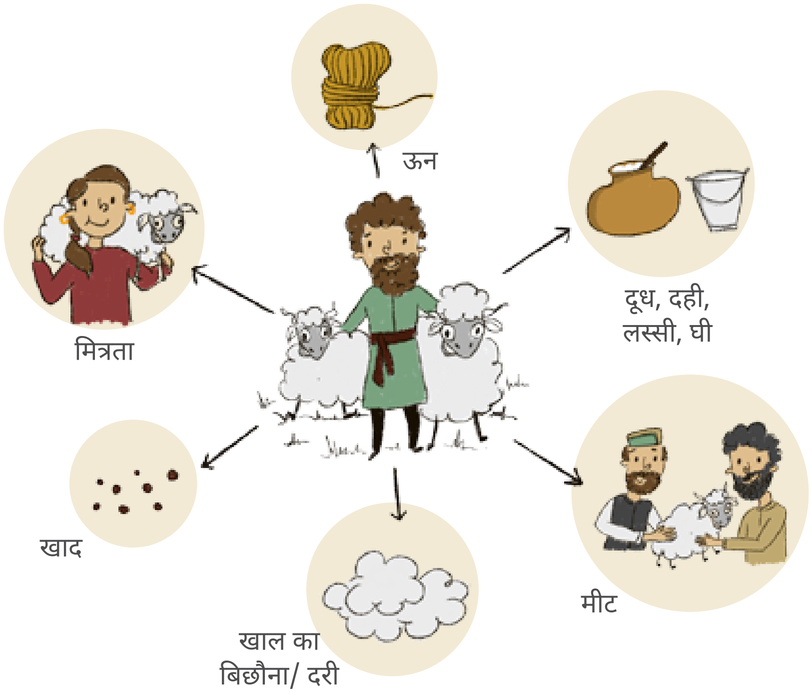

एवं जम्मू-कश्मीर के चरागाहों का परम्परागत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से घुमंतू पशुपालन सामुदायिक भूमि पर ही निर्भर थे। घुमंतू लोग स्थायी गाँव निवासियों के साथ लेन-देन और आपसी समझ बना कर यह इस्तेमाल करते थे।

हिमाचल के घुमंतू पशुपालक में गद्दी, गुज्जर, किन्नौरा (जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं) और दूसरे घुमंतू पशुपालक अन्य परम्परागत वन निवासी की श्रेणी में शामिल हैं जो चंबा, मंडी, काँगड़ा, कुल्लू और शिमला जिलों में फैले हैं। वन अधिकार कानून के अंतर्गत घुमंतू पशुपालकों को अपने परम्परागत चरागाहों और रास्तों पर अधिकार मिल सकते हैं।

वन अधिकार कानून की धारा 2(ग) में वन निवासी की परिभाषा में घुमंतू पशुपालकों का ख़ास ज़िक्र है और कानून के कई प्रावधानों में घुमंतू पशुपालक समुदाय को जोड़ा गया है। जैसे की कानून की धारा 3(1)(घ) में घुमंतू पशुपालकों के चरागाहों और जंगलों में अधिकार को स्पष्ट किया गया है।

धारा 2 (क)

घुमंतू पशुपालकों द्वारा पारम्परिक मौसमी चरागाह को सामुदायिक वन संसाधन माना गया है जिसमें वन्यजीव सैंक्चुरी और राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) जैसे संरक्षित क्षेत्र भी शामिल हैं। नियम 12 (1)(ग) में वन अधिकार समिति यह सुनिश्चित करेगी कि घुमंतू पशुपालकों के दावों का निर्धारण और सत्यापन तब ही किया जायेगा जब समुदाय के व्यक्ति/दावेदार/ प्रतिनिधि वहाँ मौजूद हों।

इस किताब के 49-51 पन्ने पर जहां सामूहिक दावे का फ़ार्म 'ख' भरने की प्रक्रिया दी गयी है वहां घुमंतू पशुपालकों द्वारा फ़ार्म कैसे भरा जाये उस पर ध्यान दिया गया है।

क्योंकि कई घुमंतू पशुपालकों के चराई के अधिकार अलग अलग जिलों में हैं इस कानून के नियम 8(ख) में यह ख़ास प्रावधान है कि जिला स्तरीय समिति घुमंतू पशुपालकों के दावों को भरने की प्रक्रिया में पूरी मदद करने के अलावा यह देखेगी की इस समुदाय से दावे आये हैं और इनका निपटारा कानून के उद्देश्य के अनुसार हुआ है ताकि यह समाज अपने अधिकारों से वंचित न रह जाये।

5.2 महिलाओं की भागेदारी और भूमिका

वन अधिकार कानून महिलाओं को बराबर का हकदार या दावेदार मानता है।

वन अधिकार कानून में:

- *वन अधिकार समिति में कम से कम एक तिहाई महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है;*
- *उप-मंडल स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति में कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है;*
- *ग्राम सभा का कोरम पूरा होने के लिए 1/3 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है;*
- *व्यक्तिगत अधिकारों का पट्टा परिवार के दोनों मुखिया - महिला और पुरुष के नाम पर जारी किया जाएगा।*

यदि समाज की आबादी का आधा हिस्सा महिलाएं हैं और बिना इनके श्रम के हम आगे नहीं बढ़ सकते तो महिलाओं को ज़मीन और संसाधनों पर भी पूरा पूरा अधिकार मिलना चाहिए और यह हर जगह देखा गया है कि इस कानून को लागू करवाने की मुहीम में महिलाएं हमेशा आगे रही हैं।

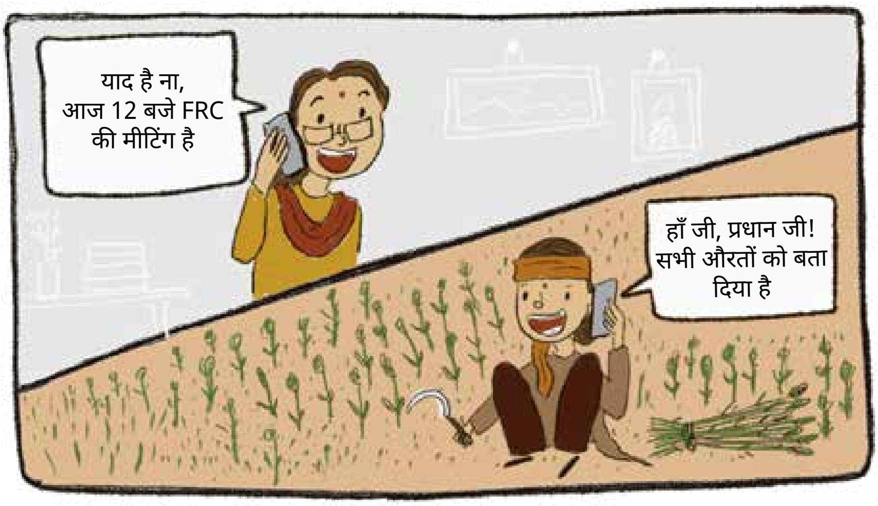

5.3 वनभूमि से बेदखली और वन अधिकार कानून के प्रावधान

राष्ट्रीय स्तर पर 2006 का वन अधिकार कानून इसी लिए लाया गया ताकि वनभूमि पर पहले से काबिज़ वास्तविक और ज़रूरतमंद लोगों और वास्तविक दावेदारों को बेदखली कि मार न सहनी पड़े।

सरकार किसी भी कब्जादारी को तब तक वनभूमि से बेदखल नहीं कर सकती जब तक की वनभूमि में अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।

*वन अधिकार कानून की **धारा 4(1)** अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासियों के **धारा 3(1)** में उल्लेखित अधिकारों को मान्यता देती व निहित करती है। इस धारा के अनुसार वन अधिकार कानून के तहत माने गये वन अधिकारों पर पिछले कानून, नियमों और आदेश भी लागू नहीं होंगे।*
*वन अधिकार क़ानून न सिर्फ **धारा 3(1)(क)** के तहत 13 दिसंबर 2005 से पहले के वनभूमि पर अपनी जरूरतों के लिए निर्भर हकदारों को मालिकाना हक़ प्रदान करता है बल्कि **धारा 4(5)** में स्पष्ट करता है कि जब तक वन अधिकारों के दावों की जांच और मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी व्यक्ति को उसकी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता।*

5.4 वनभूमि हस्तांतरण एवं वन अधिकार क़ानून

किसी भी परियोजना/ गैर-वानिकी कार्य के लिये वनभूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया वन संरक्षण कानून, 1980 के तहत होती है। वन अधिकार क़ानून के पारित होने के बाद 2009 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एक प्रपत्र जारी किया गया जिसके अनुसार वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के तहत किसी भी प्रकार की वनभूमि के हस्तांतरण के लिए वन अधिकार कानून के अंतर्गत अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया का पूरा होना अनिवार्य है। इसमें वन अधिकार कानून में बनी ग्राम सभा को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने/ ना देने का अधिकार है।

- *वन हस्तांतरण में ग्राम सभा की अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का प्रावधान अब वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के संशोधित नियम 2016 में भी शामिल किया गया है। नियम 6 के उपनियम 3 के खंड (ड) में ये साफ़ लिखा है कि किसी भी परियोजना में प्रस्तावित वनभूमि के हस्तांतरण से पहले ज़िलाधीश सुनिश्चित करे कि वनभूमि पर वन अधिकार कानून के तहत अधिकारों को निहित करने व मान्यता देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।*
- *साथ ही वो ये भी सुनिश्चित करे कि हस्तांतरण के लिए प्रस्तावित भूमि या उसके जिस भी हिस्से पर जिन भी ग्राम सभा मुहाल के अधिकार हैं उन्हें हस्तांतरण व परियोजना/प्रोजेक्ट की सारी जानकारी दे दी गयी है और*

हस्तांतरण तभी अमल में लाया जाएगा जब इस जानकारी के बाद ग्राम सभा अपनी मंजूरी दे देती है।

- *ग्राम सभा बैठक बुलवाकर गैर-वानिकी कार्य के लिये हस्तांतरण के उद्देश्य को जान कर 50% कोरम के साथ एक प्रस्ताव पारित करेगी की वह वन हस्तांतरण करने के पक्ष में है या नहीं।*
- *वन अधिकार कानून की* ***धारा 5,*** *वन अधिकार धारकों, ग्राम सभा व गांव स्तर की संस्था को यह शक्ति देती है कि वो वनों, वन्यजीवों, जल स्रोतों, जलागम क्षेत्र, जैव विविधता और 'सांस्कृतिक व प्राकृतिक धरोहर' की रक्षा कर सके। खासकर,* ***धारा 5(घ)*** *ग्राम सभा को किसी भी ऐसी गतिविधि को रोकने का अधिकार देती है जिससे वन, वन्य जीव, जैव विविधता को नुकसान हो रहा हो।*

06

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

6.1 वन अधिकार क़ानून की उपयुक्तता
6.2 वन अधिकार कानून में पात्रता
6.3 प्रक्रिया
6.4 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार
6.5 गौण वन उत्पाद
6.6 जे.एफ़.एम समितियों की स्थिति
6.7 विकास और वन अधिकार कानून
6.8 कुछ और सवाल

6.1 वन अधिकार क़ानून की उपयुक्तता

1. हिमाचल जैसे राज्यों में जहां भारतीय वन कानून, 1927 व वन्यजीव संरक्षण कानून, 1972 के तहत पहले ही बन्दोबस्ती हो चुकी है तो क्या दोबारा से वन अधिकार कानून के तहत कार्यवाही करना अनिवार्य है?

*वन अधिकार कानून की **धारा 3(1)(ञ)** और **(ठ)** के तहत उन सभी वन अधिकारों को कानूनी मान्यता दी जाती है जिनको राज्य के किसी भी कानून या अन्य पारंपरिक कानून जिसमें जनजातीय समुदायों को अधिकार दिए गए हों।*

इसलिए बन्दोबस्त या वाजिब-उल-अर्ज में वनभूमि के उपयोग या वन से मिलने वाली वस्तुओं को उपयोग करने के लिये उल्लेखित सभी अधिकारों को वन अधिकार कानून के अंतर्गत सामुदायिक अधिकारों के तौर पर दर्ज किया जाएगा। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि वाजिब-उल-अर्ज में उल्लेखित अधिकार समुदायों को रियायत/छूट के तौर पर दिये गए थे जिसको यह कानून वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। याद रहे कि वन अधिकार कानून ***धारा 3(1)(i)*** के तहत वनों के संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार भी समुदायों को देता है।

2. क्या वन अधिकार क़ानून राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव सेंक्च्युरी, टाइगर रिज़र्व आदि अन्य सरंक्षित वन क्षेत्रों में भी लागू होता है?

हां, वन अधिकार कानून राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव सेंक्च्युरी, टाइगर रिज़र्व आदि अन्य सरंक्षित वन क्षेत्रों में लागू होता है। कानून की धारा 2(घ) में यह स्पष्ट किया गया है कि वनभूमि का अर्थ है किसी भी प्रकार की भूमि जो वन क्षेत्रों के अन्तर्गत आती हो और इसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव सेंक्च्युरी भी शामिल है।

यह कानून केवल पहले से मौजूद अधिकारों, जिन्हें पात्र लोग नेशनल पार्क और सेंक्च्युरी में उपयोग करते आ रहे हैं, को ही मान्यता देता है। वनभूमि पर पहले से निवास कर रहे लोगों की आजिवीका को सुरक्षित करने के अलावा, यह कानून किसी भी नये अधिकार का गठन नही करता जो सरंक्षित वनों के पर्यावरण एवं वन्य जीवों को किसी भी प्रकार से कोई नुक्सान या हानि पहुंचा पायें। साथ ही वो क्षेत्र जहाँ वन अधिकारों के इस्तेमाल से वन्य जीवों को किसी भी प्रकार की अपरिवर्तनीय हानि पहुँच सकती है वहां वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यह क़ानून उन क्षेत्रों में एक लोकतांत्रिक व पारदर्शी तरीके से संकटाग्रस्त वन्य जीव आवास और वन्य जीव की सुरक्षा के लिए अनतिक्रांत क्षेत्रों (मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ लोगों की पहुंच पर रोक हो और वन्य जीव पर कोई नकरात्मक प्रभाव न पड़े) को बनाने व घोषित करने की बात करता है।

3. कई संरक्षित क्षेत्रों जैसे नॅशनल पार्क, वन्य जीव सेंक्च्युरी में जहाँ लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के बाद अंतिम नोटिफिकेशन पास कर दिए गए हैं क्या उन अधिकारों को वन अधिकार क़ानून के अंदर दोबारा से स्थापित एवं मान्यता प्रदान करने की जरूरत है?

वन अधिकार क़ानून अपनी प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहता है कि पहले से मौजूद वन और वन्यजीव कानूनों के तहत लोगों के वन अधिकारों को स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं मिल पायी थी और इस 'ऐतिहासिक अन्याय' की वजह से वन पर निर्भर समुदायों की वनों तक पहुँच पर रोक लगी और उनकी आजीविका प्रभावित हुयी। वन अधिकार क़ानून वन आधारित समुदायों को वन एवं वनभूमि के उपयोग के साथ-साथ उसकी सुरक्षा, प्रबंधन एवं सरंक्षण करने का कानूनी अधिकार और ज़िम्मेदारी भी देता है जो पहले नहीं था।

वन अधिकार क़ानून के तहत इन अधिकारों को कानूनी रूप से निहित किया गया है और ऐसे संरक्षित क्षेत्रों में इन अधिकारों की कानूनी मान्यता स्थापित करने की ज़रुरत है।

4. क्या वन अधिकार कानून नगर पालिका क्षेत्रों में लागू होगा?

वन अधिकार कानून कि ***धारा 1(2)*** यह स्पष्ट रूप में दर्शाती है कि यह कानून पूरे देश में लागू होता है।

वन अधिकार कानून कि ***धारा 2(घ)*** में वनभूमि के अर्थ को स्पष्ट रूप से बताया गया है "किसी भी प्रकार की भूमि जो वन क्षेत्रों में आती हो।" वनभूमि की यह परिभाषा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 12/12/1996 के गोदावर्मन केस में दिये गये निर्णय पर आधारित है। स्पष्ट है कि वन अधिकार कानून, वनभूमि के सम्बन्ध में सभी दावेदारों के लिये लागू होता है फिर वो किसी भी जगह पर हों- नगर पालिका क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं।

जनजातीय मन्त्रालय ने भी इस सम्बन्ध में दिनांक 29 अप्रेल 2013 (पत्र-F. No.19020/02/2012-FRA)और5मार्च2015(F.No.19020/02/2012 -FRA (Vol.II) को जारी किये गये पत्रों में स्पष्टीकरण दिया है।

6.2 वन अधिकार कानून में पात्रता

1. **क्या जनजातीय समुदाय के वह लोग जो अब गैर-जनजातीय क्षेत्रों में जाकर रहने लगे हैं वह भी वन अधिकार कानून के अंदर दावा भर सकते हैं?**

   हिमाचल में जनजातीय समुदाय की पहचान अनुसूचित जनजाति के रूप में सिर्फ जनजातीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे राज्य में मानी गयी है इसलिए वह कहीं से भी अपना दावा वन अधिकार कानून के अंदर भर सकते हैं।

2. **हिमाचल प्रदेश में कई वन हैं जिन्हें 1950 के दशक में अधिसूचित किया जा चूका है तो फिर 'अन्य परम्परागत वन निवासी' किस तरह से स्थापित कर सकते हैं कि वह मुख्य रूप से इन जंगलों में तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से रह रहे हैं जब यह जंगल स्वयं केवल 50 या 60 साल पुराने हैं?**

   हिमाचल में जंगल किसी भी प्रकार के कानूनी रिकॉर्ड या जंगल के प्रबंधन के लिए बनाये गए विभाग से बहुत पहले से मौजूद रहे हैं । साथ ही वन अधिकार क़ानून हर प्रकार की वनभूमि पर लागू होता है और अन्य परम्परागत वन निवासी को अपने दावे को स्थापित करने के लिए केवल क़ानून द्वारा मांगे गए सबूतों में से कोई भी दो सबूत लगाने की जरूरत है।

3. **अन्य परम्परागत वन निवासी के दावों के सन्दर्भ में 75 वर्ष को स्थापित करते समय, अगर दावेदार और उनके पूर्वज एक गावं में 50 वर्ष तक रहे हों और दूसरे गावं में 25 वर्ष तक, तब क्या दावे में 75 वर्ष की अवधि स्थापित करने के लिए दोनों समय अवधियों को शामिल किया जाएगा?**

   वन अधिकार क़ानून की ***धारा 2(ण)*** के अनुसार यह आवश्यक नहीं की दावेदार और उनके पूर्वज एक ही गावं में 75 वर्ष से रह रहे हों बल्कि दावेदारों का वनभूमि पर 75 वर्षों से निर्भर होना और यह साबित करना आवश्यक है। एक बार यदि समुदाय स्तर पर यह स्थापित हो चुका है कि वह समुदाय 'अन्य परम्परागत वन निवासी' हैं उसके बाद इस समुदाय के हर दावेदार को अलग से यह साबित करने की ज़रुरत नहीं है।

   स्रोत: Frequently Asked Questions on the FRA जनजातीय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित

4. **घुमन्तु पशुपालक समुदाय के लोग किस ग्राम सभा/ओं से अपना वन अधिकार दावा भरेंगे?**

   घुमन्तु पशुपालक समुदाय के लोग अपनी ग्राम सभा से अपना दावा भर सकते

हैं लेकिन अगर उनके अधिकार बहुत सारे गावं में आते हों जैसाकि हिमाचल में कई जगह पाया जाता है तो वह किसी एक ग्राम सभा में अपना दावा भरेंगे जहाँ से वह पशु चराई करते हुए जाते हैं और जहाँ उनके अस्थायी चराई के अधिकार हैं।

> ***नियम 12(1)(ग)*** *के अनुसार वन अधिकार समिति को यह सुनिश्चित करना है कि घुमन्तु पशुपालक समुदाय के लोगों के वन अधिकार दावों पर उनकी मौजूदगी में निर्णय लिया जाए और उनको जरूर शामिल किया जाए।*

5. वन अधिकार क़ानून के तहत उन घुमन्तु पशुपालकों के चराई के अधिकार की क्या स्थिति होगी जो प्राथमिक रूप से वनों में नहीं बल्कि राजस्व भूमि पर निवास करते हैं?

इस क़ानून में घुमन्तु पशुपालक समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए स्पष्ट रूप से एक अलग ***धारा 3(1)(घ)*** है। हिमालयी क्षेत्र के अधिकतर घुमन्तु समुदाय मौसमी प्रवास करते हैं जिसका मतलब है कि उनके स्थायी आवास राजस्व भूमि (गाँव) में हैं जहाँ वह किसी एक मौसम में बैठते हैं, छोटी-मोटी खेती करते हैं और आसपास ही पशुओं को चराते हैं जोकि वह पारंपरिक रूप से करते आएं हैं। वन अधिकार क़ानून जंगलों पर उनकी इस निर्भरता को मान्यता देते हुए उनके अधिकारों को पूरी तरह से शामिल करता है।

6.3 प्रक्रिया

1. वन अधिकार कानून को लागू करने के लिए कोई समय सीमा क्यों नहीं रखी गयी?

वन अधिकार क़ानून का उद्देश्य देश में वनभूमि पर निर्भर लोगों के अधिकारों को पहचानना है। ऐसे कई लोग/समुदाय हैं जिन्हे इस क़ानून की जानकारी मिलने में समय लग सकता है। कानून की जानकारी के अभाव में लोग इसके लाभ से वंचित न हों इसलिए कोई ठोस समय सीमा का प्रावधान कानून में नहीं है। दावे बुलाने की ज़िम्मेदारी ग्राम सभा की है और इसके लिए ग्राम सभा 90 दिन तक का समय दे सकती है।

परन्तु ज़रुरत पड़ने पर इस अवधि को बढ़ा भी सकती इसीलिए सही यही होगा कि ग्राम सभा अपने हिसाब से समय सीमा निर्धारित करे या बदले।

यह याद रहे की दावों की प्रक्रिया में समय सीमा नहीं है पर उन्हीं दावों/दावेदारों को जायज़ माना जाएगा जो कि 13 दिसंबर 2005 से पहले से वनभूमि पर निर्भर हैं। इस समय सीमा को ले कर कानून स्पष्ट है।

2. क्या वन अधिकार समिति या ग्राम सभा के सदस्यों के अलावा कोई और समिति इस कानून की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है?

इस कानून के तहत गठित वन अधिकार समिति और ***नियम 4(1)(ङ)*** की समिति के अलावा वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया में कोई और समिति या इकाई कार्यरत या गठित नहीं की जा सकती।

3. क्या हिमाचल जैसे राज्य में 50% कोरम के साथ ग्राम सभा करना संभव है?

2008, में जब वन अधिकार नियम बने थे तब ग्राम सभा में 2/3 सदस्यों के कोरम की आवश्यकता थी। बाद में 2012 में संसद में संशोधन ला कर इसको घटा कर 50% कर दिया गया। ग्राम सभा में 50% कोरम की आवश्यकता इसलिए है ताकि पूरी पारदर्शिता और भागीदारी के साथ निर्णय लिए जा सकें।

हिमाचल में 50% कोरम को पूरा न कर पाने की समस्या तब आई जब ग्राम सभा बैठक पंचायत स्तर पर की जा रही थी और दूर बसे मुहाल के लोगों का आना संभव नहीं था। पर इस कानून में स्पष्ट है की ग्राम सभा बैठक मुहाल या टोला स्तर पर होनी चाहिए ताकि 50% कोरम पूरा करने में दिक्कत न हो।

4. क्या एक बार किसी दावे को मंज़ूर या खारिज करने के बाद ग्राम सभा अपने लिये निर्णय पर पुनः विचार कर सकती है या दोबारा इस को चर्चा के लिए खोल सकती है?

ग्राम सभा तथा उप-मंडल स्तरीय समिति के निर्णयों पर अपील की जा सकती है और उस समय दावों पर पुन:विचार हो सकता है। यदि उप-मंडल स्तरीय समिति या जिला स्तरीय समिति को लगता है की दावों की प्रक्रिया में कमी रही है या फिर इन पर पुन:विचार होना ज़रूरी है तो समिति इन दावों को वापिस ग्राम सभा के पास भेज कर पुन:विचार का सुझाव दे सकती है ।

नियम 12क(6)

5. वन अधिकार कानून के तहत मिले अधिकार किन दस्तावेजों में दर्ज होंगे?

> *वन अधिकार कानून के नियम 12(क) के अंतर्गत वन अधिकार मिलने के बाद राजस्व और वन विभाग की सूची, नक्शों और दस्तावेजों (जैसे जमाबंदी) में पट्टों/अधिकारों की जानकारी चढ़ाई जाएगी.*

जन जातीय मंत्रालय द्वारा भी यह बात 2014 के प्रपत्र द्वारा स्पष्ट की गयी है। राज्य के स्वयं के कानूनों के अंतर्गत यह बदलाव किये जायेंगे। ध्यान रहे कि दस्तावेज़ में अधिकार के अंकन में हकदार की जाति या श्रेणी भी अंकित होनी चाहिए ।

6.4 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार

1. क्या हकदारों का जंगल में खड़े पेड़ों पर भी अधिकार होगा?

जी हाँ, वनभूमि पर खड़े पेड़ों पर हकदारों का अधिकार कानून की ***धारा 3(1)(ञ)*** में दर्ज है परन्तु यदि इन पेड़ों को काटना हो तो राज्य के अन्य नियम कानून जो निजी भूमि पर लगे पेड़ों के लिए भी लागू होते हैं इस स्थिति में भी लागू होंगे। इन पेड़ों से लघु वन उत्पाद के संचय और उपयोग के लिए और बर्तनदारी में शामिल किसी भी अधिकार के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी।

2. इस कानून में टीडी के अधिकार का क्या होगा?

*वन अधिकार कानून की **धारा 3(1)(ञ)** के अनुसार: "ऐसे अधिकार, जिनको किसी राज्य की विधि (नियम/कानून) या किसी स्वशासी ज़िला परिषद् या स्वशासी क्षेत्रीय परिषद् की विधिय के अधीन मान्यता दी गई है या जिन्हें किसी राज्य की सम्बंधित जनजाति की किसी पारंपिरक या रूढ़िगत विधि के अधीन जनजातीय के अधिकार के रूप म स्वीकार किया गया है;" भी इस कानून में मान्य हैं।*

1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने (गोदावार्मन मामले में) पेड़ों की कटान पर रोक डालते हुए यह स्पष्ट किया था "हिमाचल प्रदेश के सन्दर्भ में हकदारों को दी गयी टीडी परमिट पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।"

3. क्या अब टी.डी. देने का अधिकार मुहाल ग्राम सभा के पास होगा?

इस कानून के तहत मुहाल स्तर पर ग्राम सभा के पास वनभूमि के रख रखाव व प्रबंधन की पूरी ज़िम्मेदारी और अधिकार भी है। कानून की ***धारा 3(1)(झ)*** और ***धारा(5)*** में यह साफ़ लिखा गया है और साथ में नियम अनुसार ***4(1)(ङ)*** के तहत गठित वन संरक्षण समिति को संरक्षण से जुड़ी ज़िम्मेदारी दी गयी है। इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रकार के पेड़ कटान से जुड़े निर्णय में वन अधिकार ग्राम सभा और वन संरक्षण समिति कि सक्रिय भागीदारी और भूमिका होगी।

6.5 गौण वन उत्पाद

1. गौण/लघु वन उत्पाद से क्या अर्थ है?

वन अधिकार क़ानून की ***धारा 2(झ)*** के अनुसार लघु या गौण वन उत्पाद से मतलब है वनों में पायी जाने वाली सभी गैर इमारती वन उपज जैसे जलाऊ लकड़ी, चारा-पत्ती, बांस, साग और खाद्य पदार्थ जैसे ब्रां और कराली के फूल, मशरुम, बन लहसुन,

तरड़, शहद, फफरु, छूनली, लुंगडू, चिलगोज़ा, खजूर, बेर, फल जैसे-आंवला, किनुआ, अम्ब, खट्टा, जड़ीबूटियां जैसे- कीकर की दातुन, गर्ने, क्रिंग की दातुन, साथजलोड़ी, नीलकण्ठी, जंगलीकुथ, फर्न, कश्मल, रतनजोत, काला जीरा, भोजपत्तर, धूप, हरड़, बहेड़ा, सालमपंजा, तेजपत्र, ककोली, कारु, ब्रहमाकमल आदि।

2. हिमाचल में गौण वन उत्पादों पर अधिकार भारतीय वन अधिनियम के तहत वन बंदोबस्त के समय ही दिए जा चुके हैं तो फिर वन अधिकार क़ानून के तहत गौण वन उत्पादों पर सामुदायिक अधिकार की क्या जरूरत है?

हिमाचल में वन बंदोबस्त की प्रक्रिया 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी जिसके बाद 100 से भी ज्यादा साल निकल चुकें हैं और अब भूमि पर बढ़ते दबाव और जरूरतों के चलते, न केवल लोगों की इन गौण वन उत्पादों तक पहुँच में परिवर्तन आ चूका है बल्कि कौन से लोग अब इनपर निर्भर हैं उसमे भी बड़े बदलाव हो गए हैं।

*इन उत्पादों के उपयोग का ज़िक्र बंदोबस्त के दस्तावेजों में है पर वन अधिकार कानून **धारा 3(1)** के खंड (ख)(ग)(घ)(छ) के तहत पहले से मौजूद वन अधिकारों को मान्यता देता है और **धारा 3(1)(ञ)(ठ)** के तहत वो सभी अधिकार जो किसी भी राज्य सरकार या परम्परागत क़ानून के तहत दिए गए हैं उनको पहचान और मान्यता प्रदान करता है। साथ ही **धारा 3(1)(झ)** के तहत ग्राम सभा को वनों की सुरक्षा, प्रबंधन व संरक्षण का भी अधिकार देता है।*

3. वन अधिकार क़ानून धारा 3(1)(ग) के तहत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी को लघु वन उत्पादों के ऊपर मालिकाना अधिकार देता है। क्या वन अधिकार क़ानून के अंतर्गत राज्यों के वन कानूनों में निश्चित राष्ट्रीयकृत वन उत्पादों पर भी मालिकाना हक़ मिलेगा?

हाँ, वन अधिकार क़ानून सभी राज्यों के वन कानूनों के तहत निश्चित राष्ट्रीयकृत वन उत्पादों पर मालिकाना अधिकार देता है। यह क़ानून ***धारा 3(1)(ग)*** के तहत परम्परागत और पुश्तैनी समय से इकठ्ठा किया जा रहे लघु वन उत्पादों पर मालिकाना हक़, पहुँच, उन्हें संग्रह व उपयोग करने और बेचने का अधिकार देता है।

4. क्या लघु वन उत्पादों पर दिए अधिकार सिर्फ ग्राम सभा को दिए गए हैं या लोगो को व्यक्तिगत रूप में या समहू के रूप में भी दिए जा सकते हैं?

आम तौर पर यह ग़लतफ़हमी है कि ***धारा 3(1)(क)*** में दिए गए अधिकार सिर्फ व्यक्तिगत रूप में दिए गए हैं व ***धारा 3(1) (ख)*** से लेकर ***3(1)(ड)*** तक के अधिकार सिर्फ सामुदायिक अधिकार के रूप में ग्राम सभा को मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सभी अधिकार दोनों व्यक्तिगत और सामुदायिक रूप में दिए जाते हैं जब तक

कि किसी अधिकार का स्वरुप ही सामूहिक हो। इसलिए लघु वन उत्पादों पर दिए गए अधिकार व्यक्तिगत, सामूहिक या सामुदायिक, ग्राम सभा किसी को भी दिए जा सकते हैं ।

5. क्या ग्राम सभा लघु वन उत्पादों पर ट्रांसिट परमिट जारी कर सकती है और इस स्थिति में मौजूदा ट्रांजिट नियमों का क्या होगा?

हाँ, जहाँ पर भी वन अधिकार दिए जा चुके हैं वहां ग्राम सभा ट्रांजिट परमिट जारी करने की मंजूरी दे सकती है।

__नियम 4(1)(ङ)__ के अंदर बनी समिति लघु वन उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने/ बेचने के लिए ट्रांजिट परमिट जारी करेगी और इससे जुड़े सारे निर्णय ग्राम सभा के सामने मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगी। हिमाचल के मौजूदा ट्रांजिट नियमों को वन अधिकार क़ानून के प्रावधानों के अनुसार बदला जा सकता है।

6.6 जे.एफ़.एम समितियों की स्थिति

1. क्या 15-20 वर्ष पहले बनी जे. एफ़. एम समितियों को वन अधिकार कानून के नियम 4(1)(ङ) के तहत बनने वाली समिति में बदल सकते हैं?

लोगों को वनों के प्रबन्धन में शामिल करने के लिए 1990 में भारत सरकार के प्रस्ताव पर जे. एफ़. एम समितियों को बनाया गया था लेकिन ये समितियां वैधानिक नहीं हैं। जहां तक बात है सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र के प्रबन्धन की तो केवल केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये वन अधिकार कानून को ही वैधानिक शक्ति है। वन अधिकार कानून के अनुसार केवल ग्राम सभा के सदस्य ही ***नियम 4(1)(ङ)*** के तहत बनने वाली समिति के सदस्य होंगे।

2. क्या जे. एफ़. एम क्षेत्र को सीधे सामुदायिक वन संसाधन अधिकार में बदला जा सकता है?

वन अधिकार कानून व वन अधिकार नियमों का उद्देश्य, जे एफ़ एम क्षेत्र को सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र में बदलना नहीं है और ना ही इसकी जरुरत है। जे.एफ़.एम की कार्यवाही का ढांचा वन अधिकार कानून से बिल्कुल अलग है।

6.7 विकास और वन अधिकार कानून

1. वन अधिकार कानून के तहत अधिकारों को मान्यता मिल जाने के बाद क्या वन अधिकार धारक को वनभूमि और सामुदायिक वन संसाधन के विकास के लिये सहायता मिलेगी?

वन अधिकार कानून के नियमों के अनुसार दावे की प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी योजनायें, जो जमीन के सुधार, जमीन की उर्वरता, मूलभूत सुविधायें और आजीविका के साधन से सम्बन्धित हैं, वन अधिकार धारकों को उपलब्ध करायी जाएँ। वन अधिकार नियमों के अनुसार यह जिम्मेदारी राज्य सरकार के जनजाति और समाज कल्याण विभाग, पर्यावरण और वन, राजस्व, ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग के साथ-साथ दूसरे विभागों को दी गयी है।

ये ध्यान देने की बात है कि वन अधिकारों को मान्यता व निहित करने की प्रक्रिया जब चल रही है तो इस प्रक्रिया के साथ-साथ वन निवासी, वन अधिकार कानून की ***धारा 3(2)*** के तहत विकासात्मक कार्यों के लिये दिये गये अधिकारों को उपयोग कर सकते हैं।

2. क्या धारा 3(2) के तहत वनभूमि में विकासात्मक कार्यों के लिये वन हस्तांतरण, वन संरक्षण कानून, 1980 के अनुसार होगा?

*वन अधिकार कानून, **धारा 3(2)** के तहत विकासात्मक कार्यों को करने का अधिकार ग्राम सभा को देता है इसीलिये वन संरक्षण कानून,1980 के तहत अनुमति लेने की कोई जरुरत नहीं है जैसा की वन अधिकार कानून की **धारा 4(7)** में भी बताया गया है।*

ध्यान देने वाली बात यह है कि ***धारा 3(2)*** के तहत दर्ज 13 प्रकार के विकासात्मक कार्यों का प्रबन्धन सरकार द्वारा होगा, हस्तांतरण में 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो जिसमें 75 से ज्यादा पेड़ ना कटें और ग्राम सभा की मंजूरी हो।

3. क्या वन अधिकार कानून की धारा 3(2) के प्रावधानों को स्वतंत्र रुप से लागू किया जा सकता है या क्या ये प्रावधान केवल उस वनभूमि में लागू हो सकते हैं जहाँ धारा 3(1) में दर्ज अधिकारों को मान्यता मिल चुकी है?

***धारा 3(2)** में दर्ज विकासात्मक कार्यों की प्रक्रिया, **धारा 3(1)** में दर्ज वन अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया के साथ-साथ या अलग से भी चल सकती है। लेकिन यह प्रक्रिया **धारा 3(2)** में बतायी गयी शर्तों के अनुसार होनी चाहिये।*

और साथ ही यह भी ध्यान रहे कि विकास कार्यों के लिये हस्तांतरित होने वाली भूमि में किसी भी वन निवासी के वन अधिकारों, जिनकी मान्यता की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, का हनन और किसी भी वन निवासी की बेदखली नहीं होनी चाहिये। इसीलिये, जहाँ वन अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया अधूरी है या चल रही है वहां यह उचित होगा कि ग्राम सभा मंजूरी देते समय अपने प्रस्ताव में यह भी लिखे कि वनभूमि के हस्तांतरण से किसी के भी वन अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

4. क्या परियोजनाओं को वन अधिकारों की मान्यता देने वाली प्रक्रिया से छुट दी जा सकती है?

नहीं। किसी भी वनभूमि के हस्तांतरण के लिये वन अधिकार कानून की अनुपालना करना बहुत अनिवार्य है। वन अधिकार कानून किसी भी प्रकार की परियोजनाओं को किसी भी प्रकार छूट नहीं देता है।

6.8 कुछ और सवाल

1. क्या राज्य सरकार वन अधिकार कानून को पूरे राज्य में एक ही तरह लागु करने के लिए नियम व निर्देश जारी कर सकती है?

*केवल केन्द्र सरकार को ही कानून सम्बन्धी नियम (**धारा 14** के तहत) बनाने व उन्हे जारी व सामान्य या विशेष निर्देश (**धारा 12** के तहत) जारी करने की अनुमति है।*

2. क्या वन अधिकार क़ानून भूमि बांटने वाला क़ानून है?

वन अधिकार कानून के बारे में सबसे बड़ी गलत फ़हमी यह है कि यह ज़मीन आवंटन का कानून है जिसमें हर परिवार को 4 हैक्टेयर भूमि बांटी जाएगी। यह सरासर गलत है और इस कानून के बारे में भ्रम है। वन अधिकार कानून स्पष्ट है कि केवल उस वनभूमि पर अधिकार का पट्टा मिलेगा जिस पर दावेदार का कब्ज़ा 13 दिसंबर 2005 से पहले का है। दावेदार कौन माना जाएगा - इस जानकारी के लिए इस पुस्तक का भाग 2 ठीक से पढ़ें ।

वन अधिकार कानून भूमि आवंटन के लिए नहीं बना है. यदि आप के गाँव में भूमिहीन समुदाय या परिवार हैं जिनका कोई कब्ज़ा नहीं है और उनको सरकार से भूमि की मांग करनी है तो उसके लिए राज्य के अन्य कानून और नीतियों का सहारा लेना पड़ेगा. वन अधिकार कानून में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं हैं।

3. बहुत से वन अधिकार जिन्हें वन अधिकार कानून के तहत मान्यता दी गई है उन्हें पहले के कानूनों के मुताबिक अवैध माना गया है यहां तक कि कुछ मामलों में इन्हें दण्डनीय अपराध माना जाता है। तो इस तरह के अंतर्विरोध को कैसे निपटायेंगे?

वन अधिकार कानून की ***धारा 4(1)*** अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासियों के ***धारा 3(1)*** में उल्लेखित अधिकारों को मान्यता देती व निहित करती है।

इसका मतलब यह है कि वन अधिकार कानून के तहत माने गये अधिकारों पर पिछले कानून, नियम लागू नहीं होंगे, इस सन्दर्भ में वन अधिकार कानून दूसरे वन कानूनों से सर्वोपरि है।

उदाहरण के लिये भारतीय वन कानून 1927 के तहत यदि कोई व्यक्ति आरक्षित वन या संरक्षित वन में लघु वन उत्पाद के साथ पकड़ा जाता है या इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हुये पकड़ा जाता है तो इसे अपराध माना जाता है क्योंकि लघु वन उत्पाद को सरकार की सम्पत्ति माना जाता है। जबकि इसके विपरीत, वन अधिकार कानून अनूसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासियों को लघु वन उत्पादों पर मालिकाना हक देता है और साथ ही ग्राम सभा को उत्पादों को इकठ्ठा कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचने की शक्ति देता है।

रेफरेन्सेस/ सन्दर्भ :

1. *अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 व संशोधित नियम 2012*

2. *Forest Rights Act, Rules and Guidelines; जन जातीय मंत्रालय एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2014 ; प्रकाशन; https://tribal.nic.in/FRA/data/FRARulesBook.pdf*

3. *Frequently Asked Questions, Ministry of Tribal Affairs, Government of India & UNDP; 2015*

4. *Training Manual 1 and 2: Forest Rights Act Training Manual for Government functionaries and members of Gram Sabha; 2015; MoTA; UNDP*

Notes:

Notes:

Notes:

Commissioner (TD), Bijlani House,
Near Navrattan Guest House,
Chota Shimla-171002
Tel: 0177-2621997 Fax: 0177-2620657
Website: himachal.nic.in/tribal

*Empowered lives.
Resilient nations.*

United Nations Development Programme
Post Box No. 3059, 55 Lodhi Estate
New Delhi - 110003
Tel: +91 46532333 Fax:+91-11-24627612
Email: info.in@undp.org
Website: www.in.undp.org